खण्ड-272, अंक-1
शुक्रवार, 26 ज्येष्ठ, शक संवत् 1889
(16 जून, 1967 ई0)

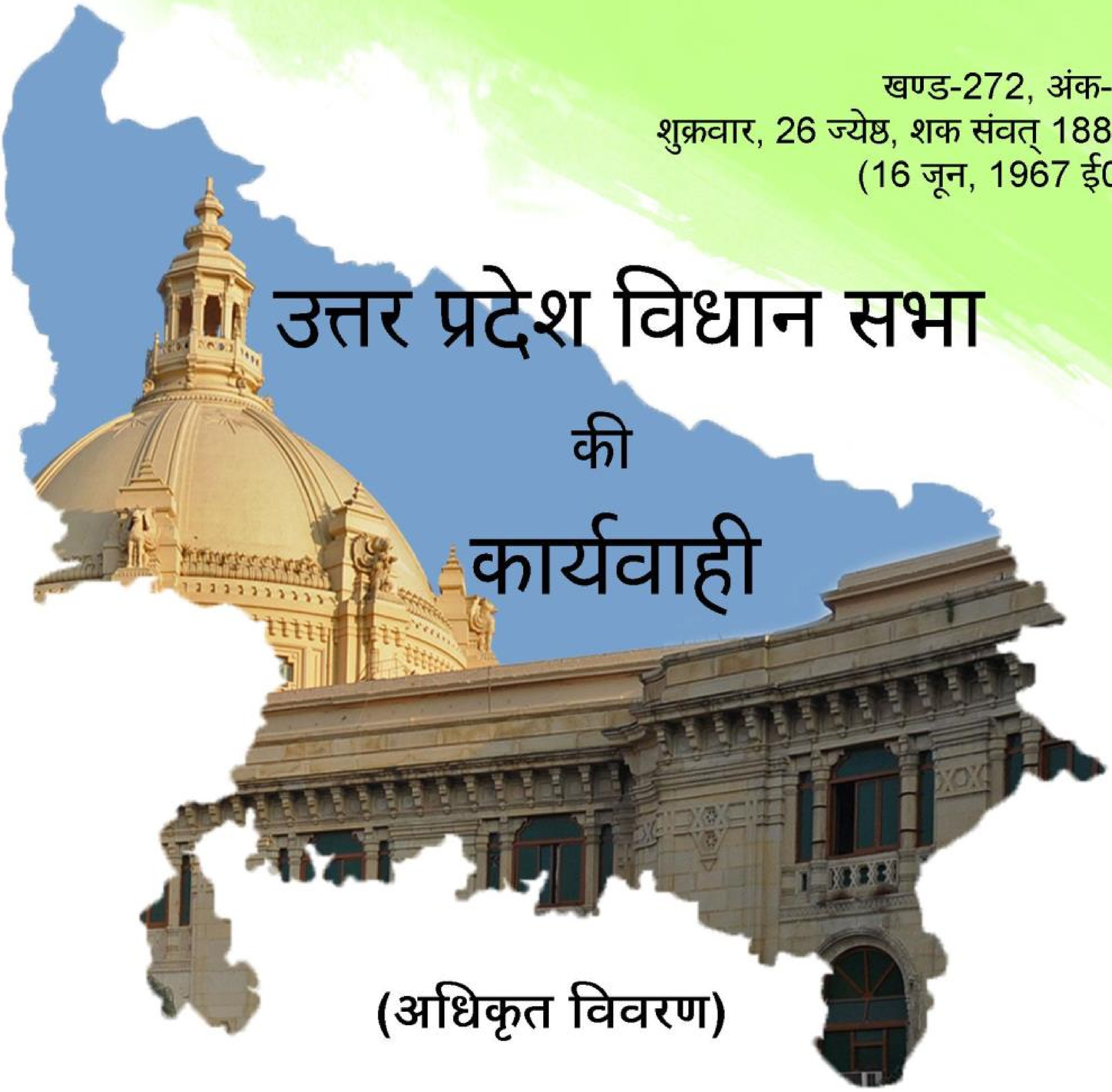

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

शुक्रवार, १६ जून, १९६७

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार	३५–३७
सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७–४३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३–४४
उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४–४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा परिवेक्षण तथा नियंत्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५–४६
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण-पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६
सदन के परिसर में कांग्रेस के आवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियेट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६–४८

विषय	पृष्ठ संख्या
सदन को स्थगित रखने तथा राष्ट्रपति शासन लागू कराने की कथित धमकी देने तथा विधान सभा की बठक बुलाने की तिथि की सूचना के संबंध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४९--५२
गोरखपुर यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५२--५३
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५३
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५३
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५४
लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लियें विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५४
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये ४ व्यक्तियों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५४--५५
गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड, कानपुर की समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	५५
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये ३ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५५
कालागढ़ में पुलिस तथा मजदूरों में संघर्ष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा दी गयी)	५६--५८
नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	५८--६१
नियम १०३ के अन्तर्गत प्रस्ताव (स्वीकृति नहीं दी गयी)	६१
श्री चन्द्रबली द्वारा संयुक्त विधायक दल से संबंध विच्छेद की सूचना ..	६१--६३
१९६७-६८ का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	६४--७८
३ विभिन्न विश्वविद्यालय कोर्ट तथा अन्य संस्थाओं के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	७८
कालागढ़ में पुलिस तथा मजदूरों में संघर्ष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (स्वतः समाप्त)	७९--१०१
नत्थियां	१०२--१०३

सोमवार, १९ जून, १९६७

उपस्थित सदस्य	१०५--१०९
प्रश्नोत्तर	११०--१३९
प्रश्न का उत्तर न मिलने के संबंध में शिकायत..	१४०
विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन	१४०--१५५

विषय	पृष्ठ संख्या
उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री श्रीपति मिश्र को बधाई	१५६
सदन का आगामी कार्यक्रम	१५७
भिन्न सदस्यों द्वारा विभिन्न दलों की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सूचना ..	१५७–१५९
सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब, खाण्डसारी इकाइयों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर लगाये गये कर के संबंध में वक्तव्य	१५९
दिनांक १, ८, १५ तथा २२ जुलाई, १९६७ के शनिवारों को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	१५९–१६०
बजट साहित्य न मिलने तथा सदन में आने में कष्ट के संबंध में आपत्ति ..	१६०–१६१
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	१६१–१८४
प्रदेश की विषम खाद्य स्थिति तथा बढ़ती हुई कीमतों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (वक्तव्यार्थ स्वीकृत)	१८४–१८६
कार्य-स्थगन तथा नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	१८६–१८७
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	१८८–१९४
नत्थियां	१९४–२०६

मंगलवार, २० जून, १९६७

उपस्थित सदस्य	२०७–२११
प्रश्नोत्तर	२११–२३८
प्रश्नोत्तर के लिए अधिक समय की मांग	२३८–२३९
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्यकरण पर १९६५–६६ की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	२३९
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (निर्माण कार्यों के लिए विस्तृत नक्शे और तखमीने तैयार और स्वीकृत करने तथा टेंडर आदि आमंत्रित करने, उनकी जाँच करने और उन्हें स्वीकार करने की) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (सदन के पटल पर रखे गए)	२३९
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६७ (सदन के पटल पर रखा गया)	२४०
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	२४०
सदन के अधिवेशन काल में सरकारी नीति की सदन से बाहर घोषणा करने के सम्बन्ध में वन-मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी)	२४०–२४३
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ (पुरःस्थापित किया गया)	२४३
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	२४३–२८४
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	२८५–२८६

विषय	पृष्ठ-संख्या
खरीफ की बोवाई के लिए बीज के अभाव के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	२८६
नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं	२८६–२८७
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	२८७–२९२
नत्थियां	२९३–२९५

बुधवार, २१ जून, १९६७

उपस्थित सदस्य	२९७–३०१
कार्य सूची न मिलने पर आपत्ति	३०१
प्रश्नोत्तर	३०२–३०५
प्रश्नोत्तर के लिये अधिक समय की मांग	३०५–३०६
प्रदेश की विषम खाद्य स्थिति तथा बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	३०६–३११
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (विवाद जारी) ..	३११–३५३
मिर्जापुर जिले में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३५४–३५७
खरीफ की बोवाई के लिये बीज के अभाव के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३५७–३६४
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ (विचारोपरान्त पारित)	३६४–३६६

सोमवार, २६ जून, १९६७

उपस्थित सदस्य	३६७–३७१
प्रश्नोत्तर	३७१–३९३
विधान सभा सदस्य, श्री राजबली पर कथित आक्रमण के संबंध में सूचना ..	३९३–३९५
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद के वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के प्रशासन प्रतिवेदन (पटल पर रखे गये) ..	३९५
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७ (पटल पर रखी गयी)	३९६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्तियां (पटल पर रखी गयीं)	३९६
अधिवेशन काल में सरकारी नीति की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	३९६–४०३
साप्ताहिक कार्य-क्रम के सम्बन्ध मे सूचना (जारी)	४०४
प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा करने की मांग (जारी)	४०४–४०५
साप्ताहिक कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना (जारी)	४०५

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा की मांग (जारी)	४०५–४०६
साप्ताहिक कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना	४०६
प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा की मांग	४०६–४०८
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ (पुरःस्थापित किया गया)	४०८–४०९
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	४०९–४३८
साइलेस रोशन ब्रिटिश सोसाइटी के संस्थापक द्वारा भारत विरोधी प्रचार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४३९–४४०
विधान सभा सदस्य, श्री राजबली पर कथित आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	४४०–४४४
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	४४४–४४६
नस्थियां	४४७–४५७

मंगलवार, २७ जून, १९६७

उपस्थित सदस्य	४५९–४६३
प्रश्नोत्तर	४६६–४८३
तारांकित प्रश्नों को अतारांकित रूप में लिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	४८३
प्रश्नोत्तर एवं भाषण की प्रति न मिलने पर आपत्ति	४८३–४८४
तथाकथित रामसहाय गुप्त द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के सम्बन्ध में जानकारी ..	४८४
श्री नारायण सिंह द्वारा पुनः कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सूचना ..	४८५
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	४८५
जन कांग्रेस दल को मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी	४८५
नैनीताल जिले में नैना चोटी (चीना पहाड़) के धंसने व नैनीताल की झील का पानी कम हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	४८६
मिर्जापुर जिले में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	४८६–४८९
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न परिस्थिति पर होने वाली चर्चा की तिथि में परिवर्तन की सूचना	४८९
कतिपय विषय	४८९–४९०
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	४९०–५३१
शामली थाने की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के कथित पीटे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना नियम ५१ के अन्तर्गत (स्वीकृत) ..	५३१–५३२
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड, आगरा विश्वविद्यालय सिनेट, इलाहाबाद, लखनऊ तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति, गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड समिति, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय शिष्ट परिषद् तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासनिक बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन की तिथि की सूचना ..	५३२

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त)	५३३–५३७
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ विचारोपरान्त पारित)	५३७–५३९

बुधवार, २८ जून, १९६७

उपस्थित सदस्य	५४१–५४५
प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति	५४५–५४६
प्रश्नोत्तर	५४६–५६५
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	५६५
स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रश्न के उत्तर में कथित जान-बूझ कर तथ्यों को छिपाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५६६–५६७
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	५६७
महिलाओं पर लाठी चार्ज के विषय में मुख्य मंत्री द्वारा कथित गलतबयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय सुरक्षित)	५६८–५८२
विधान सभा सदस्य, श्री राजबली पर कथित आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य	५८३–५८६
आय-व्ययक की मांगों पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	५८६–५८७
आय-व्ययक की मांग के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव लाने पर वैधानिक आपत्ति (स्वीकार नहीं की गयी)	५८७–५९०
अनुदान सम्बन्धी साहित्य न मिलने पर आपत्ति (स्वीकार नहीं की गयी) ..	५९०–५९३
१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १२––गांव सभाएं और पंचायतें (विवाद जारी) ..	५९३–६०९
लखनऊ में गोमती नदी पर बने पुल "हनुमान सेतु" के सिंक हो जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर वक्तव्य	६०९–६१२
गल्ला वसूली की योजना के अन्तर्गत किसानों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६१२
सदन का समय न बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	६१३
१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १२––गांव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत)	६१३–६१७
शामली थाने की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१७–६२४
नत्थी	६२५

विषय	पृष्ठ-संख्या
वृहस्पतिवार, २९ जून, १९६७	
उपस्थित सदस्य	६२७–६३१
प्रश्नोत्तर	६३१–६५९
प्रश्नोत्तर काल में अधिक प्रश्न लेने की मांग	६५९–६६९
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६ (पटल पर रखी गई)	६६३
मुख्य मंत्री द्वारा विधान परिषद् में कथित गलत सूचना देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गई) ..	६६३–६६५
अधिवेशन काल में सदन से बाहर नीति सम्बन्धित वक्तव्य देने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गई)	६६५–६६६
मुख्य मंत्री द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कथित गलत बयानी के विषय पर अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	६६७–६७०
संयुक्त विधायक दल से सम्बद्ध न होने के विषय पर विधायक, श्री विश्वनाथ प्रसाद की सूचना	६७०
लोक लेखा प्राक्कलन एवं २५ विभिन्न स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन का कार्य-क्रम	६७१
मुख्य मंत्री द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कथित गलत बयानी के विषय पर अभिसूचित विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)	६७१–६७२
लोक लेखा, प्राक्कलन एवं २५ विभिन्न स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन का कार्य-क्रम (क्रमागत)	६७३
वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१–कृषि संबंधी विकास, अनुदान संख्या २२–उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ४५–कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	६७३–७०७
विश्वविद्यालय के कोर्ट्स के लिये निर्वाचनार्थ नाम वापसी की अन्तिम तिथि में परिवर्तन की सूचना	७०७
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ में अनियमितता के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें वक्तव्यार्थ (स्वीकृत)	७०८–७१०
उन्नाव तथा सीतापुर जिलों में गल्ला वसूली से सम्बन्धित किसानों की कठिनाइयों के विषय पर दी गयी सूचनाओं पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	७१०–७१५
नत्थियां	७१६–७२१

शुक्रवार, ३० जून, १९६७

विषय	पृष्ठ-सख्या
उपस्थित सदस्य	७२३–७२७
सदन में गैर-सदस्य व्यक्तियों के बैठने के सम्बन्ध में आपत्ति	७२७
प्रश्नोत्तर	७२८–७४६
प्रश्नोत्तर के परिवर्तन पर आपत्ति	७४६
श्री बदनसिंह द्वारा विधान मण्डल कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के संबंध में सूचना	७४६–७४७
१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६– खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३— राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत)	७४७–७९४
पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी आदि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के निवासियों पर कथित आक्रमण के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	७९५
नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं	७९५–७९८
प्रदेश में वर्षा, उपल वृष्टि तथा सूखे से हुई क्षति की स्थिति के संबंध में चर्चा (जारी)	७९८–८१६
कतिपय समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा	८१६–८१७
प्रदेश में वर्षा, उपल वृष्टि तथा सूखे से हुई क्षति की स्थिति के संबंध में चर्चा ..	८१७–८३२
नत्थी	८३३–८३५

शनिवार १ जुलाई, १९६७

उपस्थित सदस्य	८३७–८४१
समाचार-पत्र में प्रकाशित स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न ..	८४१–८४६
श्री अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	८४६–८४७
१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	८४७–८९९
कार्य-स्थगत प्रस्ताव की सूचना (अस्वीकृत)	८९९
फैजाबाद जिले में घाघरा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	८९९–९००
नत्थी	९०१–९०२

विधान सभा

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बी० गोपाल रेड्डी

मंत्रि परिषद्

१—श्री चरण सिंह	..	.. मुख्य मंत्री।
२—श्री राम प्रकाश	..	.. उप मुख्य मंत्री
३—श्री रामचन्द्र विकल	..	.. वन मंत्री
४—श्री जयराम वर्मा	..	.. कृषि मंत्री
५—श्री झारखंडे राय	..	.. खाद्य मंत्री
६—श्री प्रभु नारायणसिंह		.. उद्योग मंत्री
७—श्री गंगा भक्त सिंह	..	.. सहकारिता मंत्री
८—श्री उदित नारायण शर्मा		.. राजस्व मंत्री
९—श्री टम्बेश्वर प्रसाद	..	.. सिंचाई मंत्री
१०—श्री राम स्वरूप वर्मा	..	.. वित्त मंत्री
११—श्री प्रताप सिंह	..	.. स्वास्थ्य मंत्री
१२—श्री मंगल देव विशारद	..	.. सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री
१३—श्री अख्तर अली खां	..	.. आबकारी मंत्री
१४—श्री श्याम लाल यादव	..	.. न्याय मंत्री
१५—श्री मान सिंह वर्मा	..	.. परिवहन मंत्री
१६—श्री वरमेश्वर पाण्डेय	..	.. स्वायत्त शासन मंत्री

उप-मन्त्री

१—श्री रुस्तम सैटिन	..	.. गृह उपमंत्री
२—श्री ओम प्रकाश सिंह	..	.. शिक्षा उपमंत्री
३—श्री अनन्त राम जायसवाल	..	.. वन उपमंत्री
४—श्री रूपनाथ यादव	..	.. कृषि उपमंत्री
५—श्री महीलाल	..	.. कृषि उपमंत्री
६—श्री शमीम आलम	..	.. खाद्य उपमंत्री
७—श्री हिम्मत सिंह	..	.. उद्योग उपमंत्री
८—श्री जोरावर वर्मा	..	.. सहकारिता उपमंत्री
९—श्री राजेन्द्र सिंह यादव	..	.. राजस्व उपमंत्री
१०—श्री रामप्रसाद देशमुख	..	.. सिंचाई उपमंत्री
११—श्री कृष्ण बहादुर मिश्र	..	.. स्वास्थ्य उपमंत्री
१२—श्री मुहम्मद असरार अहमद	..	.. स्वायत्त शासन उपमंत्री

विधान सभा प्रदेश

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१	अंगनेलाल, श्री	बेबीगंज
२	अख्तर अली खां, श्री	रामपुर
३	अजीत प्रताप, श्री	प्रतापगढ़
४	अठई राम, श्री	हंडिया
५	अतीकुर्रहमान, श्री	नगीना
६	अनन्त राम, श्री	नवाबगंज
७	अब्दुल खालिक, श्री	सहारनपुर
८	अब्दुल मुईज खां, श्री	रुदौली
९	अयोध्या प्रसाद, श्री	ललितपुर
१०	अयोध्या प्रसाद, श्री	बुद्धी
११	अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री	भाटपार रानी
१२	अर्जुन, श्री	मार्टिनगंज
१३	अवधेश प्रताप मल, श्री	सलेमपुर
१४	अवेद्यनाथ, श्री	मानी राम
१५	अशरफ अली खां, श्री	सादाबाद
१६	अशर्फीलाल, श्री	सहसवान
१७	अश्वनी कुमार, श्री	कोड़ी राम
१८	अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" श्री	मिर्जापुर
१९	अहमद उल्ला खां, श्री	ठाकुर द्वारा
२०	आत्मा, श्री	सईदपुर
२१	आनन्द सिंह, कुंवर	मनकापुर
२२	इन्द्रपाल, श्री	मानिकपुर
२३	इन्द्रपाल सिंह, श्री	अलीगढ़
२४	इन्द्रमणी, श्री	देव प्रयाग
२५	इन्द्र मोहिनी, श्रीमती	चन्दौसी
२६	इन्द्रलाल, श्री	हलद्वानी
२७	ईश्वर शरण, श्री	गोंडा
२८	उग्रसेन, श्री	बरहज
२९	उदय प्रताप, श्री	गोरखपुर
३०	उदयवीर सिंह, श्री	जलेसर
३१	उदित नारायण, श्री	झांसी
३२	उमादत्त, श्री	लम्भुआ
३३	ऊदल, श्री	कोलअसला
३४	एस० जी० दत्त, श्री	कल्याणपुर
३५	ए० सी० ग्राइस, श्री	(नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
३६	ओंकार सरन, श्री	मुरादाबाद नगर
३७	ओम् प्रकाश, श्री	आंवला

क्रम-संख्या	संदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३८	ओम् प्रकाश सिंह, श्री	.. फरीदपुर
३९	कन्धई लाल, श्री	.. पुवायां
४०	कन्हैया लाल, श्री	.. लखमा
४१	कन्हैया लाल, श्री	.. गरौठा
४२	कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री ..	.. पिहानी
४३	कमलापति त्रिपाठी, श्री	.. जौनपुर नगर
४४	कमला प्रसाद, श्री	.. बरसठी
४५	कमला प्रसाद, श्री	.. भिनगा
४६	करन सिंह, श्री	.. निघासन
४७	कलारानी, श्रीमती	.. बिलग्राम
४८	कल्पनाथ सिंह, श्री	.. चिल्लूपार
४९	कल्याण चन्द मोहिले (उपनाम छुन्नन गुरु), श्री	.. इलाहाबाद (दक्षिण)
५०	कल्याण सिंह, श्री ..	.. अतरौली
५१	कामता सिंह, श्री	.. तिलकहर
५२	कालीचरण, श्री	.. कासगंज
५३	काशीनाथ, श्री	.. संडीला
५४	किशनलाल, श्री	.. बरखेरा
५५	किशनलाल दिलेर, श्री	.. कोइल
५६	किशनसिंह, श्री	.. मुरादाबाद देहात
५७	किशुनलाल, श्री	.. नानपारा
५८	कृष्णबहादुर, श्री	.. बहराइच
५९	कृष्णसिंह, श्री	.. उत्तर काशी
६०	कृष्णानन्द राय, श्री	.. दिलदारनगर
६१	केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री ..	.. फखरपुर
६२	केशरी लाल, श्री	.. भोगनीपुर
६३	केशव देव, श्री	.. चंदौसी
६४	खूबसिंह, श्री	.. नूरपुर
६५	खेमा, श्री	.. गोवर्धन
६६	गंगाधर, श्री	.. बद्रीकेदार
६७	गंगा प्रसाद, श्री	.. एटा
६८	गंगा प्रसाद, श्री	.. गोकुल
६९	गंगा भक्त सिंह, श्री ..	.. बावन
७०	गंगा राम, श्री	.. जजरलगंज
७१	गंगा स्वरूप भटनागर, श्री ..	.. बेहटा
७२	गजाधर, श्री	.. चतर्दा (आ० ज०)
७३	गया प्रसाद (उपनाम मास्टर साहब), श्री	.. महसी
७४	गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री ..	.. बिसवां
७५	गिरजा शंकर, श्री	.. दरियाबाद
७६	गिरधारी लाल चौधरी, श्री ..	.. अफजलगढ़
७७	गिरिराज सिंह, श्री	.. गौरीगंज

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
७८	गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री	कायमगंज
७९	गुप्तार सिंह, श्री	खरेनी
८०	गुलाबसिंह, श्री	मसूरी
८१	गेंदासिंह, श्री	सेबरही
८२	गोपालदत्त ओझा, श्री	डीडीहाट
८३	गोपाल राम दास, श्री	बागेश्वर
८४	गोविंद नारायण तिवारी, श्री	माधोगढ़
८५	गोविंद सहाय, श्री	धामपुर
८६	गौरी राम गुप्त, श्री	फरेंदा
८७	गौरीशंकर सर्राफ, श्री	बांदा
८८	गौरी सिंह राठौर, श्री	बिनावर
८९	घनश्याम गिरिमहन्त	हरद्वार
९०	घनश्याम दास श्री	सिद्धौर
९१	चतुर्भुज शर्मा, श्री	उरई
९२	चन्द्र किशोर, श्री	खागा
९३	चन्द्र कुमार, श्री	रुदौली
९४	चन्द्र देव, श्री	पडरौना
९५	चन्द्रबली, श्री	गौरीबाजार
९६	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	रानीखेत
९७	चन्द्रशेखर, श्री	चंदरौली
९८	चन्द्रशेखर सिंह, श्री	मेंहदावल
९९	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी
१००	चरण सिंह, श्री	बबरौली
१०१	नेकराम पचपेड़ा, श्री	नवाबगंज
१०२	चेतराम वर्मा, श्री	लखीमपुर
१०३	जंगबहादुर, श्री	हैदरगढ़
१०४	जगतसिंह, श्री	कांठ
१०५	जगम्दबा प्रसाद, श्री	जलालपुर
१०६	जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री	भोगांव
१०७	जगन प्रसाद रावत, श्री	खेरागढ़
१०८	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	घौरहरा
१०९	जगपत सिंह, श्री	नरैनी
११०	जगबीर सिंह, श्री	अग्मैता
१११	जमादार सिंह, श्री	बरनावा
११२	जमीलुर्रहमान, श्री	मसौली
११३	जगनारायण सिंह, श्री	हसवा
११४	जयराम वर्मा, सिंह	अकबरपुर
११५	जगेन्द्रसिंह, श्री	चरखारी

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
११६	जवाहर लाल जाटव, श्री	आर्यनगर
११७	जवाहरलाल, डाटक्र	चायल
११८	जवाहिर लाल, श्री	मछरेहटा
११९	जसोदानन्द, श्री	भनवापुर
१२०	जानकी प्रसाद, श्री	सोहावल
१२१	जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री	रानी की सराय
१२२	जियाउर्रहमान, श्री	उन्नाव
१२३	जी० एस० चौधरी, श्री	मुरादानगर
१२४	जुगल किशोर, श्री	गुन्नौर
१२५	जे० एन० सिन्हा, श्री	रुड़की
१२६	जैदत्तसिंह, श्री	डुमरियागंज
१२७	जैनूराम, श्री	मेहनगर (अ० ज०)
१२८	जोरावर वर्मा, श्री	महोबा
१२९	झारखंडे राय, श्री	घोसी
१३०	टमब्रेश्वर प्रसाद, श्री	सीतापुर
१३१	टीकमसिंह, श्री	छाता
१३२	खितरमल सिंह, श्री	पटियाली
१३३	तेजसिंह, श्री	दादरी
१३४	त्रिवेणी, श्री	लालगंज
१३५	त्रेपन सिंह, श्री	टेहरी
१३६	दलबहादुर सिंह, श्री	सलोन
१३७	दलसिंह, श्री	जलालाबाद
१३८	दशरथ, श्री	नौरंगिया
१३९	दीपंकर आचार्य, श्री	बड़ौत
१४०	दुर्गा प्रसाद, श्री	बांकेगंज
१४१	दुर्योधन, श्री	महाराजगंज
१४२	दृगराज सिंह, श्री	कैसरगंज
१४३	देवराम, श्री	जखनियां
१४४	देवीचरण अग्निहोत्री, श्री	मथुरा
१४५	देवीदयाल सेन, श्री	हापुड़
१४६	देवी सहाय बाजपेयी, श्री	कानपुर छावनी
१४७	देवी सेवक, श्री	गड़वारा
१४८	देवेन्द्र सिंह, कुंवर	नजीबाबाद
१४९	देशराज सिंह, श्री	बबेरू
१५०	धनराज यादव, श्री	नौगढ़
१५१	धनुषधारी पांडेय, श्री	खलीलाबाद
१५२	धर्मराज सिंह, श्री	हरदोई
१५३	धर्मवीर, श्री	मेजा
१५४	धर्मवीर, सिंह श्री	सरधना
१५५	धूर्मसिंह, श्री	छतारी

विधान परिषद सचिवालय

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१५६	ध्रुवकुमार श्री	अनूपशहर
१५७	नन्हेलाल, श्री	फतेहपुर
१५८	नरदेव सिंह, श्री	चांदपुर
१५९	नरवदेश्वर, श्री	सगड़ी
१६०	नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
१६१	नवलकिशोर, श्री	आलमपुर
१६२	नाथूराम शिक्षक, श्री	गंझनपुर
१६३	नारायणदास, श्री	मोहनल लगंज
१६४	नारायण सिंह, श्री	नकुड़
१६५	नित्यानन्द पांडेय, श्री	डेरापुर
१६६	नियाज हसन, श्री	कूडा
१६७	निहालसिंह, श्री	औराई
१६८	नेकराम शर्मा, श्री	सिकन्दराराऊ
१६९	नेमपाल सिंह, श्री	स्याना
१७०	नौनिहाल सिंह, श्री	इलाहाबाद (पश्चिम)
१७१	पब्बरराम, श्री	गाजीपुर
१७२	पातीराम अहरवार, श्री	कन्नौज
१७३	पीतमसिंह, श्री	खेकड़ा
१७४	प्यारे लाल, श्री	खेर
१७५	प्यारे लाल, श्री	गाजियाबाद
१७६	प्रताप नारायण तिवारी, श्री	बलरामपुर
१७७	प्रतापसिंह, श्री	नैनीताल
१७८	प्रभाकर त्रिपाठी, श्री	गोविंदनगर
१७९	प्रभुदयाल, श्री	बांसी
१८०	प्रेमदत्त, श्री	खजुहा
१८१	फारुक चिश्ती, श्री	देवरिया
१८२	फूलसिंह, श्री	देवबन्द
१८३	बंशीधर, श्री	शाहाबाद
१८४	बंशीधर मिश्र, श्री	फूलबेहड़
१८५	बजरंगबली, ब्रह्मचारी	हमीरपुर
१८६	बदन सिंह, श्री	सकीट
१८७	बदलराम, श्री	जहांगीरगंज
१८८	बद्री प्रसाद, श्री	किशनपुर
१८९	बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री	लखनऊ (छावनी)
१९०	बनारसीदास, श्री	खुर्जा
१९१	बलदेव सिंह, सरदार	गंसरी
१९२	बलवीरसिंह, श्री	गढ़मुक्तेश्वर
१९३	बलवीर सिंह, श्री	कमालगंज
१९४	बसन्तलाल, श्री	कौंच

विधान परिषद सचिवालय

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१९५	बसन्तलाल, श्री	मलिहाबाद
१९६	बलवन्तसिंह, श्री	मौदहा
१९७	बाबू बदरे, श्री	चमनगंज
१९८	बाबूराम, श्री	पीलीभीत
१९९	बाबूलाल, श्री	महादेवा
२००	बाबूसिंह, श्री	गंगीरी
२०१	बिशनलाल, श्री	बहजोई
२०२	बृजकिशोर, श्री	अयोध्या
२०३	बृजपालसिंह, श्री	उसहत
२०४	बृजमोहनदास अग्रवाल, श्री	माऊ
२०५	बुधिराम, श्री	हरैया
२०६	बेचनराम, श्री	मझावा
२०७	बेचनराम, श्री	चकिया
२०८	बेनीबाई, श्रीमती	मऊरानीपुर
२०९	बेनीसिंह अवस्थी, श्री	घाटमपुर
२१०	बैजनाथ, श्री	बांसडीह
२११	बैजनाथ, श्री	धानापुर
२१२	ब्रह्माश्रम, स्वामी	छानवे
२१३	भगवतीसिंह विशारद, श्री	भगवन्तनगर
२१४	भगौती, श्री	इकोना
२१५	भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री	महमूदाबाद
२१६	भग्गूराम (उपनाम भृगुनाथ), श्री	अराजीलाइन
२१७	भारतसिंह चौहान, श्री	औरैया
२१८	भीखालाल, श्री	मियांगंज
२१९	भीमाप्रसाद, श्री	आजमगढ़
२२०	भुवनेश भूषण, श्री	इटावा
२२१	भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	श्यामदउ रवां
२२२	भैरवदत्त धूलिया, श्री	लैंसडाउन
२२३	मंगलदेव, श्री	नत्थूपुर
२२४	मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री	सिराथू
२२५	मंजूर अहमद, श्री	किठौड़
२२६	मसूद हुसैन, श्री	स्वारटांडा
२२७	मदनमोहन मिश्र, श्री	रायबरेली
२२८	मदनमोहन सिंह, श्री	कर्नेलगंज
२२९	मधुकर दिघे, श्री	पिपराइच
२३०	मन्नालाल, श्री	मोहम्मदी
२३१	मन्नीलाल, श्री	अहिरौरी
२३२	मन्सादीन, श्री	सिधौली
२३३	मलिखानसिंह, श्री	मैनपुरी
२३४	महरमसिंह, श्री	फर्रुखाबाद

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
२३५	महिपालसिंह, श्री	वासनगंगा
२३६	महीलाल, श्री	कुंदरकी
२३७	महेन्द्र प्रतापसिंह, कुंवर	शेरगढ़
२३८	महेशकुमार, श्री	सम्भल
२३९	माता प्रसाद, श्री	शाहगंज
२४०	मानसिंह, श्री	आगरा (पश्चिम)
२४१	मारकंडे, श्री	अतरौलिया
२४२	मुंशीलाल चमार, श्री	बरहल
२४३	मुक्तिनाथ राय, श्री	गोपालपुर
२४४	मुजफ्फर हसन, श्री	प्रतापपुर
२४५	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	बीसलपुर
२४६	मुंशीलाल, श्री	बिलासपुर
२४७	मुरलीधर, श्री	ज्ञानपुर
२४८	मुलायमसिंह, श्री	जसवन्तनगर
२४९	मुल्कीराज, श्री	मुजफ्फराबाद
२५०	मुल्तानसिंह, श्री	टुंडला
२५१	मुहम्मद असरार अहमद, श्री	बदायूं
२५२	मुहम्मद महमूद अली खां, श्री	सरसावां
२५३	मुहम्मद रऊफ, श्री	मछलीशहर
२५४	मुहम्मद रफी खाँ, श्री	शाहजहांपुर
२५५	मोतीलाल देहलवी, श्री	बिल्हौर
२५६	मोहनलाल, आचार्य	पूरनपुर
२५७	मोहनलाल कपूर, श्री	मेरठ
२५८	मोहनलाल गौतम, श्री	इगलास
२५९	यशोदा देवी, श्रीमती	धुरियानगर
२६०	यादवेन्द्रसिंह (उपनाम लल्लन जी), श्री	सिसवा
२६१	योगेश्वर प्रसाद, श्री	कर्णप्रयाग
२६२	रईस उद्दीन, श्री	हसनपुर
२६३	रघुनाथसिंह, श्री	फतेहपुर सीकरी
२६४	रघुनाथसिंह, श्री	सर्वन खेड़ा
२६५	रघुनाथसिंह, श्री	महरौली
२६६	रघुनाथसिंह वर्मा, श्री	जसराना
२६७	रघुराज, श्री	लक्ष्मीपुर
२६८	रघुवीर, श्री	कासिमाबाद
२६९	रघुवीरसिंह, श्री	निधौली कला
२७०	रघुवीरसिंह, श्री	घिरोर मैनपुरी
२७१	रफी मुहम्मद खां, श्री	असरौला
२७२	रमाकान्त, श्री	बिन्दकी
२७३	रामबल्लभ मिश्र, श्री	बरेली छावनी

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
२७४	रमाशंकर अग्रवाल, श्री	आगरा (पूर्व)
२७५	रवीन्द्र प्रतापसिंह, श्री	मेठी
२७६	राज किशोर, श्री	मड़ियाहूं
२७७	राजदेव, श्री	रामकोला
२७८	राजनाथ, श्री	रादात
२७९	राजनारायणसिंह श्री,	चुनार
२८०	राजवती, श्रीमती	जायस
२८१	राजबहादुर, श्री	रारी
२८२	राजबहादुर, श्री	मिश्रिख
२८३	राजबहादुर चन्द, श्री	सेसरहा
२८४	राजाबहादुर द्विवेदी, श्री	बीकापुर
२८५	राज राजेश्वर, श्री	हैदराबाद
२८६	राजाराम, श्री	फीरोजाबाद
२८७	राजाराम, श्री	हाटा
२८८	राजाराम, श्री	सिकन्दरपुर
२८९	राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर	इलाहाबाद (उत्तर)
२९०	राजेन्द्रदत्त, श्री	मौरैना
२९१	राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	सवंना संतात
२९२	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	मुहम्मदाबाद
२९३	राधेश्याम कपूर, श्री	लखनऊ (पूर्व)
२९४	रामअंजोर, श्री	रामपुर खास
२९५	रामअंचलसिंह सेन्गर, श्री	शिवपुर
२९६	रामअवतार, श्री	विधुना
२९७	रामअधीनसिंह, श्री	बिछिया
२९८	रामआसरे, श्री	रामनगर
२९९	रामकरन, श्री	सहजनवां
३००	रामकिंकर, श्री	पट्टी
३०१	रामकिशोर, श्री	बिक्रमजोत
३०२	रामकुमार, श्री	चौबेपुर
३०३	रामचन्द्र आजाद, श्री	टांडा
३०४	रामचन्द्र जोशी, श्री	अल्मोड़ा
३०५	रामचन्द्र विकल, श्री	सिकन्दराबाद
३०६	रामचन्द्रसिंह, श्री	भावन
३०७	रामचरन दोहरे, श्री	अजीतमल
३०८	रामजीलाल सहायक, श्री	हस्तिनापुर
३०९	रामदत्त, श्री	काशीपुर
३१०	रामदास, श्री	बाह
३११	रामदुलार पटेल, श्री	मुजेहना
३१२	रामदुलारे, श्री	मुजेहना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३१३	रामदुलारे, श्री	बछरावां
३१४	रामदेव, श्री	कटरा बाजार
३१५	रामदेव, श्री	बीरापुर
३१६	रामनरेश पांडेय, श्री	कुशीनगर
३१७	रामनरेश शुक्ल, श्री	लक्ष्मणपुर
३१८	रामनाथ, श्री	राजगढ़
३१९	रामनाथ, श्री	निगोहां
३२०	रामनारायण, श्री	कटेहरी
३२१	रामपति, श्री	झंगहा
३२२	रामपाल त्रिवेदी, श्री	महोना
३२३	रामप्यारे शुक्ला, श्री	सुल्तानपुर
३२४	रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री	छिबरामऊ
३२५	रामप्रसाद, श्री	दयालबाग
३२६	रामप्रसाद, श्री	एकेश्वर
३२७	रामप्रसाद, श्री	रोखा
३२८	रामप्रसाद देशमुख, श्री	खारनी
३२९	रामवचन, श्री	फूलपुर
३३०	रामबली मिश्र, श्री	इसौली
३३१	राममूर्ति, श्री	बहेड़ी
३३२	राममूर्ति अंचल, श्री	दवरौल
३३३	रामरतन, श्री	रसड़ा
३३४	रामलखन सिंह, श्री	बहादुरपुर
३३५	राम लाल, श्री	बिल्कीपुर
३३६	रामश्री राजपूत, श्री	राठ
३३७	राम सजीवन, श्री	करवी
३३८	राम समझावन, श्री	केराकत खास
३३९	रामसरन सिंह, श्री	हाथरस
३४०	रामसिंह, श्री	नागला
३४१	रामसुन्दर शास्त्री, श्री	जमनिवां
३४२	राम सेवक, श्री	जगदीशपुर
३४३	रामस्वरूप, श्री	देहरादून
३४४	राम स्वरूप, श्री	बिहार
३४५	राम स्वरूप, श्री	शिकोहाबाद
३४६	रामस्वरूप वर्मा, श्री	राजपुर
३४७	रामनारायण, श्री	फाजिलनगर
३४८	रामेश्वर सिंह, श्री	बलिया
३४९	रुस्तम सैटिन, श्री	वाराणसी (दक्षिण)
३५०	रूपनाथ, श्री	बहादुरपुर
३५१	रूपनारायण, श्री	राबर्ट्सगंज

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३५२	लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	मांठ
३५३	लक्ष्मीशंकर, श्री	खेटहन
३५४	लटूरीसिंह, श्री	अलीगढ़
३५५	लाखन, श्री	पुरवा
३५६	लालकृष्ण कुमार पाल, श्री	बस्ती
३५७	लालन शर्मा, श्री	मल्लावां
३५८	लाल बहादुर, श्री	विलायालसी
३५९	वरमेश्वर पांडेय, श्री	वाराणसी (छावनी)
३६०	वसी नकवी, श्री	तिलोई
३६१	विजय कुमार त्रिपाठी, श्री	सरोजिनी नगर
३६२	विजय शंकर सिंह, श्री	मोहम्मदाबाद
३६३	बिपिन बिहारी तिवारी, श्री	लहरपुर
३६४	विशुन प्रताप सिंह, श्री	सादुल्लानगर
३६५	विश्वनाथ प्रसाद (उपनाम झींगन साहू), श्री	वाराणसी (उत्तर)
३६६	विश्वनाथसिंह, श्री	मुबारकपुर
३६७	विष्णु स्वरूप, श्री	मुजफ्फर नगर
३६८	वीर बहादुर, श्री	पनियारा
३६९	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	कान्धला
३७०	वीरेश्वर त्यागी, श्री	मेरठ छावनी
३७१	शंकरसिंह, चौधरी	कालपी
३७२	शकुन्तला देवी, श्रीमती	हरैंडर
३७३	शफकत जंग, श्री	कैराना
३७४	शब्बीर हसन, श्री	फतेहपुर
३७५	शमीम आलम, श्री	बुलन्दशहर
३७६	शराफत हुसैन रिजवी, श्री	अमरोहा
३७७	शशिभूषण सिंह, श्री	सरसोल
३७८	शिवगोपाल तिवारी, श्री	वांगरमऊ
३७९	शिवनाथ सिंह, श्री	कोड़ीहार
३८०	शिवमंगलसिंह, श्री	द्वावा
३८१	शिवराजसिंह, श्री	किशनी
३८२	शिवलाल, श्री	सियर
३८३	शिव शंकर सिंह, श्री	डलमऊ
३८४	शीतलादीन, श्री	करछना
३८५	शीतला प्रसाद सिंह, श्री	तरबगंज
३८६	शुगनचन्द मजदूर, श्री	जानसठ
३८७	श्यामलाल यादव, श्री	मुगलसराय
३८८	श्याम सिंह, श्री	विसौली
३८९	श्रीनाथ, श्री	मुहम्मदाबाद गोहना
३९०	श्रीनारायण तिवारी, श्री	कोपाचीट

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३९१	श्रीपति मिश्र, श्री	जैसिंहपुर
३९२	श्रीराम तिवारी, श्री	हसनगंज
३९३	श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)	लखनऊ (पश्चिम)
३९४	सईद अहमद, श्री	लक्सर
३९५	सत्यवीर, कुंवर	बिजनौर
३९६	सन्तू, श्री	हैसरबाजार
३९७	सरजू प्रसाद, श्री	मोदीनगर
३९८	सरदार सिंह, श्री	खतौली
३९९	सहदेवसिंह, श्री	भरथना
४००	सालिकराम, श्री	हरगांव
४०१	सिया राम, श्री	सोरी (अ० ज०)
४०२	सीताराम, डाक्टर	रुद्रपुर
४०३	सुक्खनलाल, श्री	गंगेश्वरी
४०४	सुखदेव, श्री	कांदीपुर
४०५	सुखदेव प्रसाद, श्री	तुलसीपुर
४०६	सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	बबीना
४०७	सुरेन्द्र विक्रम, श्री	तिलहर
४०८	सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री	लखनऊ (मध्य)
४०९	सोहनलाल, श्री	अमियापुर
४१०	सोहनलाल धुसिया, श्री	साऊघाट
४११	हरिगेन राम, श्री	भदोही
४१२	हरिहरनाथ अग्रवाल (उपनाम हरीबाबू), श्री	आगरा छावनी
४१३	हरिहर बख्श सिंह, राजा	शाहबाद
४१४	हरीदत्त कांडपाल, श्री	द्वाराहाट
४१५	हरीशकुमार गंगवार, श्री	भोजीपुर
४१६	हरीशचन्द्र, श्री	जरथावल
४१७	हरीशचन्द्र सिंह, श्री	दालगंज दातागंज
४१८	हरीसिंह, श्री	जेवरां (अ०ज०)
४१९	हरीसिंह, श्री	रोहटा (अ० ज०)
४२०	हिम्मत बहादुर, श्री	चिरईगांव
४२१	हिम्मतसिंह, श्री	डिबई
४२२	हुकुमसिंह, श्री	फतेहाबाद
४२३	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	बारा
४२४	होरीलाल यादव, श्री	उमर्दा
४२५	रिक्त	बांसगांव

अ० विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जगदीश शरण अग्रवाल, बी० ए०, एल-एल० बी०,

उपाध्यक्ष

श्री श्रीपति मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०,

सचिव, विधान मंडल

श्री गुरुशरण लाल श्रीवास्तव, एम० ए०, एल-एल० बी०, एच० जे० एस०

सचिव, विधान सभा

श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०,

सहायक सचिव

श्री कैलाश नाथ मेहरोत्रा,

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०, एल-एल० बी०,

समिति अधिकारी

श्री गिरधारी लाल, बी० ए०

अधीक्षक

श्री श्रीनाथ दीक्षित, बी० ए०, एल-एल० बी०

श्री उमा शंकर, बी० ए०

श्री हरिनन्दन शरण भटनागर, बी० काम०, एम० ए०, एल-एल० बी०,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा सचिवालय पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०१

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खाँ, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खाँ, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपालसिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
काशीनाथ श्री,
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपाल दत्त अ झा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सर्राफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखरसिंह श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्म सिंह श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्मश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री

रघवीर, श्री
रघवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेन्गर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
रूप नारायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)

बिश्वनाथ सिंह, श्री
बिष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजबी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतला दीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—उप-मुख्य मंत्री, श्री राम प्रकाश, उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह, परिवहन मन्त्री श्री मान सिंह वर्मा भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ जून, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बैकवर्ड स्कालरशिप के लिये इनकम टैक्स सर्टिफिकेट

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६६–६७ के लिये (पिछड़ी जाति) बैकवर्ड स्कालरशिप ही उन्हीं छात्रों को दिया गया है तथा दिया जा रहा है जिन्होंने एस० डी० ओ० से

इन्कम सर्टिफिकेट लेकर दिया है और उन छात्रों को नहीं दिया जा रहा है जो तहसीलदार, इंस्पेक्टर आफ स्कूल तथा दूसरे गजटेड आफिसरों से लेकर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार उन सभी विद्यार्थियों को स्कालरशिप देगी जिन्होंने गजटेड आफिसरों से इनकम सर्टिफिकेट दिया है ?

वन उपमंत्री (श्री अनन्त राम जायसवाल)—

जी हां। गलत आय बताकर छात्रवृत्ति लेने की कितनी ही शिकायतें प्राप्त हुई थीं। क्योंकि आय-व्ययक वर्ष समाप्त हो चुका है। अतः कोई प्रश्न नहीं उठता।

१९६७–६८ की छात्रवृत्तियों के लिये तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।

हरिजन कल्याण विभाग में उप-निदेशक तथा सहायक निदेशक

*२–श्री ऊदल—

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण विभाग में कितनी पोस्टें उपनिदेशक, सहायक निदेशकों की हैं जिन पर आज तक किसी का कन्फर्मेशन नहीं हुआ ऐसे पदों पर कौन-कौन लोग कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हरिजन कल्याण विभाग में इस समय एक पद उप-निदेशक तथा तीन पद सहायक निदेशकों के स्वीकृत हैं। इन पदों पर निम्नलिखित व्यक्ति उनके सम्मुख लिखी तिथियों से कार्य कर रहे हैं:

नाम		पद	तिथि
श्री शान्ति नारायण	..	उप निदेशक	१०–११–६१
श्री गोपी चन्द	..	सहायक निदेशक	१२–११–५६
श्री रामगोपाल निगम	..	,,	१०–११–६१
श्री निरंजनलाल कुरील	..	,,	१३–११–६१

श्री ऊदल—

क्या यह चारों महानुभाव अभी भी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं तो सरकार इनको स्थायी रूप में रखने की कृपा करेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि श्री शान्ति नारायण १०–११–६१ से, श्री राम गोपाल निगम १०–११–६१ से, श्री निरंजन लाल १३–११–६१ से कार्य कर रहे हैं। इनके मामले विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो सज्जन अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं क्या सरकार उनके स्थायी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या हरिजन सहायक विभाग के स्वयं रहने या न रहने पर ही इन पदों का स्थायी या अस्थायी रहना निर्भर करता है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

यह विभाग रहे या न रहे ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि इस विभाग को किसी दूसरे विभाग के साथ मर्ज कर दिया जाय ?

श्री राम प्रकाश--

सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मंत्री महोदय ने बताया कि यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है कि यह विभाग रहे या न रहे तो क्या सरकार ने आने वाले बजट वर्ष में इस विभाग को रखने का विचार किया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह उसमें स्पष्ट हो जाता है।

श्री ऊदल--

क्या यह सत्य है कि यह स्थायी करने का सवाल आज चार साल से विचाराधीन है ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां, यह प्रश्न कई वर्ष से विचाराधीन है। अब लोक सेवा आयोग और सरकार के मध्य बातचीत चल रही है उसके आधार पर ही उसका निर्णय होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इसमें अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

श्री राम प्रकाश--

इसके लिये कोई निश्चित समय बताना कठिन होगा।

[१६ जून, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले की सूखा संबंधी रिपोर्ट

*१--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष के भयंकर सूखे में अक्तूबर, नवम्बर, १९६६ में सरकार ने आजमगढ़ जिले में सूखे की भयंकरता का अन्दाजा लगा कर रिपोर्ट देने के लिये मन्त्रि-परिषद् के किसी सदस्य को भेजा था ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

राजस्व उप मंत्री (श्री राजेन्द्रसिंह यादव)--

जी हां। रिपोर्ट शासन के उपयोग के लिए थी। उसके किसी भी अंश को यहां पर बतलाना जनहित में नहीं होगा।

*२--श्री मुक्तिनाथ राय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उक्त समय मन्त्रि-परिषद् के सदस्य के समक्ष यह बतलाया गया था कि जिले में टांडा पम्प कैनाल की शाखायें फैली हुई हैं? किन्तु सूखे के समय एक दिन भी पानी नहीं मिला और लाखों मन फसल सूख कर बरबाद हो गयी ? यदि हां, तो नहरों को ठीक से पानी देने के निमित्त क्या सुझाव दिये गये थे ? सरकार ने इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

जी नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार टांडा नहर द्वारा खरीफ १३७४ फसली में ६,४७३ एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई की गई।

नहरों को पानी देने के निमित्त क्या सुझाव दिए गये इसकी जानकारी शासन को नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि यह रिपोर्ट शासन के उपयोग के लिये है तो उस रिपोर्ट को देखकर सरकार भविष्य में कौन से कार्य कर रही है जिससे जनता को सूखे से राहत मिल सके?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

वह रिपोर्ट एक मन्त्री की अवश्य आई थी लेकिन वह शासन से सम्बन्धित है इसलिये यह मुनासिब नहीं समझा गया कि उस की कोई बात बतलाई जाय।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

क्या यह सही है कि स्थिति इतनी भयंकर है कि अगर वह रिपोर्ट सामने रखी जाय तो उससे प्रदेश में काफी हलचल मच जायगी?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

यह बिलकुल सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं मन्त्री महोदय से इतना निवेदन करदूं कि जब मैं उनका आह्वान करूं तो तभी वह उत्तर देने के लिये खड़े हों क्योंकि मैं उत्तर देने के औचित्य को सोच कर ही उनको बुलाऊंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई है उस पर वर्तमान मन्त्री जी या मन्त्रि-परिषद् ने स्वयं भी कोई विचार किया है?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

जी हां, मैंने उसको खुद देखा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट को देखने के बाद मंत्री जी ने उसके सुझावों के लिये क्या-क्या कदम उठाने का निश्चय किया है?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

उसके अन्दर कोई ऐसे सुझाव नहीं थे जिनके लिये कोई नये कदम उठाने की जरूरत हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

क्या यह सही है कि मन्त्रि-परिषद् के जिन माननीय सदस्य ने रिपोर्ट भेजी है वह इतनी भयंकर है कि पूरी मन्त्रि-परिषद् उससे इत्तफाक नहीं करती इसलिये स्थिति को बताने में संकोच है?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय--

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बता सकेंगे कि उस रिपोर्ट में यह है कि स्थिति बहुत भयंकर नहीं है या स्थिति भयंकर है ? और क्या सुझाव दिये गये हैं इस पर मन्त्री जी प्रकाश डाल सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में दो दफा मन्त्री जी उत्तर दे चुके हैं कि वह जनहित में बताना मुनासिब नहीं समझते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, हम लोग आप की सहायता चाहते हैं। सूखे के सम्बन्ध में वह रिपोर्ट है कि क्या हालत जिले की है। उस सम्बन्ध में मन्त्री जी कहते हैं कि उसका बताना जनहित में उचित नहीं है। उसमें कोई विशेष बात भी नहीं है। यदि जनहित का नाम ले कर इस प्रकार की स्थिति को भी सदन में नहीं रखा जायगा तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं आप की सहायता चाहता हूं कि स्थिति की भयंकरता को देखते हुये मंत्री जी से आप उस रिपोर्ट को सदन के सामने रखायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बहुगुणा जी, आप से सहानुभूति रखते हुये भी मेरी कठिनाई है और वह कठिनाई यह है कि मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता कि कोई डाकूमेंट वह अवश्यमेव सदन के सामने रखे। अगर सरकार किसी डाकूमेंट को सदन की मेज पर रखना उचित नहीं समझती तो फिर यह उसका अधिकार है। मैं उसे बाध्य नहीं कर सकता। इसके लिये जो दूसरे संसदीय उपाय हैं उन का आप अनुसरण कर सकते हैं।

श्री गेंदासिंह--

मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्नों के संबंध में आप का यह निर्णय दे देना बहुत हानिकारक होगा मैं उस पर अपनी कोई राय नहीं प्रकट कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर सूखा अकाल, भूख से मरने या भूख से पीड़ित होने के प्रश्नों को गुप्त रखा जाय तो मैं समझता हूं कि न तो देश कुछ समझ सकेगा और न सदन ही कुछ समझ सकेगा। इसलिये इस प्रश्न पर आप विचार करें और फिर कोई निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गेंदा सिंह जी, यह अहितकर हो सके ऐसा हो सकता है लेकिन मेरी अपनी सीमायें हैं। मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। सदन उससे अपना जो इंफरेंस चाहे निकाल सकता है, जनता जो चाहे अपना इंफरेंस निकाल सकती है, लेकिन मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि वे किसी कागज को यहां रखें ही।

श्री ऊदल--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्रि परिषद् के सदस्य जिन्होंने यह रिपोर्ट दी थी उनका नाम क्या था और उन्होंने कब यह रिपोर्ट सरकार के पास भेजी ?

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)--

यह रिपोर्ट डाक्टर सीताराम जी ने दी थी और कब दी थी इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल--

अक्तूबर, १९६६ में जो सूखा पड़ा था यह रिपोर्ट उस के संबंध में थी, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इससे पहले जो सरकार थी उसने इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की अथवा नहीं ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

जितने कागजात मेरे पास उपलब्ध हैं उनके मुताबिक पिछली सरकार ने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रदेश के पूर्वी भागों में सूखे का बड़ा ज़ोर है, यह मुनासिब नहीं समझते कि इस रिपोर्ट को सदन के सामने रख दिया जाय ताकि लोगों को हालात मालूम हों और मुखालिफ पार्टी के लोग भी सरकार की सहायता इसमें कर सकें ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)--

मुझको कोई एतराज नहीं है उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने में।

श्री मुक्तिनाथ राय--

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि आजमगढ़ जिले की तीन तहसीलों में सूखे का प्रकोप है। सरकार ने उत्तर दिया है कि ६,४७५ एकड़ की सिंचाई हुई है यह नहर तीन तहसीलों में हो कर गयी है.....

श्री अध्यक्ष--

आप का प्रश्न मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। यह माइक आप की सेवा के लिए है ?

श्री मुक्तिनाथ राय--

सगड़ी तहसील में कितने हजार एकड़ की सिंचाई टांडा नहर से सूखा के जमाने में हुई ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री राममूर्ति--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री के आश्वासन के बाद हम यह समझें कि यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो प्रत्यक्ष है, समझने की बात नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मैं माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध प्रिविलेज की सूचना देता हूं। उन्होंने यह सदन को गलत सूचना दी कि यह रिपोर्ट जनहित के विरुद्ध है, बिना इसके पढ़े हुए, जबकि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि यह जनहित के विरुद्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई दो विरोधाभास करने वाले वाक्यात नहीं बतलाये गये। एक मंत्री की राय यह थी कि वह जनहित में नहीं है, मुख्य मन्त्री फिर भी उस को जनहित में रखना ठीक समझते हैं सदन के सामने। तो कोई विरोधाभास किन्हीं तथ्यों का नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

माननीय कृष्णानन्द जी ने जो नोटिस दिया है प्रिविलेज का उसके कारण तो बाद में मिल जायंगे। वह तो नोटिस दे रहे हैं, बाद में अगर आप उसको अनुचित समझेंगे तो स्वीकार न कीजियेगा वह तो नोटिस दे रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, वह रखें, उन्हें अधिकार है, लेकिन सदन के सामने जो बात हुई उसम कारण भी सदन के सामने हैं इसलिए मैंने उसका स्पष्टीकरण कर दिया।

नौगढ़ तहसील में ओलापीड़ितों को सहायता

*३--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख १४ मार्च, १९६७ को तहसील नौगढ़ (बस्ती) के कितने गांवों में ओलों की वर्षा हुई ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

६४ ग्रामों में ओले की वर्षा हुई।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या इन गांवों को जिनमें ओला वर्षा हुई है सरकार की तरफ से कोई सहायता नुकसान के संबंध में दी गयी है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री उदितनारायण शर्मा--

जितने गांवों में ओला पड़ा है उन सब को २५ लाख ८६ हजार (फिर कहा) २ लाख २ हजार ५२६ रुपये २३ पैसे, (फिर कहा) २ हजार ५८६ रुपये २३ पैसे दिये गये।

श्री अध्यक्ष--

आप मंत्री जी, फिगर को चेक अप कर लें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मंत्री जी कृपया पहले पढ़ कर माननीय मुख्य मन्त्री जी के यहां इम्तिहान दे लें, फिर यहां उत्तर दें तो ठीक होगा। (हंसी)

श्री रामनरेश शुक्ल--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सहायता कितने दिन बाद पहुंचायी गयी है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि २ हजार कितने रुपये की ग्रान्ट दी गई है, तो इस प्रकार ६४ गांवों को यह सहायता दी गई है और उसका औसत ३५ रुपये आता है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने फीसदी का नुक्सान हुआ है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

२०१ गांव में रबी की खड़ी फसल को नुक्सान हुआ है और यह नुक्सान ५० पैसे से अधिक हुआ है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मैं फिर यह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पढ़ लें कि यह ५ फीसदी या ५० फीसदी है क्योंकि पहले २५ लाख कहा, फिर ढाई हजार कहा। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न को स्थगित कर दें और जब माननीय मंत्री जी तैयार हो कर आयें तब इसे ले लें।

श्री अध्यक्ष---

अगर किसी प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट न हों तो उसके लिये अलग प्रक्रिया है, आप उसे अपना सकते हैं।

(श्री भुवनेश भूषण का नाम पुकारे जाने पर)

इटावा जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्ध में झगड़े

*४---श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (इन्टर कालेज) इस समय ऐसे हैं जिनके प्रबन्ध समिति की वैधानिकता को लेकर झगड़े सरकार के विचाराधीन हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

केवल दो।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य को पुकार चुका हूं, इसके बाद आप कह सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा---

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न वे उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसको देखूंगा।

श्री भुवनेशभूषण---

उन स्कूलों के नाम बता दीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

ज्वालाप्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय, इटावा तथा सनातन धर्म इन्टर कालेज, इटावा।

श्री भुवनेशभूषण---

यह जो झगड़ा चल रहा है क्या सरकार इसको निपटाने की कोशिश कर रही है?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जी हां, इस पर विचार हो रहा है।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---

यह झगड़ा कब से चल रहा है? अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह सन् १९६६-६७ से सरकार की जानकारी में आया है। इसमें शिक्षा निदेशक ने ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के लिये सरकार से सिफारिश की है जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन झगड़ों की सूचना माननीय मंत्री जी को १ अप्रैल, १९६७ के बाद प्राप्त हुई है या उसके पहिले ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसकी निश्चित तारीख उपलब्ध नहीं है, मंगाई जायगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामायण राय जी, ६६-६७ में १ अप्रैल, १९६७ उसके बाद आता है।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री ने ऐसी कोई नीति बनाई है कि जब ऐसे झगड़े विद्यालयों में सुनने को मिलें तभी आधी रात को पहुंच जायं और कागज सील कर लिये जायं, जैसा कि समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मोहनलाल गौतम--

अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमहोदय ने दो उत्तर दिये। एक यह कि शिकायत ६६-६७ में प्राप्त हुई और दूसरी यह कि निश्चित तारीख मालूम नहीं, वह मंगवाई जावेगी। जब मंत्री जी को तारीख ही नहीं मालूम है तो यह ६६-६७ का क्या आधार है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैंने निवेदन किया कि जो जानकारी उपलब्ध थी, उसी आधार पर मैंने जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

श्री सहदेवसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग ने कब यह सिफारिश की है कि वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाय ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जी हां, १२-३-१९६७ को।

श्री सहदेवसिंह--

अध्यक्ष महोदय, इटावा इन्टर कालेज के झगड़े सन् ६३ से चल रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामप्रकाश--

ये झगड़े बहुत दिनों से चल रहे हैं और इनको ठीक करने के लिये पहिले अनुदान रोक दिया गया और जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया गया कि वह अध्यापकों को वेतन बांट दिया करें। परन्तु अनुदान रोकने से भी उस विद्यालय में सुधार नहीं हुआ और इस कारण से शिक्षा निदेशक ने प्रशासक नियुक्त करने की सिफारिश की है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री सोहनलाल धुसिया--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था.....

श्री अध्यक्ष—

अगर प्रश्नों से सम्बन्धित व्यवस्था है तो वह प्रश्नों के ठीक समाप्त होने के बाद उठा ली जाय।

श्री सोहनलाल धुसिया—

श्रीमन्, हमें तो इस नये हाउस में नये कान्वैन्शन दिखाई पड़ रहे हैं। जिसका प्रश्न हो उस को आप मौका नहीं दे रहे हैं। हम अपने ऊपर यह ज्यादती समझेंगे। हम चाहेंगे कि पुराने कान्वैन्शन्स का पालन किया जाय। यह बस्ती जिले का प्रश्न था और हम वहां के निवासी हैं। आपने न तो मूल प्रश्नकर्त्ता को मौका दिया और न मुझे ही मौका दिया। मैं तो यही कहूंगा कि आप जान पहिचान के आदमियों को मौका देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा कि मेरे कार्य करने के तरीके पर भाषण दे सकें। अगर आपको असन्तोष है तो आप मेरे कक्ष में बतलावें। आप तो कांस्टीट्यूशन के पंडित हैं, आपके लिये यह अच्छा नहीं है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

यह आप मेरे ऊपर ज्यादती कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका इस तरह बारबार आक्षेप करना ठीक नहीं है। मैं अनुचित समझता हूं।

गोरखपुर जिले में ओला पीड़ितों को सहायता

*५—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री अवनीकुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत १४–१५ मार्च की रात्रि में गोरखपुर जिले में ओले गिरने से तीन-चौथाई फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो सरकार यहां के किसानों को क्या सहायता करने का विचार कर रही है?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

गोरखपुर जिले में कुल ९५४ ग्रामों में १४ मार्च, १९६७ की शाम को ओले गिरे जिससे २०१ ग्रामों में रबी की खड़ी फसलों को ५० पैसे से अधिक की क्षति हुई। मालगुजारी व तकावी आदि की वसूली स्थगित कर दी गई है। असहायों को गेहूं, कपड़ा, दुग्ध चूर्ण तथा बिस्कुट आदि का मुफ्त वितरण किया गया। नियमानुसार मालगुजारी में छूट भी दी जायगी।

श्री मधुकर दिघे—

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट यहां आई है वह पुराने मंत्रि-मंडल की है और उसके बाद कोई जांच नहीं हुई?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

सुना नहीं।

श्री मधुकर दिघे—

यह रिपोर्ट कब आई?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

१४–३–१९६७ को आई।

श्री गेंदासिंह—

क्या यह सही है कि जब तक रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है उस बीच में मालगुजारी की छूट देनेवाला हिस्सा वसूल हो रहा है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जहां तक मुझे ज्ञान है, ऐसा नहीं है।

श्री गेंदासिंह—

क्या सरकार निश्चित सूचना देने की कृपा करेगी कि इस समय मालगुजारी में छूट देने का प्रश्न सस्पेंडेड है या वसूली की जा रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जब तक आंकड़े तैयार नहीं हो जावेंगे तब तक कोई वसूली नहीं होगी और कोई वसूल नहीं हो रही है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

किस दिन वसूलयाबी सस्पेंड की गई और उसके बाद क्या कोई धन की सहायता दी गई है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

नोटिस चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

बांसगांव, फरेंदा, गोरखपुर, महाराजगंज तहसीलों में कितनी बरबादी हुई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

महाराजगंज में १४-३-१९६७ को ओले पड़े जिनका आकार बहुत छोटा होने से फसल को हानि नहीं हुई। फरेंदा में ६८ गांवों में १३७० एकड़ भूमि प्रभावित हुई। रबी की खड़ी फसल को १०-१५ पैसे तक क्षति पहुंची जो नहीं के बराबर है। २३-३-१९६७ को भी ओला पड़ा जिसका कुछ असर नहीं हुआ। तहसील सदर में १३,३०८ एकड़ भूमि में ओला पड़ा, जिसमें १०९ गांवों में खड़ी रबी को ५० पैसे के ऊपर और २७४ में ५० पैसे से कम नुक्सान पहुंचा। ५० पैसे से अधिक की क्षति में मालगुजारी, तकावी, आदि की वसूली स्थगित कर दी गई है। असहायों को मुफ्त गेहूं, कपड़ा, दुग्ध, बिस्कुट आदि वितरित किया गया और किया जा रहा है। छूट के प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। आंकड़े मिलने पर आगे कार्यवाही की जायगी। तहसील बांसगांव में ५०३ गांवों में १७,०४९ एकड़, भूमि पर ओले गिरे जिसके कारण ९२ गांवों में रबी की खड़ी फसल को ५० पैसे से अधिक क्षति पहुंची और ५११ गांवों में फसल को १२-४९ पैसे तक क्षति पहुंची। ५० पैसे से अधिक क्षति के गांवों में मालगुजारी, तकावी, आदि की वसूली स्थगित कर दी गई है। असहायों को मुफ्त कपड़ा, गेहूं, बिस्कुट आदि दिया जा रहा है और छूट संबंधी प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जिन गांवों में ५० पैसे से अधिक क्षति हुई है उनमें रेवेन्यू मैनुअल के मुताबिक सीधे लगान माफी के आदेश क्यों नहीं दिये गये ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि कागज तैयार हो रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि केन्द्रीय सरकार ने जो पूर्वी अभावग्रस्त क्षेत्र के लिये १०,००० क्विन्टल गेहूं दिया था वह फरवरी और मार्च के महीनों में कांग्रेस के नेताओं के और मुख्य मन्त्री सुचेता कृपालानी के क्षेत्रों में बांट दिया गया और इसलिये गेहूं नहीं बचा कि दूसरी जगहों में बांटा जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामायण राय—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिन इलाकों में ५० पैसे से ज्यादा क्षति हुई है उनमें भी लेवी की वसूली की जा रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

लेवी की वसूली किसी क्षेत्र के लिहाज से नहीं की जा रही है। खेत के हिसाब से की जा रही है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

जिन खेतों में ५० फीसदी से अधिक क्षति हुई है और अन्न पैदा ही नहीं हुआ उनसे क्यों वसूली की जा रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सब जानते हैं कि एक ही गांव में बहुत से खेत ऐसे होते हैं जहां ओला नहीं पड़ता है, उनसे की जा रही है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नयी सरकार ने इस बीच में क्या-क्या सहायता दी है, कुल कितना धन दिया गया है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सहायता की सही मिकदार के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री मोहनलाल गौतम—

क्या यह समझा जाय कि जिन खेतों में ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ, वहां की मालगुजारी माफ कर दी गयी है और उनसे लेवी नहीं ली जा रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जिन खेतों को नुकसान हुआ है, उन खेतों पर लेवी नहीं ली जा रही है ।

*६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

[स्थगित किया गया ।]

कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ में स्पेशल आडिट

*७—श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र (जिला आजमगढ़), श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़), (अनुपस्थित) श्री गंगा प्रसाद तथा श्री मारकण्डे (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६६–६७ में लखनऊ नगर के कान्यकुब्ज डिग्री कालेज तथा कान्यकुब्ज इन्टरमीडियेट कालेज के हिसाब-किताब का स्पेशल तथा रेगुलर आडिट कितनी-कितनी बार सरकार ने कराया है ?

श्री रामप्रकाश—

स्पेशल विभागीय आडिट सरकार द्वारा एक बार कराया गया । महासंख्यानक, उत्तर प्रदेश व परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश ने एक एक बार रेगुलर आडिट किया ।

*८—श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री भीमा प्रसाद, (अनुपस्थित) श्री गंगा प्रसाद तथा श्री मारकण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त आडिट किन शिकायतों पर हुआ और आडिट पार्टी की अन्तिम रिपोर्ट क्या है, उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ? और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामप्रकाश—

लेखा की अनियमितताओं इत्यादि की शिकायत पर स्पेशल विभागीय आडिट हुआ । स्पेशल आडिट की †रिपोर्ट संलग्न है । आपत्तियों को दूर कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री चन्द्रबली—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे आपत्तियां क्या हैं ?

श्री रामप्रकाश—

आपत्तियां आडिट की हैं । उसकी जो रिपोर्ट है वह बहुत बड़ी है ।

कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ के अध्यापकों का पत्रक

*९—श्री भीमा प्रसाद (अनुपस्थित) श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र तथा श्री मारकण्डे—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६७ की किसी तरीख को स्थानीय कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ के अध्यापक संघ का कोई प्रतिनिधि मन्डल उपशिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल, लखनऊ से अपने वेतन, वार्षिक वृद्धि इत्यादि कठिनाइयों के एक पत्रक के साथ मिला था ? यदि हां, तो उन्हें दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाया गया है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां । पत्रक में राज्य सरकार द्वारा १९६५ में स्वीकृत नवीन वेतन-क्रमों की धनराशि के भुगतान न होने, कुछ अध्यापकों के वेतन-क्रमों की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा कुछ का गलत वेतन निर्धारण होने की चर्चा है ।

अध्यापकों का वेतन निर्धारण नवीन वेतन-क्रम १९६५ में किया जा चुका है । कुछ अध्यापकों ने नवीन वेतन-क्रमों के वेतन वृद्धि की तिथि गलत भर दी है जिसके कारण उनका वेतन निर्धारण नहीं किया जा सका है । इस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले में ओला पीड़ितों को सहायता

*१०—श्री राम बेचन, (जिला आजमगढ़) श्री विश्नाथ सिंह, (जिला आजमगढ़) श्री अर्जुन (जिला आजमगढ़) तथा श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में गत १३–१४ मार्च, सन् १९६७ को भयंकर ओला वृष्टि से जिले के उत्तरी भाग की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है एवं घरों के खपरैल बिलकुल बरबाद हो गये हैं ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

जिला आजमगढ़ की तहसील सगड़ी तथा घोसी के उत्तरी भाग में १४ मार्च, १९६७ की रात को उपल वृष्टि हुई जिससे फसलों को क्षति पहुंची तथा घरों के खपरैल भी टूटे ।

---

†छापी नहीं गयी ।

*११—श्री रामबचन, श्री विश्वनाथ सिंह, श्री अर्जुन तथा श्री मुक्तिनाथ राय—

यदि हां, तो सरकार इसका पूर्ण ब्यौरा सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

फसल में क्षति का ब्योरा इस प्रकार है —

तहसील	ग्राम की संख्या जहां क्षति हुई	
	रुपये में ५० पैसे से कम रही	५० पैसे या उससे अधिक रही
घोसी	१४३	१०५
सगड़ी	३२	६९

उक्त दोनों तहसीलों में लगभग ७,३०४ घरों के खपरैल टूट गये ।

श्री रामबचन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिनके घरों की खपरैल टूट गयी हैं, उनको क्या सहायता दी गयी है ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

प्रभावित क्षेत्र की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये सगड़ी में ५ और घोसी तहसील में ६ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गईं और ४४३ व्यक्तियों को गल्ला देने के लिये राशन कार्ड भी दिये गये हैं । असहायों को खाने और कपड़े का भी प्रबन्ध किया गया है । ३१,०२५ रुपये की तकावी भी वितरित की गई ।

श्री गेंदासिंह—

क्या यह सही है कि जिन गांवों में ५० प्रतिशत या इस से नीचे रबी की क्षति हुई है उन में खरीफ की फसल भी बड़े पैमाने पर बरबाद हुई थी ? तो क्या ५० प्रतिशत से नीचे जो रबी बरबादी हुई है उनकी क्या सहायता सरकार करेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मालगुजारी में ८४,०१५ रुपया ४० पैसे की छूट का अनुमान है । छूट की असल रकम तो बाद में ही मालूम हो सकेगी ।

श्री गेंदासिंह—

यह बहस तो ५० प्रतिशत से ऊपर के लिये हुई लेकिन जहां खरीफ में भी नुकसान हुआ था और जहां ५० प्रतिशत से नीचे का रबी में भी नुकसान है वहां क्या सहायता देने का सरकार का विचार है ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

खरीफ के नुकसान के सम्बन्ध में तो कोई जानकारी नहीं है ।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे माननीय मित्र रेवेन्यू मैनुअल पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम हो जायगा । जिन सवालों का उत्तर कानून और नियमों के अन्दर है, अगर आप कहने की इजाजत दें, तो उन के लिये सवाल नहीं हो सकते । रेवेन्यू मैनुअल में रूल दिये हैं उन को पढ़ने की कोशिश करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रश्न उठाया है कि जो नियम बने हुये हैं उन के विषय में प्रश्न हो सकते हैं या नहीं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह देखना होता है कि सरकार नियमों के अनुसार काम करती है या नहीं और उस के लिये नियम रहते हुये भी माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह--

जिन इलाकों में खपरैल की छतें हैं और किसानों और खेतिहर मजदूरों की सब की खपरैल की छतों की क्षति हुई है, उन की छतें बरसात से पहले ठीक हो जायं इस दिशा में राजस्व विभाग ने क्या कदम उठाया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

इस के लिये २३ हजार रुपये की सहायता दी गई है ?

श्री रामनरेश शुक्ल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सामग्री यहां से वितरण के लिये भेजी गई है उसका वितरण ठीक से नहीं हुआ है, ? यदि हां, तो सरकार शीघ्र पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

शासन को इस की कोई सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

पूर्व इसके कि मैं यह विचार करूं कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये इजाजत दूं या न दूं, माननीय मंत्री जी जवाब दे देते हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि तकावी के अतिरिक्त कोई अनुदान भी दिया गया, विशेषतः उन स्थानों पर जहां पर खेतिहर मजदूर नहीं हैं, भूमिहीन मजदूर हैं और जिनकी क्षति हुई है, खपरैल आदि जहां पर उड़ गई हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

अनुदान नहीं दिया गया बल्कि तकावी दी गई ।

तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या पाठशाला, इटावा की अध्यापिकाओं का वेतन

*१२--श्री सहदेव सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या पाठशाला, इण्टर कालेज, इटावा की अध्यापिकाओं को १९६४ के ग्रीष्मावकाश का वेतन क्यों नहीं दिया गया जबकि १ जुलाई, १९६३ से अब तक वे निरन्तर उस विद्यालय में कार्य कर रही हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बोर्ड के परीक्षार्थियों की उपस्थिति में छूट

*१३--श्री देवीचरण अग्निहोत्री (जिला मथुरा)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट के परीक्षार्थियों की २५ दिन की उपस्थिति से विशेष छूट देने का कोई निर्णय लिया गया ? यदि

हां, तो, क्या उसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक तथा प्रधानाचार्य को भेज दी गयी ? यदि हां, तो कब भेजी गयी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां, १९६७ की परीक्षा के लिये शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट के परीक्षार्थियों की उपस्थिति में क्रमशः २५ दिन तथा २५ लेक्चर की कमी माफ करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया था । इसकी सूचना अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक १०—३—६७ को शासन द्वारा तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं संस्थाओं के प्रधानों को सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक १५—३—१९६७ को भेजी गई ।

श्री अध्यक्ष—

प्रधानों से आप का मतलब प्रधानाचार्यों से है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां, प्रधानाचार्यों से मतलब है ।

कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक

*१४—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में क्या वे कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक को पारित कराने जा रहे हैं ?

श्री रामप्रकाश—

यह विषय अभी विचाराधीन है ।

भावर क्षेत्र में नाजायज कब्जे

*१५—श्री रामदत्त (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के भावर क्षेत्र में नाजायज कब्जों को रेगुलराइज करने के कोई आदेश हाल ही में जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेश का तराई के कोलोनाइजेशन क्षेत्र में लागू न करने के क्या कारण हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इस प्रकार के आदेश २२ सितम्बर, १९६४ को जारी किये गये थे । Colonisation क्षेत्रों में स्थिति भिन्न है और वहां नाजायज कब्जों पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना है । अतः यह आदेश Colonisation क्षेत्रों में लागू नहीं किये गये हैं ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

*१६—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार को उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ अथवा उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की ओर से समान सेवा, समान वेतन की मांग प्राप्त हुई है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जी हां ।

*१७—श्री भगवतीसिंह विशारद—

यदि हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने इस मांग के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह अभी विचाराधीन है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो प्रश्न उनके सामने विचाराधीन है इस पर कब तक निर्णय देने का कृपा करेंगे ?

श्री रामप्रकाश—

शीघ्र ही निर्णय होगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन यहां इस सदन ने पास किया था उस में शिक्षा संस्थाओं में समान वेतन देने के सिद्धान्त को इस सदन ने स्वीकर कर लिया है ? यदि हां, तो कार्यान्वित करने में देर क्यों की जा रही है ?

श्री रामप्रकाश—

जो संशोधन स्वीकार किया गया था उसको कार्यान्वित करने के लियेपर्याप्त समय चाहिये। एक दिन के लिये वह संशोधन नहीं था । सरकार अपने कार्यकाल में उस संशोधन के अनुसार कार्यवाही करेगी यह समझना पर्याप्त होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मांग उन्हें किस तारीख को प्राप्त हुई ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मई १९६६ की २५ तथा २६ तारीख को लखनऊ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का एक सम्मेलन हुआ था जिस में यह प्रस्ताव पारित हुआ और यह मांग प्राप्त हुई ।

श्री नवलकिशोर—

मंत्री जी ने यह कहा कि यह जो अमेंन्डमेन्ट पास हुआ था एक दिन के वास्ते नहीं था । उस के वास्ते काफी समय चाहिये और यह सरकार अपने कार्यकाल में उसे पूरा करने की चेष्टा करेगी । मान्यवर, जो बजट होता है और गवर्नर का ऐड्रेस होता है यह हर साल के लिये हुआ करता है और हर दूसरे साल नया ऐड्रेस होता है । तो क्या सरकार बतायेगी कि जब बजट का पीरियड एक साल का होता है और गवर्नर का ऐड्रेस एक साल तक ही सीमित होता है तो यह जो उन्होंने कहा कि सरकार अपने कार्यकाल में पूरा करेगी तो या तो यह बतायें कि उन का कार्यकाल १ साल का है ? इस के बाद यह बतायें कि १ साल के अन्दर उस को पूरा कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इतनी इजाजत दे दूंगा क्या माननीय मंत्री इसको एक साल में पूरा करने की आशा रखते हैं ?

श्री रामप्रकाश—

जो संशोधन पारित हुआ था वह सरकार की नीतियों से सम्बन्धित था और इसीलिये किन नीतियों को स्वीकार करना चाहिये इस प्रकार का विषय उसमें रखा, था लेकिन हो सकता है कि एक वर्ष में भी वर्तमान सरकार उस पर अपना निर्णय ले लें ।

श्री मोहनलल गौतम—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वह इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि अध्यापकों को क्या वेतन तथा महंगाई-भत्ता दिया जाय तो क्या यह प्रश्न भी उनके सामने होगा कि इतना महंगाई-भत्ता उनको दिया जाय जितना सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है ?

श्री रामप्रकाश—

दोनों ही प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

उन नीतियों के कार्यान्वियन में जिनका सम्बन्ध अध्यापकों के वेतन से है वे कितना समय लेने वाले हैं, एक वर्ष, दो वर्ष अथवा तीन वर्ष ?

श्री अध्यक्ष—

उनका उत्तर है कि एक वर्ष के अन्दर भी हो सकता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं निश्चित उत्तर चाहता हूं ।

श्री रामप्रकाश—

कोशिश की जायगी कि शीघ्र इस बारे में निर्णय ले लिया जाय ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

यह मांग सरकार के सामने मार्च, १९६६ में की गयी थी और १ अप्रैल को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार की गयी । तो क्या मार्च, ६६ से १ अप्रैल, १९६७ तक इस मांग पर कोई विचार नहीं आहु था ?

श्री रामप्रकाश—

यह तो स्पष्ट इस बात से है कि कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया और इसी से यह पता चल जाता है कि कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

देहरादून जिले में ओला पीड़ितों को सहायता

*१८—श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देहरादून में १९६७ में ओला वृष्टि से कितना नुकसान हुआ है और कितने गांव प्रभावित हुये हैं ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

वर्ष १९६७ में देहरादून जिले में ४६५ ग्राम ओलावृष्टि से प्रभावित हुये जिनमें से ४६ ग्रामों में रबी १३७४ फसली की फसल को ५० पैसे या इससे अधिक की क्षति हुई ।

श्री गुलाबसिंह—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिन गांवों को ५० पैसे से अधिक क्षति हुई है उनको क्या सहायता दी गयी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

५० पैसे से अधिक क्षति वाले ग्रामों को मालगुजारी में ५२,३२६ रुपये ७४ पैसे की छूट दी गयी है और उनके लिये १५,४८५ रु० ५० पैसे मालगुजारी में प्रस्तावित छूट है ।

नोट—तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

मेरठ जिले में अध्यापकों को अतिरिक्त भत्ता

*१९--श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में अतिरिक्त भत्ता और सरकारी मान्यता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को अनुदान के रूप में मेरठ जिले में किन-किन संस्थाओं को दिया गया और कितना ?

*२०--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ जिले के हाई स्कूल व इंटरमीडियेट विद्यालयों के साथ लगी प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों को भी अतिरिक्त भत्ता वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अमरोहा-कांठ सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*२१--श्री जगतसिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला मुरादाबाद में अमरोहा से कांठ की सड़क जो कि कच्ची है जिससे यातायात में कठिनाई हो रही है उसे शीघ्र पक्की कराने की कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव)--

इस सड़क की कुल लम्बाई १४ मील ३ फरलांग है । अमरोहा की ओर से प्रथम तीन मील सीमेंट कांक्रीट ट्रेक के रूप में वर्तमान है । शेष भाग में से एक मील ६ फरलांग का निर्माण गन्ना मिल की सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है । इस सड़क के शेष कच्चे भाग को पक्का करने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

मछलीशहर-सुजानगंज सड़क

*२२--श्री देवीसेवक (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जौनपुर जिला में पटेल आयोग के अन्तर्गत मछलीशहर से सुजानगंज की सड़क जिस पर मिट्टी पड़ गई है और छोटे-छोटे पुल भी बन रहे हैं उसके सोलिंग तथा अन्य कार्यों को क्यों बन्द कर दिया गया तथा जो टेंडर हो गये थे उन्हें क्यों रद्द कर दिया गया जबकि उपरोक्त सड़क जनहित के लिये अत्यन्त आवश्यक सड़क है और उस क्षेत्र में केवल यही एक सड़क है ?

श्री मंगलदेव--

इस सड़क की कुल लम्बाई ९ मील २ फरलांग में से ९ मीलों में मिट्टी पड़ चुकी है । पूरी सड़क पर मिट्टी तथा पुलों का कार्य सम्पूर्ण होने पर सोलिंग कार्य शुरू किया जायगा । काम चालू है ।

गत वर्ष सोलिंग के टेंडर कुछ मीलों के लिये मांगे गये थे परन्तु धन की कमी के कारण और चूंकि पुलों का तथा मिट्टी का कार्य पूरा न हो सका इसलिये टेंडरों को नामंजूर कर दिया गया ।

आगरा महापालिका के अध्यापकों का महंगाई-भत्ता

*२३--श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर सन् १९६५ में जब आगरा महापालिका द्वारा अपने ही वित्तीय साधनों से अपने कर्मचारियों का (जिनमें अध्यापक

व अध्यापिकायें सम्मिलित थीं) २० रु० माहवार महंगाई भत्ता बढ़ाने का निश्चय किया गया तो सरकार ने अध्यापक तथा अध्यापिकाओं का महंगाई भत्ता बढ़ाने में क्या कोई आपत्ति की थी ?

श्री रामप्रकाश---

दिसम्बर, १९६५ में आगरा महापालिका ने अपने ही साधनों से अपने कर्मचारियों का (जिनमें अध्यापक भी थे) महंगाई भत्ता १० रु० प्रति माह बढाने का निश्चय किया था न कि २० रु० प्रतिमाह। किन्तु उक्त वृद्धि अध्यापकों पर लागू करने की स्वीकृति शासन ने नहीं दी।

*२४---श्री रमाशंकर अग्रवाल---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत कितने वर्षों से आगरे के स्वायत्त विभाग के अध्यापक व अध्यापिकाओं के वेतन-मान (ग्रेड) संशोधित नहीं किये गये हैं ? क्या सरकार का इरादा उनके वेतन-मान में संशोधन करने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामप्रकाश---

अध्यापक/अध्यापिकाओं के वेतनक्रमों में विगत ५ वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ है। वित्तीय साधनों को देखते हुए स्थानीय निकायों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के वेतन मान के पुनरीक्षित करने के विषय पर सम्प्रति शासन विचार करने में असमर्थ है।

गजरौला-डिलारी मार्ग पक्का करने की प्रार्थना

*२५---श्री अहमद उल्ला खां (जिला मुरादाबाद)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में स्थित गजरौला (दुराहा) डिलारी कच्चे मार्ग को जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है और अति कृषि विकसित क्षेत्र से गुजरता है, कब तक पक्का निर्माण करा दिया जावेगा ?

श्री मंगलदेव---

प्रश्नगत सड़क जिला परिषद् के अधीन है। इस समय इस सड़क को पक्का कराने की कोई योजना नहीं है।

किरावली तहसील में लगान वसूली में सख्ती की शिकायत

*२६---श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि सूखा से पीड़ित ग्राम साधन व फतेहपुर, तहसील किरावली, जिला आगरा के गरीब किसानों के साथ तहसील अधिकारियों ने तकावी वसूल करते समय मार्च, १९६७ के तृतीय सप्ताह में डंडे से मारपीट की तथा जेवर छीन लिये जिसकी लिखित इत्तिला जिलाधीश महोदय को भी दी जा चुकी है ? यदि हां तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कदम उठायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जिलाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम साधन व फतेहपुर, तहसील किरावली, जिला आगरा में किसी तहसील अधिकारी ने किसानों के साथ मारपीट नहीं की और न जेवरात छीने। शेष प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम समाज पटोहाकोट की परती भूमि

*२७—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री रामदुलारे (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज पटोहाकोट, पो० बरगदही, तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा की सैकड़ों एकड़ भूमि परती पड़ी है जिसके लिये रामपाती (ह०), गैजहबा, गोकुल बाबूराम, त्रिवेणी प्रसाद, बहादुर, फेरू, अंगनू ग्राम सेहरीना आदि १४ हरिजन भूमिहीनों ने गत सीजन के अवसर पर भूमि प्राप्त के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सैकड़ों एकड़ भूमि परती नहीं थी। केवल ५२.३५ एकड़ परती भूमि गांव सभा में निहित थी जिसमें से ११.९० एकड़ नियोजित विकास कार्यों के लिये सुरक्षित है तथा ४०.४५ एकड़ के पट्टे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किये जा चुके हैं।

रामपति आदि १४ व्यक्तियों में से केवल महीपत पासी को, जो पटोहाकोट का रहने वाला था, भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा १.६८ एकड़ भूमि दी गई है।

करवी तहसील में टेस्ट वर्क

*२८—श्री इन्द्रपाल (जिला बांदा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की करबी तथा मऊ तहसील में कहां-कहां टेस्ट वर्क चल रहे हैं तथा उसमें प्रति सप्ताह औसतन कितने आदमी काम करते हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

करवी तहसील में (१) नोनार, (२) सरधुवा, (३) चक जाफर, (४) चिल्लीमल स्थानों पर तालाब खोदने के टेस्ट वर्क चल रहे हैं जिन पर प्रति सप्ताह औसत हाजिरी १०६० आदमी की है। इस समय मऊ तहसील में कोई टेस्ट वर्क नहीं चल रहा है।

जिला विद्यालय निरीक्षक

*२९—श्री भुवनेशभूषण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं जिन्हें दिनांक ३१ मार्च, १९६७ को एक ही जिले में चार साल से अधिक समय हो गया ?

श्री रामप्रकाश—

केवल एक।

विधायकों के लिये आवास व्यवस्था

*३०—श्री रामचन्द्र आजाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २८ मार्च, १९६७ तक कितने विधान सभा के सदस्यों को विधायक निवास में स्थान एलाट किये गये और क्या कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्हें रहने के लिये अभी तक कोई स्थान एलाट नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मंगलदेव—

२८-३-६७ तक विधान सभा के ३३० सदस्यों को विधायक निवासों में कक्ष प्रदिष्ट कर दिये गये थे। अब ८-१० सदस्य ही ऐसे रह गये हैं जिन्हें कोई कक्ष प्रदिष्ट नहीं किया

गया है। इसका कारण कक्षों की कमी है। नियमानुकूल ऐसे सदस्यों को कोई कक्ष न मिल पाने तक निर्धारित प्रतिकर भत्ता मिलता रहेगा।

*३१—श्री रामचन्द्र आजाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दारुलशफा बी ब्लाक, बंगला नं० ५ को एलाटमेंट के लिये कितने प्रार्थना-पत्र उसे प्राप्त हुये और किन-किन तारीखों को तथा किसको एलाट किया गया ?

श्री मंगलदेव—

ऐसे सदस्य, जिन्होंने दारुलशफा बी ब्लाक, बंगला नं० ५ में भी कक्ष की मांग की थी, १८ हैं। इस बंगले में ४ कक्ष हैं। २ पुराने सदस्यों के पास थे और कक्ष नं० ४ श्री देवीप्रसाद मिश्र, सदस्य विधान परिषद् को दिनांक २८-३-६७ को व कक्ष नं० ३ श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य विधान सभा को दिनांक ३०-३-६७ को दिया गया था।

राजेन्द्रनगर, लखनऊ के क्वार्टरों में अनियमित आवास

*३२—श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या सरकार ने दिनांक ६ मई, १९६६ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में कहा था कि आवंटनी से बकाया किराये की वसूली एवं बेदखली की कार्यवाही की जा रही है? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस १० महीने के दौरान राजेन्द्र नगर कालोनी में क्वार्टर नं० डी-९/५ के आवंटनी से किराया वसूल हो गया और क्वार्टर खाली करवा कर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम आवंटन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगलदेव—

क्वार्टर नं० डी ९/५ के आवंटनी तथा उसमें रहने वाले सज्जन के प्रतिकूल किराये की वसूली तथा बेदखली की नोटिस की तामील की जा चुकी है, किन्तु उन्होंने उन आदेशों का पालन नहीं किया है। बलपूर्वक बकाये की वसूली व बेदखली के लिये उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है और उसे शीघ्रातिशीघ्र सम्पूर्ण करने का प्रयास किया जायगा।

मंझनपुर तहसील में किसानों की मांगे

*३३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के सैकड़ों किसानों की मांगें जिलाधीश, इलाहाबाद तथा परगना हाकिम, मंझनपुर के पास हाल ही में इस आशय की पहुंची हैं कि

(क) खड़ी फसल की जांच की जाय,

(ख) दाना, चारा की व्यवस्था शीघ्र की जाय,

(ग) पिछले बकाये तथा आज का लगान माफ करें,

(घ) टेस्ट वर्क अधिक चलायें जायं,

(ङ) राशन कार्ड सभी ग्राम वासियों को बनवायें। यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां । प्रश्नगत विषय से संबंधित कुल ५५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिन पर कार्यवाही की गई। जो कार्यवाही की गई उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

(क) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर अलग-अलग जांच की गई।

(ख) गल्ले की समुचित व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिये चारे की स्थिति सामान्य है।

(ग) रबी १३७४ फसली की मालगुजारी केवल उन्हीं खातेदारों से वसूल की जा रही है जिनकी हानि ५० पैसे से कम है। खरीफ १३७४ फसली के पिछले बकाया लगान की वसूली भी स्थगित है।

(घ) आवश्यकतानुसार तीन टेस्ट वर्क इस समय चलाये जा रहे हैं जिनमें प्रतिदिन की औसत उपस्थित ५,००० लोगों की है। भूमिहीनों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये राशन कार्ड बनवाये गये हैं।

बाड़ी—चड़रा सड़क

*३४—श्री जवाहिर लाल (जिला सीतापुर) तथा श्री बिपिन बिहारीतिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत बाड़ी से ग्राम चड़रा (तहसील मिश्रिख) तक जाने वाली सड़क को जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत हो चुकी है और जिसका सर्वेक्षण भी हो चुका है, कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री मंगलदेव—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

जीतामऊ के हरिजनों को भूमि न मिलना

*३५—श्री विपिनबिहारी तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जीतामऊ, विकास खंड लहरपुर, जिला सीतापुर में सीलिंग ऐक्ट द्वारा राज्य सरकार को कितनी भूमि प्राप्त हुई और कब ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

४.१६ एकड़ ।

सबसे पहले कब्जा ३० अगस्त, १९६२ को प्राप्त हुआ था पर अपील में नियत अधिकारी का आदेश रद्द हो गया और मुकदमा रिमांड कर दिया गया । दुबारा निर्णय के बाद शासन को कब्जा २७ जून, १९६६ को प्राप्त हुआ था ।

*३६—श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

क्या यह सही है कि उक्त भूमि जीतामऊ के निवासी हरिजनों के नाम की गई थी और उनसे इस भूमि का तीन वर्ष का लगान भी ले लिया गया था ? यदि हां, तो यह भूमि हरिजनों को क्यों नहीं दी गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पुरवा इन्टर कालेज के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*३७—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इंटर कालेज, पुरवा, जिला उन्नाव के अध्यापकों को चालू सत्र १९६६–६७ में एक मास का भी वेतन नहीं दिया गया जबकि इस संबंध में अध्यापकों द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई प्रार्थना-पत्र उक्त अवधि में भी दिये गये ? यदि हां, तो अध्यापकों को समस्त वेतन कब तक मिल जायेगा ?

श्री रामप्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सम्भल–अमरोहा सड़क

*३८—श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद की प्रमुख सड़क सम्भल से अमरोहा, जो कि कच्ची है जिससे यातायात की कठिनाई है, इसे पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मंगलदेव—

सम्भल से जोया तक सड़क कच्ची है और जोया से अमरोहा तक पक्की है। सम्भल से जोया तक सड़क को पक्का कराने की इस समय कोई योजना नहीं है।

श्री रणधीर सिंह, चकबन्दी अधिकारी, पहासू के विरुद्ध शिकायत

*३९—श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी अधिकारी पहासू (जिला बुलन्दशहर) के खिलाफ माह अक्तूबर, १९६६ में जिला बुलन्दशहर की किसी महिला ने अपने शीलभंग करने व जिले के अन्य नागरिकों से रिश्वत लेने के प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार व जिले के उच्च संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार व जिले के उच्च अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

माह अक्तूबर, १९६६ में श्री रणधीर सिंह, चकबन्दी अधिकारी, पहासू के विरुद्ध किसी महिला द्वारा अपने शीलभंग किये जाने के संबंध में दिया गया कोई प्रार्थना-पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ। परन्तु रिश्वत लेने के संबंध में दो प्रार्थना-पत्र चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुये थे। इसी प्रकार के आरोपों पर कुछ समय पूर्व जांच कराई गई थी जिससे रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। कुछ अनियमिततायें चकबन्दी अधिकारी के कार्य में अवश्य पाई गई थी जिसके कारण उनका स्थानान्तरण जौनपुर कर दिया गया है तथा चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश भी दिये गये हैं।

जिला परिषद्, बरेली के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*४०—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले कई मास से जिला परिषद् बरेली के अध्यापक वर्ग को वेतन नहीं मिला है जबकि संबंधित अनुदान परिषद् को सरकार द्वारा दिया जा चुका है ?

श्री रामप्रकाश—

शासन को सूचित किया गया है कि ३१ मार्च, १९६७ तक का वेतन समस्त अध्यापकों को भुगतान किया जा चुका है।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के निकट सड़क की आवश्यकता

*४१—श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पार भूड़ भारत नगर में बसी लगभग १५,००० जन-संख्या के लिये आने-जाने के लिये सड़क के निर्माण कराने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्माण आरम्भ होगा ?

श्री मंगलदेव—

जो सूचना एकत्रित की गई है उससे यह प्रतीत होती है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। अतः और सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पीलीभीत जिले में विस्थापित परिवार

*४२—श्री बाबूराम (जिला पीलीभीत)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिले में पूर्वी बंगाल से आये ये कितने विस्थापित बसे हुये हैं तथा उन्हें सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

१,३७० विस्थापित परिवारों (लगभग ६,८५० व्यक्ति) को बसाया गया है । इनको खेतिहर भूमि, मकान, कृषक, ऋण एवं पोषण भत्ता दिया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी प्रदान की गई हैं जैसा कि पीने के पानी के कुयें, औषधालय, महिला-शिशु पालन केंद्र, विद्यालय, सिंचाई एवं सड़क एवं पशु सेवा केन्द्र इत्यादि ।

इसके अतिरिक्त २५१ नये विस्थापित परिवार भी अब तक यहां भूमि पर बसाने के लिये भेजे जा चुके हैं।

गांधी इंटर कालेज, सिकन्दरपुर, बलिया का अनुदान बन्द होना

*४३—श्री शिवलाल (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत गांधी इंटर कालेज, सिकन्दरपुर बलिया का एड (अनुदान) हाल ही में बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री रामप्रकाश—

गांधी इंटर कालेज, सिकन्दरपुर, बलिया के प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनेक अनियमितताओं के कारण इस विद्यालय का अनुदान सितम्बर, १९६५ में रोक दिया गया था ।

*४४—श्री शिवलाल—

क्या यह सही है कि पिछले साल बलिया जिले के सात विधायकों ने अपने हस्ताक्षर से उक्त विद्यालय में गबन के संबंध में कोई शिकायती पत्र शिक्षा मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो जांच पर कौन-कौन सी शिकायतें मिलीं और सरकार द्वारा अपराध करने वाले के विरुद्ध कौन-सी कानूनी कार्यवाही की गई ?

श्री रामप्रकाश—

जी हां । जांच पर निम्नलिखित शिकायतें मिलीं ।

१—ऐसे अध्यापकों, लिपिकों तथा अवर कर्मचारियों के नाम से वेतन और महंगाई भत्ते का गबन जो संस्था में कार्य नहीं करते थे ।

२—हरिजन छात्रों के शुल्क की क्षतिपूर्ति का धन तथा लाइब्रेरी अनुदान का दुरुपयोग ।

इन कारणों से इस विद्यालय का अनुदान रोक दिया गया और विद्यालय में प्रशासक की नियुक्ति के लिये कार्यवाही की जा रही है । विद्यालय का आडिट भी कराया गया ।

जे० टी० सी० तथा एच० टी० सी० अध्यापकों का ग्रेड

*४५—श्री रामसजीवन (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे० टी० सी० तथा एच० टी० सी० ट्रेनिंग किये हुये अध्यापकों की तनख्वाह का ग्रेड तथा महंगाई कितना सरकार ने निश्चित करके प्रदेश के जिला परिषदों को देने का आदेश दिया है ?

श्री रामप्रकाश—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०२ पर)

*४६—श्री रामसजीवन तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला परिषदों में जो अन्ट्रेन्ड अध्यापक रखे गये हैं, उनकी तनख्वाह तथा मंहगाई का रेट सरकार ने क्या निर्धारित करके जिला परिषदों को भेजा है ?

श्री रामप्रकाश—

प्रशिक्षित अध्यापकों को ४० रु० प्रतिमास निश्चित वेतन तथा ५० रु० प्रतिमास महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर

*४७—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सरकारी क्वार्टर दिये गये और कितनों को क्वार्टर नहीं दिये गये है उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलदेव—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०३ पर)

*४८—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये उनको नये क्वार्टर बनवा कर देने की योजना सरकार ने स्वीकार की थी ? यदि हां, तो कब तक यह क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

श्री मंगलदेव—

सन् १९६२ से लखनऊ में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आवास के लिये २०० क्वार्टरों का निर्माण स्वीकृत हुआ था । वित्तीय कठिनाई व उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण इनका बनना अब तक संभव न हो सका ।

आगरा–जलेसर सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*४९—श्री रामप्रसाद (जिला आगरा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरा से जो सड़क टेढ़ी बगिया (आगरा) से जलेसर (जिला एट) से मिलती है काफी दिनों से खराब दशा में है और जिला परिषद् इस सड़क को पी० डब्लू० डी० विभाग को काफी समय हुआ दे चुका है? क्या सरकार इस सड़क को शीघ्र पक्की कराने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलदेव—

यह सड़क जिला परिषद् के अधीन है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई योजना इस सड़क को पक्का कराने की नहीं है।

आजमगढ़ जिले में किसानों को सहायता

*५०—श्री नरवदेश्वर (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले का विभिन्न तहसीलों विशेषकर सगड़ी तहसील में बाढ़ और अति वृष्टि से १३७२ तथा १३७३ फसली में किसानों की फसलें तबाह और बरबाद हो गई थीं ? यदि हां, तो उसकी क्षति कुल कितनी हुई तथा सरकार की ओर से क्या-क्या सहायता पीड़ित किसानों को दी गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

आजमगढ़ जिले में खरीफ १३७२ फ० में बाढ़ जलप्लावन तथा अतिवृष्टि के कारण ४,४७७ गांवों में क्षति पहुंची थी। सगड़ी तहसील में केवल १४८ गांव प्रभावित हुए थे। ४,४७७ गांवों में से २ ४१६ गांवों में ५० पैसे या उससे अधिक की क्षति हुई थी इसमें सगड़ी तहसील के १४८ गांव शामिल थे। इन गांवों में ३,५८,३६७.५७ रु० की मालगुजारी की वसूली का स्थगन रबी १३७२ फ० की वसूली तक कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ११,६०७ रु० अहेतुक सहायता के रूप में तथा १,२६,८२० रु० तकावी के रूप में प्रभावित व्यक्तियों में बांटे गये थे। शासन की ओर से चना, नमक, मिट्टी का तेल व दियासलाई सहायता के रूप में बांटी गयी। सन् १३७३ फ० में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ। अतः किसी प्रकार की सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

काजीटोला घाट के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत

*५१—श्री बृजमोहनदास अग्रवाल (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार को पता है कि गाजीपुर जिले के काजीटोला घाट का ठेका सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिस ठेकेदार को दिया गया है वह निर्धारित रेट से अधिक भाड़ा यात्रियों से वसूल किया करता है ? यदि हां, तो मंत्री जी मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलदेव—

गाजीपुर जिले के काजीटोला घाट के ठेकेदार के विरुद्ध निर्धारित रेट से अधिक भाड़ा यात्रियों से वसूल करने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी संबंधित अधिकारियों को उस घाट पर अधिक देख-रेख करने का आदेश दे दिया गया है।

*५२–५३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

[स्पष्टीकरण की प्राप्त हेतु हटा दिया गया।]

गोरखपुर जिले में नई सड़कें

*५४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में अलवनपार से हाटा, बड़गों, भोटी समय स्थान होकर बड़हलगंज गोलाबाजार सड़क से मिलाने के लिये कोई सड़क निकालने की व्यवस्था करेगी जिससे देवरिया जिले में रुद्रपुर-नगवा सड़क को मिलाया जा सके ?

श्री मंगलदेव—

इस समय ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन-क्रम

*५५—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले लिपिकों तथा पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन दरों में सन् १९४७ के उपरान्त आज तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामप्रकाश—

जी हां। इसका कारण यह है कि १९४७ के बाद केवल एक बार १९५९ में गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण किया गया था और उस समय सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के लिपिकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन क्रम लगभग बराबर माने गये थे। उसके उपरान्त इनके वेतन क्रमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

दारागंज-झूसी पुल

*५६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद में दारागंज से झूंसी तक पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब से आरम्भ होगा ?

श्री मंगलदेव—

जी हां ।

इस पुल के निर्माण का कार्य २८ फरवरी, १९६६ से आरम्भ हो गया है ।

*५७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त पुल बनाने का कितने धन का इस्टीमेट है और उसको बनाने के लिये क्या कोई टेन्डर मंजूर हुआ है ? यदि हां, तो कितने का ?

श्री मंगल देव विशारद—

इस पुल का स्वीकृत मूल्य निरूपण (एस्टीमेट) २२५.४७ लाख रुपया है । इसके निर्माण कार्य का टेन्डर २०७.१० लाख रुपये का स्वीकार किया गया है ।

बेहट-शाकुम्बर देवी मार्ग

*५८—श्री मुल्कीराज (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि सहारनपुर जिले में बेहट से शाकुम्बर देवी तक ७ मील की एक कच्ची सड़क है जिस पर प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में ३ मील तक मिट्टी जमा भी की गई थी पर फिर उठा ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मंगलदेव—

प्रश्नगत सड़क जिला परिषद् के अधीन है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इससे संबंधित नहीं है।

*५९—श्री मुल्कीराज—

क्या सरकार बतायेगी कि चूंकि शाकुम्बर देवी का मेला उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा मेला है इस महत्वपूर्ण सड़क को क्या अब पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलदेव—

जी नहीं।

लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*६०—श्री ऊदल—

क्या सरकार लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट को बदल कर मुआविजे की दर को आज के बाजार रेट पर करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में अध्याप्त की गई भूमि का प्रतिकर बाजार दर के आधार पर दिये जाने का ही प्राविधान है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

निगोही क्षेत्र के किसानों का मांग-पत्र

*६१—श्री रामनाथ दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि दिनांक पहली नवम्बर, १९६६ ई० तथा १० मार्च, १९६७ ई० को निगोही क्षेत्र, जिला शाहजहांपुर के किसानों ने सूखे तथा सिंचाई आदि की दुर्व्यवस्था के संबंध में कचहरी में कोई प्रदर्शन किया और जिला मैजिस्ट्रेट को कोई मांग-पत्र तथा स्मरण-पत्र दिया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

शिक्षा मंत्री निधि से धन वितरण

*६२—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा माह जनवरी से १९६७ तक अपने विवेक निधि से कितना धन वितरित किया गया है ?

श्री रामप्रकाश—

२०,१७० रुपये।

नैनीताल जिले में आग लगने से क्षति

*६३—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि माह अप्रैल, १९६७ में जिला नैनीताल की तहसील किच्छा व हल्द्वानी के कई ग्रामीणों के घर आग लगने से भस्म हो गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई और इसके लिये सरकार द्वारा अब तक क्या मदद जनता को की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ कलेक्टरी में बार-एसोसिएशन की व्यवस्था न होना

*६४—श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में नवनिर्मित कलेक्टरी भवन में वकीलों के बार-एसोसिएशन की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां ।

*६५—श्री बद्रीप्रसाद अवस्थी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में कलेक्टरी कचेहरी में वकील घर की व्यवस्था हेतु लखनऊ लाइयर्स एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा कोई स्मृति-पत्र न्याय मंत्री को नवम्बर अथवा सितम्बर, १९६६ में मिला ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

बार एसोसिएशन, लखनऊ से सितम्बर १९६६ में कोई पत्र नहीं मिला था लेकिन जून और अक्तूबर, १९६६ में ऐसे पत्र आये थे । उन पर सरकार ने निर्णय लिया था कि एसोसिएशन को कोई सरकारी स्थान कलेक्टरी में एलाट नहीं किया जा सकता, लेकिन मामूली किराये पर उन्हें अपना भवन बनाने के लिये जमीन दी जा सकती है । तब तक के लिये एसोसिएशन को उचित किराये पर कैन्टीन वाला कमरा दे देने के आदेश जिलाधिकारी को भेज दिये गये हैं ।

अतारांकित प्रश्न

काशीपुर में डिग्री कालेज के लिये धन-संग्रह

१—श्री रामदत्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार काशीपुर (नैनीताल) में डिग्री कालेज की स्थापना करने जा रही है ? उपरोक्त डिग्री कालेज की स्थापना हेतु काशीपुर केन सोसाइटी, शुगर फैक्टरी और काशीपुर की जनता ने कुल मिलाकर कितनी धनराशि एकत्रित की है और उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य में कितना धन सहायतार्थ देगी ?

श्री रामप्रकाश—

जी नहीं । वर्ष १९६३-६४ में केन यूनियन, काशीपुर ने १,१६,००० रु० एकत्रित किया था । प्राइवेट डिग्री कालेज की स्थापना हेतु शासन कोई आर्थिक सहायता नहीं देता ।

शिवाजी इन्टर कालेज, सहसों के अध्यापकों का वेतन

२—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि शिवाजी इन्टर कालेज, सहसों, जिला इलाहाबाद के अध्यापकों को उनके निर्धारित वेतन क्रम से कम वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

३—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित विषय से संबंधित कोई शिकायती-पत्र भी उक्त विद्यालय के अध्यापकों ने सरकार को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामप्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है।

४--श्री भुवनेशभूषण--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

५--श्री रामदत्त--

[१ले सोमवार में प्र० सं० ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नैनीताल जिले में बंगाली हरिजन शरणार्थी

६--श्री रामदत्त--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले की तराई में सरकार द्वारा बसाये गये बंगाली शरणार्थी जो नमःशूद्र हरिजन हैं, उन्हें अभी तक अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री रामप्रकाश--

जी हां।

बंगाली हरिजन शरणार्थियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को अपनी सिफारिश भेज दी है। भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधो नारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ माननीय सदन को यह सूचित करना है कि हमारे सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लोटनराम जो कि उरई क्षेत्र से यहां आते थे उनका देहान्त हो गया है। वह सन् १९४६ से लेकर सन् १९५२ तक इस विधान सभा के सदस्य रहे। १९५२ में उन्होंने स्वयं ही फिर खड़े होने से इन्कार कर दिया या इस्तीफा दे दिया। सन् १९४० और १९४२ में वे दो बार देश के खातिर जेल भी गये। हरिजन उत्थान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया था। मैं, संयुक्त विधायक दल, इस सदन की ओर से और अपनी ओर से उनके संतप्त परिवार के साथ समवेदना प्रकट कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक ही नहीं बल्कि हमारे दो और सदस्य, एक तो जो पहले सदस्य रह चुके थे और एक जो हमारे नौजवान सदस्य थे, उनका भी निधन हो गया है। श्री रामेश्वर सहाय जी एक बहुत पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे। उन्होंने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद या अपनी स्टडीज समाप्त करने के बाद अंग्रेजों की नौकरी शुरू में करना पसन्द किया और ८ साल तक एस० डी० आई० रहे। लेकिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिन्दी के संबंध में आन्दोलन किया जिसमें उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की, तो ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने उनको उस दिलचस्पी को लेने से रोका। इस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सन् १९२५ में वह बनारस म्युनिसिपल बोर्ड में एजूकेशन सुपरिटेन्डेन्ट के पद पर नियुक्त हो गये। उस पद पर काम करते हुये भी वे बराबर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते रहे और कई बार जेल यात्रा की। सन् १९४६ में वह हरदोई जिले से इस सदन के मेम्बर चुने गये और कुछ दिनों तक पोलिटिकल पेंशन्स और प्राइमरी टेस्ट बुक्स के संबंध में विशेष अधिकारी का काम करते रहे। सन्

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

१९५२ के बाद गालिबन वह मेम्बर नहीं रहे और वे वृद्ध हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी जनसेवा के कार्य में रत रहे, मसलन स्वामी रामतीर्थ प्रतिष्ठान में वे १९६२ तक दिलचस्पी लेते रहे। १९६२ से उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया और अभी हाल में उनका निधन हो गया। वे हमारे पुराने जनसेवकों में से थे जिनकी पंक्ति धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। मैं उनके संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ भी इस सदन की, संयुक्त विधायक दल की ओर से और अपनी ओर से समवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इस समवेदना को आप उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा देंगे।

अभी सबसे बड़े दुख की बात यह है, यों तो सभी इन्सानों को एक दिन यहां से जाना है, हमारे माननीय लोटनराम जी और रामेश्वर सहाय जी की आयु काफी हो चुकी थी लेकिन एक नौजवान जगदीशसिंह जी, जिनकी आयु मुश्किल से ३० वर्ष की होगी, जो फरवरी के महीने में इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुये थे, बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे और २,३ बार आन्दोलन में जेल भी जा चुके थे, जो आन्दोलन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने चलाया था उसके वे सदस्य थे, उसमें भी उन्होंने अपने मन्तव्य के अनुसार कुर्बानी की और जेल गये, वे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनका भी निधन हो गया है। मुझको इसके लिये विशेष दुख है और मैं चाहता हूं कि उनके संतप्त परिवार को हम सब लोगों की तरफ से आप समवेदना पहुंचा दें।

(श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा श्री माधोनारायण मुद्गल के निधन की सूचना देने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय माधोनारायण मुद्गल के निधन के संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं थी।

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझे सूचना नहीं है। लेकिन गुप्ता जी बता रहे हैं तो सही है। वह भी बहुत पुराने, मैनपुरी के कार्यक्षेत्र में जनसेवी थे। उन्होंने बहुत काम किया और अनेक बार जेल गये। वह हमारे सदन के एक से अधिक बार सदस्य रह चुके हैं और विधान परिषद् के भी सदस्य थे। उनके जाने से भी मैनपुरी के सार्वजनिक जीवन को बहुत क्षति पहुंची है और मेरी इच्छा है कि आप हम सबकी समवेदना उनके संतप्त परिवार को पहुंचा दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष, महोदय, मैं अपने को उन विचारों से संबंध करता हूं जो माननीय नेता सदन ने इन चार व्यक्तियों के बारे में प्रकट किये हैं जो अब इस संसार में नहीं है। माननीय लोटनराम जी, रामेश्वर सहाय जी, माधोनारायण मुद्गल और जगदीश सिंह जी हमारे प्रदेश के उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से थे जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में सेवा करके जनता के कष्टों को मिटाने की चेष्टा की। माननीय लोटनराम जी जैसा कि माननीय नेता सदन ने बताया है इस सदन के दो बार सदस्य चुने गये। पहली बार १९३७ में चुने गये और दूसरी बार १९४६ में चुने गये। वे बुन्देलखंड के इलाके में हरिजन कार्यकर्ताओं में प्रमुख कार्यकर्ता थे और उन्होंने हरिजनों की सेवा में अपना समय व्यतीत किया। आजादी की लड़ाई में भी, जैसा कि नेता सदन ने बताया वह दो मर्तबा जेल गये और उन्होंने अपने जीवन से ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने बहुतों को देश के कार्य के लिये आमंत्रित किया।

श्री रामेश्वर सहाय जी हमारे प्रदेश के उन कार्यकर्ताओं में और नेताओं में रहे जिन्होंने १९२० से ही सरकारी नौकरी छोड़कर जब गांधी जी का आन्दोलन चल रहा था तब उसमें कार्य करना स्वीकार किया। १९२२ में वे जेल गये और १९२५ में जेल से लौटने के बाद बनारस नगरपालिका में शिक्षा विभाग में सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हुये और उसके बाद उत्तरोत्तर सार्वजनिक कार्यों में दिलचस्पी लेते रहे। वे १९४६ में हरदोई जिले से इस सदन के विधायक चुन कर आये थे और उसके उपरान्त उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तथा राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन इत्यादि

के विषय में और उनसे संबंधित कार्यों में अपनी सेवायें सरकार को अर्पित की थीं। उसके बाद उन्होंने अपने को उस कार्य में जुटाया जो कार्य हमारी पुरानी संस्कृत को पुनर्जीवित करने वाला था। रामतीर्थ प्रान्तीय लीग के वह प्रमुख कार्यकर्ता चुने गये। और लीग के तत्वावधान में उन्होंने रामतीर्थ की रचनाओं और भाषाओं को छपवाया और उनके प्रसार को बढ़ाया और एक संस्थान की बनारस में रचना की। वे जीवन पर्यन्त सार्वजनिक जीवन में कार्य करते रहे। दो वर्ष पूर्व उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब से उन्होंने उस संस्थान स अपने को अलहदा कर लिया। बिस्तर पर रहते हुये भी उसके कार्य के संचालन में वह दिलचस्पी लेते रहे।

माननीय मुद्गल जी मैनपुरी जिले के सार्वजनिक नेताओं में रहे। उन्होंने विभिन्न समयों में जेल की यातनायें सहीं और जिले के सार्वजनिक जीवन के उत्थान में समय दिया। वे इस सदन के दो मर्तवा सदस्य चुने गये। उनकी रुचि केवल सार्वजनिक कार्यों में ही नहीं थी, वे सांस्कृतिक कार्यों में भी दिलचस्पी लेते थे।

माननीय जगदीश सिंह जी नवयुवक थे। उन्होंने थोड़े ही समय पूर्व अपना सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ किया था। वे युवाकाल में ही इस सदन के सदस्य चुने गये। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सदन में हिस्सा लेने से पूर्व ही वे हमारे बीच से सदा के लिये उठ गये। हम सब उनके संसार से चले जाने पर दुखी हैं।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि कांग्रेस दल की ओर से भी आप इन महानुभावों के दुखी परिवारों के प्रति हमारे दल की समवेदनायें भेज दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन विभूतियां की आत्मा को वह शान्ति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और सदस्यगण, मुझे खेद है कि जब आज हम वर्षाकालीन सत्र के पहले दिन यहां एकत्र हुये, हमारे प्रदेश के चार प्रमुख जन सेवकों के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। उनमें से दो से, श्री रामेश्वर सहाय सिनहा और श्री मुद्गल से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित था। श्री लोटनराम और श्री जगदीश सिंह से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं था। लेकिन उनकी प्रतिभा की बात मैंने भी सुनी। यह पहले तीन व्यक्ति श्री लोटनराम, श्री मुद्गल और श्री रामेश्वर सहाय जी सिनहा हमारे सदन के सदस्य पहले रह चुके हैं जिन्होंने जीवन में बड़ी उपयोगी जन सेवा की। जो हमारे प्रदेश के हृदय पटल पर बहुत समय तक अंकित रहेगी। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा यह जगदीश सिंह तो अभी एक अधिखिली कली की तरह से थे, जो अभी नौजवान थे और अभी चुनकर आये थे। उनसे अभी हमारी विधान सभा को और प्रदेश को लाभ नहीं मिल पाया था कि ऐसे ही समय में वह हमसे अलग हो गये। माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं और मैं इन सब सदस्यों के संतप्त परिवारों को नेता सदन, नेता विरोधी दल, इस सदन और अपनी ओर से समवेदना पहुंचा दूंगा।

अब हम एक मिनट मौन खड़े होकर प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक मिनट के लिये खड़े हुये।)

सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्यसूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानक रूप से गठित न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी व्यवस्था किस विषय में है?

श्री अब्दुल मुईज खाँ—

मेरा तो कहना यह है कि इस सरकार को सरकार के रूप में इस सदन में काम करने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है यही मैं अपनी व्यवस्था में बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

हमारी जो प्रक्रिया नियमावली है उसमें कुछ क्रम दिये हैं, उस क्रम के अनुसार ही हम इस सदन में अपना काम चलाते हैं और उसी क्रमानुसार मैं सदन का काम ले रहा हूं।

श्री अब्दुल मुईज खाँ—

प्रश्नों के समय में आपने कहा था—आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये, हो सकता है कि आप हमारी बात से सहमत न हों। लेकिन यहां पर बड़ी गलती हुई है, इस सरकार को काम करने का हक ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप को कोई ऐसी भयंकर सम्भावना थी तो आप नियमों का अध्ययन करके पहले ही इसे मेरे पास भेज देते।

श्री अब्दुल मुईज खाँ—

मैं सदन में रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बताइये तो किस प्रक्रिया के अन्तर्गत इसे लूं। मैं तो चाहूंगा कि आप बैठ जाइये और नियम से सदन की कार्यवाही चलने दीजिये। हो सकता है उस क्रम के अनुसार आपकी व्यवस्था के प्रश्न का समाधान हो जाए।

श्री अब्दुल मुईज खाँ—

मेरी आपत्ति सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

क्रम से काम चलने दीजिये, उसी में सम्भव है आपकी शंकाओं का समाधान हो जाए। इसलिये आप देखें और इस कार्यक्रम के बाद भी यदि आपकी व्यवस्था में कुछ औचित्य होगा तो देखूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

कार्यक्रम के विषय में मुझे एक प्रश्न उठाना है। जो कार्यक्रम हमारे सामने उपस्थित किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। पहले विधान सभा की बैठक ३ अप्रैल के लिये निश्चित हुई थी। और तीन अप्रैल की प्रदेश की सूखा—अकाल स्थिति और भुखमरी पर विवाद के लिये समय निश्चित था। श्रीमन्, पहली अप्रैल को जो आखिरी बार बैठक हुई थी उस दिन वह स्थगित नहीं हुई थी न तो सदन में इस बारे में कोई प्रस्ताव पास हुआ था और न तो किसी अव्यवस्था के कारण आपने घोषणा की थी कि यह सदन स्थगित किया जाए। तो मेरी समझ में नहीं आया कि २ अप्रैल को जब छुट्टी थी तो नेता सदन या किस की राय से सदन स्थगित हो गया और जो कार्यक्रम निश्चित किया गया था वह टल गया, उसे उड़ा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आप का एक विशेषाधिकार का प्रश्न मिल चुका है। आप उसकी प्रतीक्षा करें। जब समय आएगा तब मैं अपने विचार प्रस्तुत कर सकूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसे आप सुन लें। इसे ये थोड़ी देर बाद प्रस्तुत करें, यह बात तो सम्भव हो सकती है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप माननीय कृष्णानन्द राय जी के औचित्य के प्रश्न को सुनें और उस पर विचार करें और फिर पूरे सदन को इस औचित्य के प्रश्न पर विचार करने का अवसर दें। क्योंकि आप देखेंगे कि गत ३ अप्रैल को इस सदन में सूखे पर बहस होने को थी, समूचे प्रदेश को अकाल-पीड़ित घोषित करने की मांग की जा रही थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग खाने बिना मर रहे हैं। इसके लिये माननीय झारखंडे राय और माननीय उग्रसेन जी भी चिल्लपों मचा रहे थे। तो उस पर बहस न करा कर एक प्रकार से जनता के अधिकारों का हनन किया गया है। इसलिये आप कृपा करके इस औचित्य के प्रश्न पर अवश्य विचार करें।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, कुछ और निवेदन करने के पूर्व आप हमारी पूरी बात अवश्य सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि इस तरफ भी शान्ति रहे। माननीय कृष्णानन्द राय जी, जो बात आपने कही उसके पहले माननीय कल्पनाथ सिंह के प्रश्न उठाने पर जो बातें मैंने कहीं उनको ध्यान पूर्वक आप सुनने की कृपा किये होते तो अच्छा होता। मैंने उनसे कहा कि करीब-करीब वे सारी बातें हैं जो माननीय कृष्णानन्द राय जी ने अपने प्रश्न में उठायी हैं और उनसे मैंने कहा कि पहले इस कार्यक्रम के अनुसार हम चल लें और उसके बाद जब उचित स्थान आयेगा, उसके औचित्य को हम देख लेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैंने आपसे प्रार्थना की कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस पर आप इतना शीघ्र निर्णय न दें। मैंने बतलाया कि ३ अप्रैल का दिन सूखा, अकाल और भुखमरी पर बहस के लिये निश्चित था और जब कि किसानों को छूट देने की बात चल रही थी लेकिन इसी बीच २ अप्रैल को जब कि छुट्टी का दिन था आपने न मालूम कैसे सदन को स्थगित कर दिया। इसलिये मैं आपके सामने यह प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं कि इस पर आप विचार करने का मौका दें कि किस तरह से ये बेकार की विज्ञप्तियां मंत्रियों की तरफ से सदन के पटल पर रखने की बात की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी, मैंने यह बात कही थी कि पहले हम इस कार्यक्रम के अनुसार चल लें। आप ने जो बात कही उसका इन विज्ञप्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। कार्यक्रम के अनुसार जब विज्ञप्तियां आयेंगी उस समय इसका फैसला कर लेंगे और उस समय मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि अपने उत्तर से आप को भी सन्तुष्ट कर सकूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, यहां एक प्वाइंट आफ आर्डर था, वह सही है या गलत, इसको आप सुनने के बाद ही निर्णय कर सकते हैं। लेकिन उनका तो यह कहना है कि यह मौजूदा सरकार वास्तव में कांस्टीट्यूशनली सरकार ही नहीं है और एजेंडे पर तमाम सारी विज्ञप्तियां भरी पड़ी हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि ऐजेंडे पर ३ अप्रैल को जो कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया था, फर्स्ट प्रायरिटी उसको कम से कम आज के ऐजेंडे पर होनी चाहिये थी। इन तमाम आपत्तियों के होते हुए उस पर आगे चर्चा नहीं हो सकती।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपने यह व्यवस्था दी कि आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाय उसके पश्चात् आप कोई प्रश्न उठ सकता है। श्रीमन्, विशेषाधिकार का प्रश्न आपके विरुद्ध नहीं आ सकता। तो अब प्रश्न यह है कि माननीय कृष्णानन्द जी ने जो प्रश्न उठाया है उसको सुनने के लिये आप समय दें और शीघ्र से शीघ्र उस पर फैसला दें तो यह उत्तम होगा, क्योंकि आप के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न तो आ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को कुछ थोड़ा-सा भ्रम पैदा हो गया है। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जितनी बातें सदन के सामने रखी हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का समावेश कर दिया और वे सारी बातें जो उन्होंने विशेषाधिकार के प्रश्न में उठायी हैं वे मेरे खिलाफ नहीं हैं, सरकार के विरुद्ध हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

विशेषाधिकार के प्रश्न का प्वाइंट आफ आर्डर से क्या सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी, आप तो यहां पीठासीन रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके बाद ही आप कुछ कहें। मैं यह कह रहा था कि प्वाइंट आफ आर्डर किसी कानूनी बात के पक्ष में हो तो उस पर हो सकता है। माननीय नवल किशोर जी ने दो प्रश्न उठाये हैं। एक तो यह कि कार्यक्रम पहली अप्रैल को अवशिष्ट था उसको पहले आना चाहिये था। दूसरे उन्होंने कहा कि यह सरकार कांस्टीट्यूशनली कांस्टीट्यूटेड ही नहीं है और इन दोनों बातों पर निर्णय पहले होना आवश्यक है। जो पहला प्रश्न उठाया गया है उसके लिये किसी नियम में ऐसा प्राविधान नहीं है कि जो कार्यक्रम पहले आया हो वह पहले ही लिया जाय। इसके लिये मुझे अधिकार है और मैं किसी कार्यक्रम को सदन की इच्छा को देखकर पहले ले सकता हूं। और उस को कोई अवशिष्ट कार्यक्रम है और उसकी ओर आप मेरा ध्यान आकृष्ट करें तो आवश्यक समय पर उनको जल्द से जल्द ले लिया जा सकता है। आपकी पहली आपत्ति तो इस तरह से हल हो जाती है।

दूसरी बात यह कि यह सरकार कांस्टीट्यूशनली कांस्टीट्यूटेड नहीं है उस पर कृष्णानन्दराय जी जो बात कह रहे हैं उस पर कोई भाषण नहीं हो सकता उस पर कोई विशेष प्वाइंट हो सकता है। मैंने उसके लिये सीमा से आगे भी सुनने का यत्न किया लेकिन उसमें कोई संकेत नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सकता हो कि मौजूदा सरकार कांस्टीट्यूशनली कांस्टीट्यूटेड नहीं है। तो फिर उसमें कोई निर्णय का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि.....

श्री अध्यक्ष—

नेकराम जी, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो बात अब तक हुई उसके अलावा और कोई नई बात आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द राय जी का कहना है कि तीन तारीख को सदन मिलने वाला था और आप ने सदन को स्थगित भी नहीं किया था, लेकिन आपने घर पर बैठ कर नेता विरोधी दल और सरकारी दल से सलाह करके जो आपने स्थगित कर दिया उसको करने का आप को अधिकार नहीं था। सदन ने एक बार जो निश्चय कर लिया था उस को आप घर पर

बैठकर स्थगित कर दें यह आप को अधिकार नहीं था, यह प्रश्न माननीय कृष्णानन्द राय जी ने उठाया और यह प्रश्न इस समय ले लिया जाय क्योंकि विशेषाधिकार का प्रश्न आप के खिलाफ आ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं। मैं नहीं चाहता कि यह नई परम्परा यहां पड़े कि एक माननीय सदस्य एक बात यहां कहें तो दूसरे सदस्य उठ कर यह बतावें कि उन्होंने क्या समझा और सब लोग यह समझ कर यहां बात रखेंगे तब एक ही बात के विभिन्न रूप हो जायेंगे। माननीय नवल किशोर जी ने कृष्णानन्द जी के वक्तव्य के बारे में एक बात समझी, नेकराम शर्मा जी ने उसका दूसरा रूप रखा। माननीय कृष्णानन्द राय जी उसके लिये पर्याप्त हैं कि वे अपनी बात रखें। अगर कोई नई आपत्ति हो तो दूसरे माननीय सदस्य उठा सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि मेरी बात को माननीय नवल किशोर जी और माननीय नेकराम जी ने उठाया है कि सरकार कांस्टीट्यूशनली कांस्टीट्युटेड नहीं है। लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि तीसरी अप्रैल के लिये इस सदन की बैठक निश्चित थी, उसका कार्यक्रम स्वीकृत हो चुका था। पहली अप्रैल को श्रीमन्, अन्तिम रूप से विधान सभा की बैठक हुई। यदि नियम को आप देखें तो भारतीय संविधान और हाउस आफ कामसे की नियमावली.....

श्री अध्यक्ष--

यह वो विश्लेषण हुआ। आप आपत्ति बतलाइये।

श्री कृष्णानन्द राय--

आपत्ति बताता हूं। हाउस का ऐडजर्नमेंट केवल दो ही तरीके से हो सकता है। एक तो सदन अपने किसी प्रस्ताव द्वारा करे या घोर अव्यवस्था की दशा में आप घोषित करें। पहली अप्रैल को सदन ने कोई प्रस्ताव पारित किया नहीं और आपने भी कोई घोषणा की नहीं, क्योंकि घोर अव्यवस्था उस दिन हुई नहीं तो फिर ३ तारीख का सदन का कार्यक्रम किस तरह से स्थगित किया जा सकता था। एक सदन का निर्णय था संविधान और संसदीय परम्पराओं में कहीं भी आप को, श्रीमन्, यह छूट नहीं दी है कि आप सदन को २ अप्रैल को अपने घर पर बैठ कर अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दें। और सारा ३ तारीख का एजेन्डा खत्म कर के, आप एक अनावश्यक एजेन्डा, जो पहले से निश्चित नहीं था, वह आप क्यों ले आये?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, कृष्णानन्द राय जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि ३ तारीख के एजेन्डे को आज के कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया गया और नया कार्यक्रम शामिल करके आज कार्यवाही शुरू कर दी गई है और यह आप का अधिकार नहीं था कि आप उस कार्यक्रम को स्थगित कर देते। इसके जवाब में आपने यह कहा कि माननीय सदस्य अगर चाहते हैं और वह बहुत आवश्यक था तो उसके बारे में माननीय सदस्य प्रस्ताव ले आयें उस पर विचार किया जा सकता है। जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसके अन्तर्गत उस को लाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आप का इतना कह देना पर्याप्त है। इतना कहने के बाद माननीय कृष्णानन्दराय जी का बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाना मुनासिब नहीं मालूम होता है। जो कह दिया गया उतना ही काफी है। कृष्णानन्द राय जी को अपनी बात को

[श्री ऊदल]

वापस ले लेना चाहिये। जो इस समय महत्वपूर्ण सवाल हैं और जिनका सदन के समक्ष लाना जरूरी है उन पर विचार किया जा सकता है। मैं समझता हूं इस पर अब अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता था कि आप कोई सुझाव देंगे लेकिन आपने दूसरी बात कही।

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया यह कुछ समय बाद का है। पहली अप्रैल को माननीय गुप्त जी नेता सदन थे। विधान सभा को स्थगित करने का सवाल दोनों दलों की अनुमति से तय हुआ था। उस समय भी कृष्णानन्दराय जी कांग्रेस के सदस्य थे उनमें से किसी सदस्य ने उसका विरोध नहीं किया और जो उस समय विरोधी दल में थे उन्होंने भी उसका विरोध नहीं किया। लिहाजा सदन को स्थगित करने का सवाल सदन के द्वारा ही तय हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने एक प्रश्न यह उठाया कि पहली अप्रैल को विधान सभा की बैठक स्थगित हुई कि अगली बैठक तीन अप्रैल को होगी। उस समय माननीय मुख्य मन्त्री, जो उस समय आसीन थे, उनका यह प्रस्ताव था कि अब कार्य स्थगित कर दिया जाय। उस समय कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, लेकिन मैंने उठते समय यह कहा था कि हम लोग सोमवार को प्रातःकाल ११ बजे मिलेंगे। इसके माने यह अवश्य हुये और उस का मैंने मतलब यह समझा कि हम ३ तारीख को फिर मिलेंगे और उस दिन का बाकी कार्य ३ तारीख को लिया जायगा, लेकिन २ अप्रैल को मुझसे उस समय संयुक्त विधायक दल के नव निर्वाचित नेता और विरोधी दल के नेता से बात हुई और दोनों पक्षों ने उस समय मुझसे यह आग्रह किया और मत व्यक्त किया कि ३ अप्रैल को वह चाहते थे कि विधान सभा की बैठक न हो। मैं स्वयं इस बात से विश्वस्त था कि ऐसी असाधारण स्थिति हमारे सामने है कि उसमें ३ अप्रैल को सदन की बैठक होना उचित नहीं है। और उसका स्थगित होना ही हितकर हो सकता है। इसलिये मैंने अपने निहित अधिकार से दोनों पक्षों से परामर्श कर के उसको स्थगित कर दिया। प्रश्न यह रहता है कि मुझे अधिकार है या नहीं। इसके बारे में नियम बहुत स्पष्ट है। इस छोटी सी बात के लिये मैं नियम नहीं पढ़ता किन्तु नियम १७ है। दूसरी चीज यह है कि जिस व्यक्ति को तारीख निश्चित करने का अधिकार रहता है उसको तारीख स्थगित करने का भी अधिकार उस के साथ निहित रहता है। यह उस का निहित अधिकार है और उस निहित अधिकार के आधार पर मैंने उसे मुल्तवी कर दिया। मैं समझता हूं कि वह ठीक है और इस में कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

इस सम्बन्ध में मुझे एक सूचना चाहिये। कृष्णानन्द राय जी ने दो सवाल उठाये जिन में से एक को तो आप ने स्पष्ट कर दिया किन्तु दूसरा प्रश्न ३ तारीख का जो कार्यक्रम था वह गायब कैसे हो गया उसके लिये भी क्या कोई सम्मति आप को मिली थी इधर से या उधर से। इस संबंध में यदि कोई सूचना हो तो आप को तो दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी कह चुका था कि जो शेष कार्यक्रम उस दिन का था उसको आज रखना अनिवार्य नहीं था। वह किसी दिन भी रखा जा सकता था। लेकिन मैंने उसके लिये आश्वासन

दिया था और जैसा कि अभी बहुगुणा जी ने कहा उस में एक ही विशेष आइटम था सूखे वाले जिलों की स्थिति पर बहस करने के लिये और उस के लिये मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और उन से तथा नेता विरोधी दल से बात कर के उस के लिये कोई दिन निश्चित कर दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप मुख्य मंत्री जी से आश्वासन अभी ले लें कि वह सूखे पर बहस के लिये समय देंगे।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं बात कर लूंगा।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय मैं आप की आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ओ-३०३-एच०/३७—२५एच०बी-६५, दिनांक ७ नवम्बर, १९६६ द्वारा प्रज्यापित "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६" को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ओ-८२-पी/३७—३३-एस० सी०-६२, दिनांक २७ जुलाई, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती (क्षेत्र-सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६" को उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ की धारा ३९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भगवतीसिंह बिशारद (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, मैं इस विज्ञप्ति के संबंध में एक आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं और वह आपत्ति यह है कि इस विज्ञप्ति का प्रकाशन २७ जुलाई, १९६६ को हुआ था और उस के बाद सदन बैठा था। उस के बाद जब सदन बैठा था उस में यह विज्ञप्ति प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। यह मैं मानता हूं कि इस देर होने में वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री जी का कोई दोष नहीं है लेकिन मैं यह आपत्ति इस लिये उठा रहा हूं कि २० वर्षों से इस प्रदेश में एक सरकार चली आ रही थी और जिस का रवैया ही यह था कि अनियमित ढंग से सारे काम किये जायं। मैं चाहता हूं कि वह पुरानी परम्परा अब बदली जाय और इसलिये इस अवसर पर मैं माननीय स्वायत्त-शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस लिये कि वे अपने अधिकारियों को जरा सचेत कर दें ताकि वे विज्ञप्तियों को समय से सदन में प्रस्तुत कराया करें। २७ जुलाई, १९६६ के बाद सदन की कितनी ही बैठकें हो चुकी हैं लेकिन उन में यह विज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। यदि यह विज्ञप्ति यहां पर प्रस्तुत नहीं की गयी और मेरी यह आपत्ति इसी संबंध में नहीं, बल्कि जितनी भी यहां पर विज्ञप्तियां आज प्रस्तुत हो रही हैं वह सब नियमों के अनुकूल नहीं हैं। इसका कारण यह है कि इसके पहले जो सरकार थी उसके जो मंत्री थे उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया।

† छापी नहीं गई।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

तो आगे यह परम्परा न अपनायी जाय, इसलिये आपके द्वारा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

बड़ी खुशी की बात है। विशारद जी से निवेदन करूंगा कि चौधरी साहब हमारे दोस्त उधर बैठे हैं वह ज्यादा जानते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब माननीय सदस्य ने एतराज किया कि २७ जुलाई या और किसी तिथि को जो प्रख्यापित होने के बाद रखी गयी तो देर से क्यों रखी गयी तो उचित यह था कि माननीय मंत्री जी से पूछते कि देर क्यों हुई ? अब माननीय बहुगुणा जी किस नियम के अन्तर्गत खड़े हो गये ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक माननीय उग्रसेन की आपत्ति का संबंध है वह उसी नियम के अनुसार खड़े हुये जिसमें माननीय उग्रसेन जी स्वयं खड़े हुये। इस विषय में विशारद जी ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया वह निश्चितरूप में महत्वपूर्ण है और मैं उनको स्मरण दिलाऊंगा कि मैं उस समय की सरकार को यह कह चुका था कि ये विज्ञप्तियां समय से आनी चाहिये और इस ओर प्रयत्न भी बाद को हुआ तो यह अच्छी बात है जो उन्होंने कही। वर्तमान सरकार से कहने का मौका नहीं है लेकिन आशा की जाती है कि वह नियमानुसार कार्य करेंगे।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६†

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ०—१३१५/१-क राजस्व (घ)५१—१७—६६, दिनांक २६ दिसम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७†

परिवहन मंत्री (श्री मानसिंह वर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १४७३—टी/३०—ख—७९—पी—६४, दिनांक ८ मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवा संशोधन) नियमावली, १९६७†

परिवहन मंत्री (श्री मानसिंह वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७२८५—टी/३०-ख—५३-पी—६३, दिनांक ८ मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७," को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रख रहा हूं।

---

†छापी नहीं गई।

एक सदस्य—

जो साहब बोल रहे थे उनके परिचय के बारे में पूछना चाहता हूं कि कौन साहब बोल रहे थे ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे आपकी जानकारी पर कुछ क्या आती है ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवास विभाग के शुद्धि पत्र संख्या ओ०–३१९–एच/३७–११एच–बी–६५, दिनांक २९ अक्टूबर, १९६६ के साथ पठित उक्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या ओ०-३१९–एच/३७–११–एच० बी–६५, दिनांक ६ सितम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली १९६६ को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५२१–बी (नि-१८) (संशो०–३)/११–ग–४८–कार्प–६४ दिनांक २७ फरवरी, १९६७ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६" को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५४०–एच/३७–१६ (९)–१५–६६, दिनांक १८ मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७" को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या अ—३७३–एच०/३७-१५–एच बी–६५, दिनांक २८ मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास

†छापी नहीं गई ।

[श्री वरमेश्वर पाण्डेय]

परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण) नियमावली, १९६६ को, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण-पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३९-एच/३७-१६ (९)-१४-६६, दिनांक १८ मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरणपत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६" को, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २१ मार्च, १९६७ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २९ मार्च, १९६७ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० मार्च, १९६७ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६७ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

सदन के परिसर में कांग्रेस के आवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटरिएट (मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास ३ विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं । एक तो श्री टण्डनेश्वर प्रसाद जी ने दिया है । उन्होंने माननीय विरोधी दल के नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के खिलाफ दिया है जो इस प्रकार है--

"माननीय अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस दल को उनके संसदीय कार्यों के निष्पादन एवं सुविधा के लिए सदन के परिसर में एक कमरा (हाल) आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग एक मात्र यही है कि वह संसदीय कार्यों में प्रयुक्त है । किन्तु उक्त कमरे का उपयोग १४ जून, १९६७ को ५.३० बजे सायंकाल यू०पी० सिविल सेक्रेटरियट गजेटेड (मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये किया गया है, जो कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस दल का संसदीय कार्य नहीं कहा जा सकता । उक्त बैठक की नोटिस भी संलग्न कर रहा हूं । इस प्रकार उक्त बैठक को वहां करा कर नेता कांग्रेस दल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग एवं सदन का अवमान किया है । कांग्रेस दल के नेता को बिना आपकी अनुमति के उक्त कमरे को अन्य किसी प्रयोजन के लिए देना सदन का अवमान है । मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देने की कृपा करेंगे ।

†छापी नहीं गई ।

इस प्रश्न पर अपनी राय देने से पहले मैं दो जानकारी चाहता हूं। माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने साथ में नोटिस की एक प्रति भी संलग्न की है जिस पर अमरसिंह ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के हस्ताक्षर दिखाई पड़ते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या ऐसी कोई मीटिंग माननीय नेता विरोधी दल की अनुमति से हुई ? एक बात तो यह और दूसरी बात यह कि क्या वह मीटिंग कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के कमरे में हुई ? इसकी पहले मैं जानकारी चाहूंगा, फिर मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

मुझे अभी जितनी सूचना मिली है वह यह है कि जहां तक मेरी अनुमति का ताल्लुक है न तो मुझसे इस मीटिंग के सिलसिले में और न किसी अन्य मीटिंग के सिलसिले में बात पूछी गई और न मैं इसकी जानकारी रखता हूं। १४ तारीख को मैं दफ्तर नहीं आया था और कल बहुत दिनों में असेम्बली में आया था और अपनी पार्टी के दफ्तर में गया था। मुझसे मीटिंग करने के सिलसिले में कोई अनुमति नहीं ली गई और न मुझ मीटिंग की कोई जानकारी है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)---

अध्यक्षमहोदय, आप अगर इस एजेन्डे की ओर गौर करेंगे तो आपको ज्ञात हो जावेगा कि कदाचित् इसका मोटिव क्या रहा था। जहां तक आज्ञा देने का प्रश्न होता है वह तो नेता की आज्ञा से होता है और इसलिये कदाचित गुप्ता जी की ओर से कोई आज्ञा दी गई होगी। तो मैं क्या यह समझूं कि सरकारी कर्मचारियों ने बिना उनकी आज्ञा के मीटिंग कर ली ?

श्री अध्यक्ष---

इस विषय में, यह अवमान का प्रश्न होता है या नहीं ब्रीच आफप्रिविलेज का प्रश्न होता है या नहीं इस पर तो मैं आगे आवश्यकता होने पर कुछ विचार व्यक्त करूंगा। लेकिन एक प्रश्न इसमें अवश्य हो जाता है और वह यह कि विभिन्न राजनैतिक दलों को जो कमरे आवंटित किये गये हैं किस प्रयोग में आयें, उसकी क्या सीमा हो उसकी सीमा उनके कार्यक्षेत्र तक सीमित रहे या उसको वे दूसरे प्रयोगों के लिये दे सकते हैं। यह प्रश्न जरा विचारणीय हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल अनुचित है कि किसी भी राजनैतिक दल को जो कमरे राजनैतिक प्रयोगों के लिये दिये गये हैं उनको व दूसरे प्रयोगों में दें। मुझे यह भी बताया गया कि इनमें और भी कर्मचारियों की विभिन्न समयों पर बैठकें होती रहीं। इसके विषय में मैं जानकारी करूंगा। मैं समझता हूं कि यह उचित न होगा क्योंकि इसमें कभी भी कठिनाई पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं कि इतना काफी है। माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी, आप अब इसके बाद आग्रह नहीं करेंगे यह आपने अवमान का जो प्रश्न उठाया है यह भी चन्द्रभानु गुप्त जी के उत्तर के प्रकाश में फिर देखने का है। उन्होंने बताया कि उनकी आज्ञा या अनुमति नहीं थी और उनकी जानकारी में भी नहीं थी। प्रश्न यह पैदा होगा कि किसकी आज्ञा थी और किसी रूप में उसका विरोध हो सकता है। इसमें तो जो लक्ष्य है वह यह है कि राजनैतिक दलों को जो कमरे दिये गये हैं वे उन्हीं कार्यों के लिये प्रयोग हों जिनके लिये वे आवंटित किये गये हैं। मैं समझता हूं कि इसके बाद मामला समाप्त हो जाता है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

इस पर आपकी व्यवस्था हो गई तो मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

जो माननीय मंत्रियों को कमरे दिये गये हैं वे किस काम के लिये इस्तेमाल हों ।

श्री अध्यक्ष—

वे उन कार्यों के लिय इस्तेमाल हों जिन कार्यों के लिये मंत्री नियुक्त किये जाते हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मै निवेदन करना चाहता हूं इस सिलसिले में कि जो विरोधी दलों को कमरे दिये गये हैं और माननीय नेता विरोधी दल को कमरा दिया गया तो मुझे कुछ समय नेता विरोधी दल में रहने का भी मौका प्राप्त हुआ था और कुछ नेता विरोधीदल से भी मिलने का मौका मिला था । मैं माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी से इस प्रस्ताव को सुनकर चकित रह गया और भाई टम्बरेश्वर प्रसाद जी यह मना करना चाहते हैं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से यह प्रश्न ड्राप हो चुका है और मैंने आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली है । अगर आप इसको रिओपिन करना चाहते हैं तो मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रश्न अवमान और विशेषाधिकार का उठाया गया है वह समाप्त हो चुका है । माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने इसको मान लिया है । उसके अलावा अगर किसी बात की ओर आप संकेत करना चाहते हैं तो करें ।

श्री गेंदा सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल के कमरों को इस्तेमाल करने में किस सीमा तक जाया जाय, इस संबंध में मुझे एक बात का बहुत अफसोस रहा कि आपने माननीय नेता विरोधी दल को उसके बारे में स्पष्टीकरण करने के लिये बुलाया । मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं था । आपको स्वयं इस बात पर विचार कर लेना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गेंदा सिंह जी इस सदन के एक बहुत ही श्रद्धास्पद सदस्य हैं, उनका अगर यह कहना है कि मैंने कौन सी बात उचित की और कौन सी उचित नहीं की, उनका यह कहना भी उचित नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह तो स्पष्ट ही आपका अवमान है ।

श्री अध्यक्ष—

यह भी उचित नहीं है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने माननीय नेता विरोधी दल से इसलिये पूछा था कि यह भी हो सकता था कि कोई मीटिंग वहां न होती और यह नोटिस बिलकुल इमेजिनरी होती इतनी जानकारी मैं उनसे चाहता था । उस जानकारी के बाद भी यह औचित्य समझता हूं कि दूसरे प्रयोगों में वह नहीं आना चाहिये । माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन के पास देहात से बहुत से दुःखी और पीड़ित लोग आ सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं किन्तु किसी पार्टी के दूसरे कामों का इस्तेमाल उसमें नहीं आता । अगर ऐसी आवश्यकता होती है तो उसके लिये मेरी अनुमति की आवश्यकता होगी ।

सदन को स्थगित रखने तथा राष्ट्रपति शासन लागू कराने की कथित धमकी देने तथा विधान सभा की बैठक बुलाने की तिथि की सूचना के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत लम्बा सा माननीय कृष्णानन्द राय का है। मैं उसको पढ़ रहा हूं---

"संविधान एवम् नियमों के अन्तर्गत इस सदन के आह्वान, सत्रारम्भ उपवेशन, स्थगन, सत्रावसान एवं भंग करने का अधिकार केवल राज्यपाल, अध्यक्ष एवं सदन को है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

यह तो वही है जिस पर आपने व्यवस्था दे दी है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, आप तो इसको पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष---

साधारणतः जो भी विशेषाधिकार के प्रश्न आते हैं, उनको पढ़ कर सुनाने के लिये मुझे नियम बाध्य नहीं करते लेकिन मैं इसको इसलिये पढ़ रहा था कि उसके विषय में मुझे आपसे दो जानकारी प्राप्त करनी थी। उसके आगे वह इस प्रकार है :---

"मुख्य मंत्री एवं सरकार को कोई संविधानिक अधिकार सदन के उपरोक्त अस्तित्व एवं संचालन में नहीं है। लोकतन्त्र एवं संसदीय व्यवस्था में यदि कोई सरकार सदन की इन कार्यवाहियों का अधिकार एवं नियंत्रण अपने हाथ में ले लें तो सदन की मर्यादा एवं प्रभु-सत्ता समाप्त हो जाती है और सरकार अधिनायकवादी बन जाती है। मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह ने इस सदन के सारे संवैधानिक विशेषाधिकारों एवं कार्यों को अपन हाथों में ले लिया है। इस सदन को मुख्य मंत्री के संकेत पर पिछले ढाई महीने क लिये स्थगित रक्खा गया है जिससे वे सदन का बिना विश्वास प्राप्त किये हुये एक डिक्टेटर की भांति इस प्रदेश पर निरंकुश शासन करते रहे। मुजफ्फर नगर की एक जनसभा में मुख्य मंत्री ने धमकी दी यदि उनकी सरकार गिरायी गयी तो सदन को भंग करा देंगे और राष्ट्रपति शासन लागू करा देंगे।"

मैं इन दो बातों की जानकारी चाहता हूं। आपने जो यह लिखा है---

"इस सदन को मुख्य मंत्री जी के संकेत पर पिछले ढाई महीने के लिये स्थगित रखा गया है जिससे वे सदन का बिना विश्वास प्राप्त किये हुये एक डिक्टेटर की भांति इस प्रदेश पर निरंकुश शासन करते रहें। परन्तु.....

(व्यवधान)

तो फिर सदन को स्थगित रखने का तो अधिकार मेरा है, इस तरह से क्या आपका मतलब यह है कि उनके संकेत पर अध्यक्ष ने सदन को स्थगित रखा है।

दूसरा प्रश्न यह है कि आप ने इस में लिखा है कि "मुजफ्फरनगर की जनसभा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और यह धमकी दी".....

(व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष]

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आपस में बातें न करें और सदन के संचालन में हमें सहयोग प्रदान करें ।

तो मैं यह जानना चाहता था कि यह जो आपका कहना है कि मुख्य मंत्री जी ने मुजफ्फरनगर की जनसभा में धमकी दी कि वह यहां राष्ट्रपति शासन लागू करा देंगे, यह चीज आप की किस जानकारी पर आधारित है, आप स्वयं उस सभा में थे या आपने केवल अखबार की रिपोर्ट पर ही इस को आधारित किया है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप ने इस प्रश्न की गंभीरता को समझने का प्रयास किया है, और मुझे स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया है । जहां तक स्थगन वाली बात का प्रश्न है आपने स्वयं सुबह हमें सूचना दी कि २ तारीख को जो इस समय संयुक्त विधायक दल के नेता हैं और कांग्रेस दल के नेता हैं, उनसे आपने बात की थी उन का भी संकेत था और परामर्श था कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये जो ढाई मास की अवधि हो जाती है, स्थगित कर दिया जाय । उसमें आप का प्रश्न नहीं था । लिहाजा जो फैक्ट लिखा गया है वह सत्य है । दूसरे मुजफ्फरनगर की जनसभा में जो धमकी दी गई कि यदि इस सरकार को गिराने का प्रयास किया गया तो वह राज्यपाल से परामर्श करके यहां राष्ट्रपति शासन लागू करवा देंगे । इस संबंध में मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं उन से आप स्वयं पूछ लें.....

श्री अध्यक्ष--

मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना आप की प्रेस या अखबार की रिपोर्ट पर आधारित है या आप स्वयं वहां मौजूद थे ?

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं यहां बैठे हैं और यदि वह कह दें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो मैं इस को वापस लेने को तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रक्रिया नियमावली में नियम दिया हुआ है कि किन परिस्थितियों में यह विशेषाधिकार का प्रश्न आता है । उन नियमों के अनुसार मैं जानना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर की जनसभा की यह जानकारी आपने स्वयं वहां की थी या आपकी यह जानकारी अखबारों की रिपोर्ट पर आधारित है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

उस जन सभा में सरकारी कर्मचारी भी उनके साथ गये थे उन का नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि उन के ऊपर कार्यवाही कर देंगे और वह यहां जवाब देह भी नहीं है । उनके अलावा मुझे बहुत से लोगों ने भी वहां से आकर बताया कि इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई थी ।

श्री अध्यक्ष--

तो आप की यह बात जनश्रुति पर आधारित है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं निश्चित हूं इस प्वाइंट पर बाकी मुख्य मंत्री जी बैठे हैं आप उनसे पूछ लें वह अगर इसका खंडन कर दें तो मैं वापस ले लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

तो आप की कोई स्वयं की जानकारी भी नहीं है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

उस मीटिंग में उस जिले के विधायक मौजूद थे उन से ही पूछ लिया जाय या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष--

उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि उधर से अगर आपत्ति उठाई जाय तो उत्तर का भार मेरे ऊपर है, और अगर भार अधिक होगा तो मैं आपका परामर्श भी लूंगा।

मैंने इस प्रश्न के आधार पर ध्यान किया, हाउस आफ कामन्स के, लोक सभा के, यहां के नियम और परम्पराओं को मैंने देखा और अनेकों बार यह कहा गया है कि जब विशेषाधिकार का प्रश्न आता है तो उसका मतलब यह होता है कि उसको हाउस के साधारण कार्यक्रम पर प्राथमिकता मिले और उन नियमों में वह जब तक नहीं आता तब तक विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं पैदा होता। तो इस के लिये शिकायत का आधार कुछ होना चाहिये। निर्णय का आधार हीयर से नहीं हो सकता, श्रुति पर कोई शिकायत आधारित सही नहीं मानी जायगी। अगर आप की जानकारी पर होती तो ग्राह्य हो सकती थी। अगर अखबारों की रिपोर्ट पर होती तो, अव्वल तो यह भी प्रश्न है कि उस पर आधारित हो सकती है या नहीं, लेकिन अगर किसी लेख्य पर हो तो लेख्य मेरे पास अनिवार्य रूप में आना चाहिये। बार बार लोक सभा में कहा गया कि यह एक स्पेशल प्रोसीजर है और जब नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ग्राह्य नहीं है। तो एक तो नियमानुकूल न होने की वजह से और एक बात में यह कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि माननीय कृष्णानन्द राय ने जो भाषा का प्रयोग किया है कि माननीय मुख्य मंत्री के संकेत पर पिछले ढाई महीने के लिये स्थगित रखा गया, स्पष्ट अध्यक्ष पर इसका दायित्व आता है। मुझे हर्ष है कि माननीय कृष्णानन्द राय ने स्पष्ट कर दिया कि इस भाषा से उन का यह मतलब नहीं था। लेकिन अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो इस भाषा से यह मतलब अवश्य निकाला जा सकता था। तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में माननीय सदस्य ऐसी भाषा का प्रयोग न करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय कृष्णानन्द राय के विरुद्ध इस बात पर मैं अवहेलना की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

तीसरी बात यह थी, आपने एक इस में और बात उठायी है कि मुख्य मंत्री ने अपनी सुविधानुसार इस सदन की बैठक पुनः बुलाने के लिये ८ जून की तिथि की घोषणा की। अब इस पर कृष्णानन्द राय जी की यह आपत्ति है कि कैबिनेट को ८ जून का निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं था और ८ जून की जो घोषणा अखबारों में आयी वह गलत थी। इस सिलसिले में एक और भी मेरे पास ब्रीच आफ प्रिविलज का प्रश्न आया है जो केवल इसी प्वाइंट पर आधारित है, वह माननीय नवलकिशोर जी का है। तो माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय नवल किशोर के विशेषाधिकार के प्रश्न में यह बात दोनों में कामन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। माननीय नवल किशोर जी ने केवल इस बात तक अपने को सीमित रखा है और माननीय कृष्णानन्द राय जी ने दूसरी और बातों के साथ इस बात को उठाया है। माननीय नवलकिशोर जी ने लिखा है, उन्होंने आधार अपना संलग्न कर दिया है।

[श्री अध्यक्ष]

"संलग्न समाचार-पत्र, दिनांक ४ मई, १९६७ से ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री ने विधान सभा की बैठक ८ जून, १९६७ को बुलाने का निश्चय किया है। आकाशवाणी से भी यह सूचना प्रसारित की गई। इस प्रकार की घोषणा नियमों एवं परम्पराओं के विरुद्ध है। विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १४ व १७ के अन्तर्गत सदन को बुलाने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लेकर अध्यक्ष के अधिकारों का अतिक्रमण तो किया ही है, साथ ही नियमों का उल्लंघन भी किया है।"

मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक विधान सभा के सत्र बुलाने का अधिकार है वह नियमों ने अध्यक्ष को दिया है। लेकिन अध्यक्ष को अनिवार्य रूप में नेता सदन से परामर्श लेना पड़ता है और नेता सदन, परामर्श लेने के लियेयह स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल में तारीख का कोई निश्चय करेंगे। जब निश्चय करेंगे तो प्रस्ताव मात्र अध्यक्ष के पास उन्हें भेजना चाहिये। अखबारों में जो आया वह ऐसा आया, यह ठीक है कि मैंने इसको पढ़ा, जैसे मंत्रि मंडल ने ८ जून को सभा बुलाई है। अगर ऐसा ही होता तो यह अनुचित था और मंत्रि मंडल को स्वंय सभा को आवाहन करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यह अखबार का समाचार अधिकृत है या नहीं, यह समाचार उन्हीं शब्दों में लिखा गया है जिन शब्दों में मंत्रिमंडल की कार्यवाही बतायी गयी थी, यह मैं नहीं जानता। इतनी बात दोनों प्रक्रियाओं में होगी कि मंत्रि मंडल में इस पर विचार होगा, कोई तारीख निश्चित होगी, उस फैसले के अनुसार मुख्य मंत्री अध्यक्ष से यह कहेंगे कि फलां तारीख को बैठक बुलायी जाय। मैंने स्वयं जब पढ़ा तो माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा और उन का ध्यान आकृष्ट किया कि ऐसा, यदि ठीक है तो, अनुचित है और यह अधिकार नियमों में केवल मुझको दिया है। मुझे यह बतलाते हुये हर्ष है कि मुख्य मंत्री ने उसी दिन जवाब दिया और यह स्वीकार किया कि वास्तव में यह भूल हुई और इसका अधिकार केवल अध्यक्ष को है। यह भी मैंने उनको सलाह दी कि ८ तारीख को गर्मी चरम सीमा पर होगी इसलिये उचित यही होगा कि कुछ समय और हटा दें। मेरी उस बात को मानते हुये माननीय मुख्य मंत्री ने लिखा कि अगर मैं उचित समझूं तो १६ तारीख को बुला लूं। इसलिये वह प्रश्न बिलकुल समाप्त हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्री ने उसे स्वंय स्वीकार कर लिया। लिहाजा मैं इन दोनों विशेषाधिकार के प्रश्नों को अनावश्यक समझता हूं।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

आपने जो व्यवस्था दी वह मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रुति के मानी आप क्या समझते हैं?

श्री अध्यक्ष—

वैसे तो चेयर से इस तरह से पूछना उचित नहीं है, लेकिन आपकी शंका दूर करने के लिये मैं बतला दूं कि श्रुति के मानी मैं वही समझता हूं कि जो माननीय कृष्णानन्द राय जी ने व्यक्त किये।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वन उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के रिक्त स्थान पर उनकी शेष कालावधि के लिये, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम १९५६ की धारा २९ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उसके द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के रिक्त स्थान पर उनकी शेष कालावधि के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वन उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उसके द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के रिक्त स्थान पर उनकी शेष कालावधि के लिये इलाहाबाद यनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा ४४ के साथ पठित उक्त ऐक्ट की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग ३ की मद १६ के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें इलाहाबाद यनिवर्सिटी कोर्ट में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थान पर उनकी शेष कालावधि के लिये इलाहाबाद यनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा ४४ साथ पठित उक्त ऐक्ट की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग ३ की मद १६ के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में विधान सभा के ३ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वन उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के रिक्त स्थान पर उनकी शेष कालावधि, के लिये वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ३९ के साथ पठित धारा १९ की उपधारा (१) की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उसके द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कालावधि के लिये वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ३९ के साथ पठित धारा १९ की उपधारा (१) की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वन उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उसके द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कालावधि के लिये, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ३६ के साथ पठित धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उसके द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कालावधि के लिये, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ३६ के साथ पठित धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वन उप मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उसके द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कालावधि के लिये, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ४१ के साथ पठित उक्त ऐक्ट की धारा १६ की उपधारा (१) के खंड ३ की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दे लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उसके द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कालावधि के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ४१ के साथ पठित उक्त ऐक्ट की धारा १६ की उपधारा (१) के खंड ३ की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये ४ व्यक्तियों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वन उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें उत्तरप्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये उक्त समिति के विधान-नियम के नियम १२ (ख) (आ) के अनुसार ४ व्यक्तियों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये उक्त समिति के विधान-नियम के नियम १२ (ख) (आ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गया प्रसाद लाइफ सेविंगफंड, कानपुर की समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

वन उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)-

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड, कानपुर की समिति में कार्य करने के लिये उक्त फंड के प्रशासन की योजना के पैरा १ (१) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड, कानपुर की समिति में कार्य करने के लिये उक्त फंड के प्रशासन की योजना के पैरा १(१) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये ३ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वन उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ तथा ६ के अधीन संघटित प्रशासकीय बोर्ड में, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उसके द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कालावधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा ७ के साथ पठित धारा ६ की उपधारा (१) के मद (ख) के अनुसार ३ सदस्यों का, जिनमें एक महिला होगी, निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ तथा ६ के अधीन संघटित प्रशासकीय बोर्ड में, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कालावधि के लिए उक्त, अधिनियम की धारा ७ के साथ पठित धारा ६ की उपधारा (१) के मद (ख) के अनुसार तीन सदस्यों का, जिनमें एक महिला होगी, निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कालागढ़ में पुलिस तथा मजदूरों में संघर्ष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मुझे आज तीन कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। एक माननीय बहुगुणा द्वारा, एक माननीय नेकराम शर्मा द्वारा और एक माननीय मधुकर दिघे, मुल्कीराज जी, प्यारेलाल जी तथा केशरीलाल जी द्वारा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कि साधारणतया जब विधान सभा में बजट प्रस्तुत हो तब किसी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर विचार करना उचित नहीं है और पिछली भी ऐसी परम्परा रही है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया सुन लीजिये, आपकी शंका शायद दूर हो जाय। लेकिन आज परिस्थिति है और इसको देखते हुए कि अभी बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है और आज सायंकाल होने वाला है। इसके बाद मदों पर विचार होगा। इसलिये मैंने इन प्रस्तावों में माननीय बहुगुणा जी के प्रस्ताव को ग्राह्य समझा, इसको अंतिम स्वीकृति नहीं मानी, लेकिन नियमानुकूल समझा। मैं इसको पढ़कर सुना दूं। इसके बाद नियम ६० के अन्तर्गत.....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था।

(श्री चन्द्रबली जी के कुछ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

मैं पहले माननीय गेंदासिंह जी को जवाब दे दूं। पहली बात यह है कि आपका एक प्रस्ताव है। मुझे खेद है कि ऊपर से जो भाषा का रुझान देखा उसके कारण नियम ५१-५२ के अन्तर्गत जो प्राप्त हुये थे उसमें लग गया। लेकिन मैंने उसको पढ़ लिया है। अब यह भी नियम है जैसा कि मैंने बताया कि जब बजट प्रस्तुत होने वाला हो तो साधारण स्थिति में कार्य-स्थगन प्रस्ताव उचित नहीं होते। अगर हम यह मान लें कि स्वीकृति इसको मिल गई तो एक दिन में एक ही हो सकता है। इसलिये माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव के आने के बावजूद उसके लेने का सवाल पैदा नहीं होगा। माननीय बहुगुणा जी का जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, वह इस प्रकार है—

"अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य की ओर आज की कार्यवाही स्थगित कर सदन में चर्चा उठाना चाहता हूं। आशा है ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय देने की कृपा करेंगे:—

राम गंगा परियोजना के बांध बनाने वाले मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रक्खी है। १,५०० मजदूर अभी तक कार्य पर वापिस नहीं आये हैं जिससे ९२ करोड़ की इस परियोजना के भविष्य के संबंध में काफी चिन्ता उत्पन्न हो गयी है। इस हड़ताल के बीच में १६-५-६७ ई० को कालागढ़ टाउन में पुलिस तथा मजदूरों में जम कर संघर्ष हुआ तथा बाद में पुलिस ने अश्रुगैस तथा लाठियों की वर्षा निरीह मजदूरों पर की जिससे काफी मजदूर घायल हैं तथा श्री ओमपाल सिंह जी की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी। मैं इस सदन के दो माननीय सदस्यों सर्वश्री गिरधारीलाल जी, कुंवर सत्यवीर तथा संसद सदस्य काशीनाथ जी पांडेय के साथ स्वयं कालागढ़ गया और इस सारे कांड की स्थिति और कारणों की जांच कर, उसकी रिपोर्ट भी सरकार को दे चुका हूं।

जांच करते समय मजदूरों ने मुझे बताया कि पुलिस ने गोलियां भी चलाईं तथा मरे हुये लोगों को पी०ए०सी० की ट्रक नं० १०२२ यू०पी० वाई(सात) तथा प्रोजेक्ट की जीप नं० यू०एस० एफ० ३०३९ के जरिये झरना जंगल की ओर ले गयी तथा गायब कर दिया। पुलिस ने मजदूर बस्तियों के घरों में घुस कर मजदूरों के सामानों को भी लूटा तथा बहुत से सामान, रेडियो आदि, उठा ले गयी। बहुत से मजदूर और श्रमिक यूनियन के नेता जेल में बन्द हैं। एक हजार से ऊपर मजदूर अभी भी कालागढ़ में भय के कारण नहीं आ रहे हैं तथा इस नगरी के चारों ओर पुलिस के आतंक का वातावरण फला हुआ है। सरकार का अभी तक इस संबंध में समस्याओं को सुलझाने हेतु कदम का न उठाया जाना तथा श्रमिकों की मान्यता प्राप्त यूनियन से समझौता वार्ता कर शांति स्थापित करने की ओर अग्रसर न होने से इस राष्ट्रीय महत्व की योजना के भविष्य के संबंध में चिन्ता उत्पन्न हो गयी है और एक संकटमय तथा विकट स्थिति विद्यमान है।"

अब मैं माननीय बहुगुणा जी से कहूंगा, उन्होंने नियम ६० का अध्ययन कर लिया होगा, दूसरे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं उसे पढ़े देता हूं। "यदि अध्यक्ष इस विचार के हों कि प्रस्थापित विषय नियमानुकल है और नियम ५७ के अन्तर्गत वे अपनी सम्मति दें तो वे सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़े होकर सदन के स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगेंगे।

अब माननीय बहुगुणा जी कृपया अनुज्ञा मांगें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष जी, मैं अपने इस कामरोको प्रस्ताव, जिस के बाडी को आपने पढ़ दिया है, पर चर्चा करने के लिये आज सदन के कार्य को स्थगित करने के लिए और इस पर पूरी बातचीत करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। मान्यवर, कालागढ़....

श्री अध्यक्ष--

अब बहुत संक्षेप में कह लें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

कालागढ़ की घटना का संबंध एक बड़ी योजना से है। उस योजना पर जो श्रमिक काम करते हैं, मशीनों के जरिये से रोजाना २ लाख मैन आवर्स पुट इन करते हैं। वहां इस घटना के कारण ४० फीसदी काम ठप पड़ा है। इसलिये अविलम्ब लोक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये इस सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस पर आपत्ति है?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)--

मुझ को कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाय क्योंकि तरह-तरह की निराधार बातें कही जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब इसको अनुज्ञा मिल गयी। इस पर चर्चा होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस समय करीब डेढ़ बजा है। चार बजे सदन में बजट प्रस्तुत होगा। मैं सदन का परामर्श चाहूंगा। इस पर दो घंटे की चर्चा होती है। इस समय कर लें तो इसके मानी यह हों कि साढ़े तीन या तीन बज कर ३५ मिनट तक काम हो सकेगा, २०-२५ मिनट सदन स्थगित रहेगा। माननीय सदस्यों को ताजगी मिल जायगी। इसके बाद....

श्री चरणसिंह—

मैं तो यह चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद यह शुरू हो ।

श्री अध्यक्ष—

नियमों में स्ट्रिक्टली यह है कि आज के कार्य के बाद दो घंटे इस के लिये होना चाहिये । तो इसीलिये मैंने पूछा है, वरना मैं अपनी बात कह देता ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव ठीक है बाद में ले लिया जाय, जिससे खूब ठंडे होकर इस पर विचार हो सके, क्योंकि यह काफी गम्भीर विषय है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के बजट प्रस्तुत करने के बाद इस पर विचार होगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस इतने महत्वपूर्ण विषय को कार्य-स्थगन करके लिया जाय, नहीं तो कार्य-स्थगन का आशय और महत्व ही क्या रह जाता है ? वह तो समाप्त ही हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम शर्मा जी ने जो बात कही है वह ठीक है, क्योंकि कार्य-स्थगन का यही मतलब होता है कि रोटीन का जो हमारा काम है उसको एन्ट्रप्ट करके ऐसे महत्व के काम को लिया जाय। इसी दृष्टिकोण से मैंने एक दम घोषणा नहीं की और सदन का इस पर परामर्श मांगा और जब उस पर दोनों तरफ से स्वीकृति हो गयी तो अब बाद में ही इसे लिया जायगा और इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव बीच में काम रोककर लिया जाय या बाद में लिया जाय ।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास आइटम २७ है जिसमें नियम ५१ के अन्तर्गत कई लोक महत्व के प्रश्नों पर मेरे पास ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें आयी हैं एक नेकराम शर्मा जी की सूचना आयी है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश किसानों पर लगाई गयी लेवी के बारे में प्रश्न उठाया है । इस पर तो बजट के समय भी विवाद हो सकता है और यह अवसर इसके लिये ठीक भी होगा । फिर भी इसको मैंने विशेष ध्यान देने के लिय राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है ।

एक दूसरी चन्द्रबली सिंह जी की सूचना है, किन्तु उसमें कई विषयों का समावश है, इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, आप देख लें, उसमें कई विषयों का समावेश नहीं है बल्कि कई कारण दिये गय हैं, जिनके कारण से हड़ताल हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है मुझ से कुछ गलती हो गयी हो, लेकिन मैं यहां पर इस पर विवाद नहीं होने दूंगा । आप मेरे कमरे में आकर मुझसे मिल लीजियेगा । यदि मेरी गलती होगी तो मैं खुद प्रकट कर दूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मेरा जो प्रश्न है उसके संबंध में मैं माननीय स्पीकर की एक रूलिंग देना चाहता हूं। इसमें पृष्ठ ९ पर लिखा है १० नम्बर पर कि "आय-व्ययक पर विवाद के दिनों में भी महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार से वक्तव्य मांगा जा सकता है।" यह अध्यक्ष की रूलिंग है और ४० हजार रुपया किसानों का लेवी बकाया है और यह सरकार नहीं दे पायी है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेक राम शर्मा जी ने जिस रूलिंग का अपनी चर्चा में उद्धरण दिया, मैंने उसके सिद्धान्त को नहीं अस्वीकार किया। कार्य-स्थगन का ज्यादा महत्व होता है। इसलिये बजट के प्रस्तुत होने के दिन इसके महत्व को देखते हुए कार्य-स्थगन स्वीकार किया जा चुका है। महत्व हर चीज का होता है लेकिन यह देखा जाता है कि अपेक्षाकृत महत्व किसका ज्यादा है। फिर भी मैंने उसको विशेष ध्यान देने के लिये राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है।

श्री नेकराम शर्मा---

कब तक होगा ?

श्री अध्यक्ष---

यह मंत्री जी जानें। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने वक्तव्य के लिये नहीं भेजा है।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, इसे वापस ले लिया जाय, यह बिलकुल गलत है। मैं जानता हूं कि इस पर कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

मानकर यही चलना पड़ेगा कि इस पर उचित और संतोषजनक कार्यवाही होगी। फिर भी यदि आप समझते हैं नहीं हुई तो उसके अन्य बहुत से तरीके हैं जैसे कटौती और कार्य-स्थगन आदि उसमें आप इसे उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे पास जो और प्रस्ताव आये हैं उनको भी मैंने उनका कारण लिखकर अस्वीकार कर दिया है। और अधिकतर कारण यही है। मैं दोहराता हूं, यद्यपि दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल इसलिये कि माननीय सदस्यों को सुविधा हो और जो उनका अधिकार चर्चा उठाने का है उसमें उनको सहायता मिल और उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक ही सूचना में बहुत से विषयों को एक साथ मिलाने का प्रयत्न न किया करें। यही कारण है उनकी अस्वीकृति का और जो चाहें उसे देख भी सकते हैं।

मेरे पास नियम ५१ के माननीय कल्पनाथ सिंह जी, माननीय श्रीराम जी तिवारी, माननीय श्री रमाकांत जी, और माननीय श्री देवी सहाय जी के भी प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और यह भी लगातार वही सूखे, ओला, पाला आदि के बारे में जो क्षति हुई है उसके लिये है। वह नीति का प्रश्न है जो बजट के समय उठाया जा सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं।

श्री कल्पनाथसिंह---

मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है और आपने मुझे बिना सुने ही व्यवस्था दे दी ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपका प्रश्न पढ़कर जो आवश्यक कार्य था वह किया है।

श्री कल्पनाथसिंह---

इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है आप देख लें। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसके बारे में अभी ३ अप्रैल वाली बात भी आयी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में न पीने के लिये पानी है, न वहां खाने के लिये है। यह सरकार तो बिलकुल बेहया हो गयी है और मैं चाहता हूं कि यह सरकार बहस करने के लिये तैयार हो ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठ जायें ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

माननीय कल्पनाथ सिंह जी जो कहना चाहते हैं उसे सुन तो लीजिये । यह सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मसला आ रहा है आप उसे काटते जा रहे हैं यह क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय त्रिवेणी राय जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि समस्याएं बड़ी कठिन होती हैं, भयंकर होती हैं, सूखा और ओला, समस्या बड़ा भयंकर है और उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई वह बड़ी चिन्तनीय हो सकती है और उसमें जो परेशानी आपको है वह स्वाभाविक है, लेकिन यही इस बात का औचित्य नहीं होता कि वह जिस तरह से आप जब चाहें उठावें। सारी चीजों के लिये नियम हैं। अपेक्षाकृत महत्व और आवश्यकता देखनी पड़ती। अभी कल्पनाथसिंह जी, आप ही ने कहा था कि इस पर एक स्टेटमेंट ३ अप्रैल को होने वाला था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले यह स्वीकार कर लिया कि वह होगा और जब वह होगा तो फिर इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आपका वह आर्गूमेंट जो आपने अपने पक्ष में दिया है वह स्वयं आपके विपक्ष में हो जाता है।

एक सदस्य---

तारीख के बारे में बताइये कि किस दिन होगा ?

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय नेता विरोधी दल से स्वयं परामर्श करके तिथि की घोषणा करूंगा यह मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा था ।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)---

श्रीमन्, जन कांग्रेस का जो निर्माण हुआ है उससे लोगों में बड़ा क्षोभ व्याप्त है क्योंकि इस तरह से अगर सरकारी दल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने लगेगा तो जनता में इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब नियम ५१-५२ के अन्तर्गत कोई माननीय सदस्य सूचना भेजते हैं और अगर वह अस्वीकृत हो जाय तो यदि वे यह कष्ट करें कि मेरे कक्ष में आकर उसके कारण देख लें तो उसमें मुझे भी सहायता होगी। इसलिये कि मैं कहां भूल कर रहा हूं और आपको भी सहायता होगी कि इसमें आप कहां भूल कर चुके

हैं। ऐसे हर कारण को हर व्यक्ति से खड़े होकर मैं कहूं और उसका जवाब दूं तो यह उचित नहीं होगा।

अब यह विषय समाप्त हुआ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने एक प्रश्न सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में दिया था। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री सदन को इससे अवगत करावें कि उसकी पोजीशन क्या है। (व्यवधान)

श्रीमन्, यह प्रश्न बिलकुल फौरन ही उठाने का है क्योंकि अभी हड़ताल चल रही, तो सरकार को चाहिये कि वह सदन को इस बात से अवगत करावें कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल किन परिस्थितियों में चल रही है और उसकी क्या स्थिति है तथा इस संबंध में सरकार की नीति क्या है? क्योंकि यह हजारों और लाखों आदमियों की रोजी का प्रश्न है। हम चाहते हैं कि इसकी शंका समाधान हो जाय, फिर आप वाह-वाह कीजिये या जो चाहे कीजिये।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोई लिखित प्रस्ताव नहीं है और इस पर आपकी व्यवस्था हो चुकी है उसके बाद फिर इस तरह की दुर्व्यवस्था क्यों पैदा की जा रही है?

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि माननीय कृष्णानन्द राय जी का लिखित प्रस्ताव आया और उन्होंने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया और अब फिर उन्होंने कहा है कि इस पर बहस के लिये एक दिन दिया जाय। आप सब काफी जागरूक हैं और इस तरह से १०-२० प्रस्ताव आवें और हर प्रस्ताव के संबंध में मैं बतलाऊं कि किन कारणों से वह अस्वीकृत हुआ और फिर उसके औचित्य के पक्ष का आप समर्थन करें तब तो आपका और जनता का बड़ा ही अमूल्य समय बरबाद होगा। ऐसे अवसर आये हैं जब कि इस तरह के प्रश्न जो माननीय कृष्णानन्द जी ने उठाये हैं इस विषय पर पहले भी आ चुके हैं और वे अस्वीकृत हो चुके हैं।

नियम १०३ के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

नियम १०३ के अन्तर्गत मेरे पास एक प्रस्ताव आया है जो माननीय सर्वश्री फूल सिंह, कल्पनाथ सिंह, नवल किशोर जी, कृष्णानन्द राय, सोहन लाल धुसिया व श्रीराम तिवारी का है। उस प्रस्ताव में यह है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से अन्न उगाही संबंधी आदेश पर विचार किया जाय। माननीय फूल सिंह जी स्वयं मेरे पास जब आये थे तो इस संबंध में उनसे मेरी बातचीत हुई और इस बात की तरफ मैंने उनका ध्यान दिलाया कि नियम १०५ (६) में किसी प्रस्ताव के ग्राह्यता की जो शर्त दी हुई है उसमें यह है, कि "उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो।" यानी आने वाले सत्र में अगर उस विषय पर चर्चा होने की संभावना हो तो उस विषय पर कोई प्रस्ताव या मोशन इंडिपेंडेंट नहीं आ सकता। चूंकि एक प्रस्ताव सामने है इसलिये इस प्रस्ताव को मैं अस्वीकृत करता हूं।

श्री चन्द्रबली द्वारा संयुक्त विधायक दल से संबंध विच्छेद की सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मुझे सदन को एक सूचना देनी है। माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने मेरे पास यह लिख कर सूचना दी है कि उन्होंने संयुक्त विधायक दल से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है और अब उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के नाम से विपक्ष में बैठने का निश्चय किया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

श्री चन्द्रबली सिंह जी ने अलग होने के जो कारण बताये हैं उन कारणों को आप पढ़ने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन कारणों को जानबूझ कर नहीं पढ़ा। मैंने इस विषय में नियमों का अध्ययन किया। जब कोई मन्त्री त्याग-पत्र देते हैं तब मन्त्री को यह अधिकार है कि वह स्टेटमेंट हाउस में दे सकता है और कुछ कारण बता सकता है, लेकिन अगर सदस्य किसी पार्टी से त्यागपत्र दे तो वह कारण बताने के लिये स्टेटमेंट नहीं दे सकता। इसलिये मैंने उनको जानबूझ कर नहीं पढ़ा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जिस दिन चौधरी चरण सिंह ने इस भवन में इधर से उधर जाने का इतिहास रचा था उस दिन भी वह सदस्य थे और उन्होंने इधर से उधर जाने के सारे कारण पढ़े थे और आपने ही उनको उन कारणों को बताने की आज्ञा दी थी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसी आधार पर आप श्री चन्द्रबली सिंह जी को भी आज्ञा दें।

(व्यवधान)

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

जहां तक चन्द्रबली सिंह जी का सवाल है वह अभी तक सोशलिस्ट हैं और कांग्रेस पार्टी में नहीं गये हैं। बहुगुणा जी को मुगालता हो रहा है। उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। वह उसी तरह से सोशलिस्ट हैं जैसे पहले थे। वह कांग्रेस में नहीं गये हैं।

दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब ने आपसे अपना वक्तव्य देने का आग्रह किया था जो चन्द्रबली सिंह जी ने नहीं किया। इसलिये बहुगुणा जी का यह कहना उचित नहीं है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

मैं चाहता हूं कि वह कारण पढ़ दिये जायं कि मैं क्यों संयुक्त विधायक दल से अलग हो रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन कारणों को जो नहीं पढ़ा, उसका मेरा कारण यह नहीं था जो माननीय विकल जी ने बताया कि आपने आग्रह नहीं किया। उसका कारण यह था कि साधारणतः एक सदस्य अगर किसी दल से सम्बन्ध विच्छेद करे तो फिर उसका कारण पढ़ने की अगर परम्परा पड़ेगी तो मुश्किल हो जायगा। माननीय बहुगुणा जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब चरण सिंह जी ने मुझसे आज्ञा मांगी थी तो इनको भी क्यों अनुज्ञा न दी जाय। यह महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जो स्थिति आज सामने है उसमें माननीय बहुगुणा जी और सभी दूसरे सदस्य कदाचित् एप्रीशियेट करेंगे कि यह एक व्यक्तिगत रूप में है और वह एक दल के रूप में था जिसमें १६, १७ सदस्यों ने निश्चय लिया था....

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

उस समय और किसी आदमी ने अपना नाम नहीं दिया था कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं। उस समय भी केवल एक व्यक्ति ही सामने था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बात कही कि उस समय और किसी का स्टेटमेंट सामने नहीं था और न नाम दिया था। चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने पहले

मुझे सूचना दे दी थी मेरे कमरे में आकर और लिखित रूप से। वह यह थी कि वह १६, १७ सदस्यों के साथ कांग्रेस दल से अलग हो रहे हैं तो एक व्यक्ति और एक समूह में अन्तर होता है और जैसा जो कुछ हुआ, उसका परिणाम प्रत्यक्ष है। मैंने उस अन्तर को समझ कर उनके साथ यह शर्त लगा दी थी कि केवल ५ मिनट आप बोलेंगे और इस शर्त के साथ उनको आज्ञा दी थी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा निवेदन यह है कि आपने स्वयं इस समस्या को उलझा दिया। एक तरफ तो विकल जी ने कहा कि उन्होंने वक्तव्य की मांग नहीं की और दूसरी तरफ चन्द्रबली जी ने कहा कि वे कारण पढ़ दिये जायं। तो आप को वे कारण पढ़ने ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष—]

शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने यह कहा कि शायद विकल जी ने उसको यह राय दी। मेरा कहना यह नहीं है कि उन्होंने आग्रह नहीं किया इसलिये मैंने कारण नहीं पढ़े।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

आपने चन्द्रबली सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी में जो फर्क किया है उसके लिय मैं आप का कृतज्ञ हूं, लेकिन जिस परम्परा के चौधरी चरण सिंह वृक्ष बन कर निकले थे उसी परंपरा में माननीय चन्द्रबली सिंह जी बीज बन कर निकले हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि दोनों को अलग-अलग न किया जाय। सच पूछिये तो "बीज" पेड़ से महत्वपूर्ण होता है।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय चन्द्रबली सिंह जी की अलग पार्टी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मुझे यह सूचना दी है कि वे विरोधी पक्ष में बैठेंगे सोशलिस्ट पार्टी के रूप में।

अब मैं सदन में एक स्पष्टीकरण रखना चाहता हूं। हमारा आज का कार्यक्रम इस समय समाप्त हो गया है। चार बजे हमारे वित्तीय वर्ष का बजट आ रहा है। मैं एक बात में सदन का परामर्श लेना चाहत हूं।

(व्यवधान)

मैं जब बोल चुकूं उसके बाद आप अपनी बात कहिये। नियम ६१ में प्रस्ताव की लेन का समय इस प्रकार है :—

"यदि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिए साधारणतया नियत समय से एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष निदेश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाय, उस प्रस्ताव को लिया जायगा।"

तो इस नियम को अगर हम स्ट्रिक्टली लें तो हम इसको ४ बजे ले सकते हैं। आज वह समय नहीं है। इसलिए या तो इसके पूर्व ले सकते हैं अथवा सदन को यह अधिकार किसी प्रक्रिया को निलंबित कर दे। तो मैं यह समझ कर चलूंगा कि दोनों पक्षों की राय से इस नियम के रहते हुए यह तो हो रहा है कि बजट के बाद हम इसको लेंगे।

अब हम उठते हैं और ४ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बज कर ५५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजे श्री अध्यक्ष के सभा-पतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

१९६७–६८ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय.....

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहली अप्रैल को.....

श्री अध्यक्ष--

पहले जो कान्स्टीट्यूशनल प्वाइन्ट हो उसे बताइये। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुल मुईज खां--

मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली अप्रैल को इस सदन में जब गवर्नर महोदय के सम्बोधन पर एक प्रस्ताव पेश हुआ था वह अमेन्डेड फार्म में पास हुआ था। वह गवर्नर के लिये थैंक्स का प्रस्ताव नहीं था बल्कि एक क्रीटीसिज्म था और उसके पास होने के बाद उस समय की सरकार ने रिजाइन कर दिया और गवर्नर महोदय ने सदन के बाहर दूसरी सरकार को नियुक्त कर दिया। तो जो अब बहुमत वाली सरकार है वह जब तक कोई सीधा थैंक्स का प्रस्ताव पास करके गवर्नर महोदय को नहीं भेज देती तब तक इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस सदन का कार्य चला सके।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुईजखां ने यह प्रश्न उठाया कि यह सरकार, दूसरे शब्दों में, कान्स्टीट्यूशनली कान्सटीट्यूटेड नहीं है और इसलिए इसको कार्य करने का अधिकार नहीं है। कारण उन्होंने यह दिया कि जो पिछला धन्यवाद का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हुआ था वह अमेन्ड हो गया। इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सरकार के अस्तित्व का प्रश्न है, उसका कोई संबंध उस रिजोलूशन से नहीं है। गवर्नर महोदय चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं और जब तक गवर्नर महोदय को कोई आपत्ति न हो वह चीफ मिनिस्टर रहता है और चीफ मिनिस्टर अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। दूसरी बात यह कि मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है इस सदन के लिए। इस सदन को यह अधिकार है कि वह यदि यह समझता है कि मंत्रि मंडल अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है तो वह अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसे हटा सकता हैं। उस अमेन्डेड रिजोल्यूशन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये आपने जो कान्सटीट्यूशनल प्वाइन्ट उठाया है वह अवैध है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

अध्यक्ष महोदय मैं वित्तीय वर्ष १९६७–६८ का वर्तमान सरकार द्वारा पूर्ण ब्योरे के साथ बनाया हुआ बजट प्रस्तुत करता हूं।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

मेरा संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है मेरा कहना यह है कि जिन शब्दों में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पास करने का प्रयास किया है यह संविधान के प्राविजन के खिलाफ है और मैं आप की आज्ञा से आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद २०२ की तरफ दिलाना चाहता हूं---

"The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this part referred to as the "annual financial statement".

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष राज्यपाल उस राज्य के उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रक्खेंगे जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें वर्ड है "ए स्टेटमेन्ट"। मान्यवर अगर आप एजेन्डा देखें तो आइटेम नं० १० में यह है कि वित्त मंत्री १९६७–६८ का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।

मेरा कहना यह है कि उसके बाद उनका बजट-भाषण भी हो गया और वार्षिक वित्तीय विवरण भी पेश हो गया। इसलिए मेरा कहना यह है कि दूसरा स्टेटमेन्ट उसी फाईनेन्शियल इयर के लिये पेश नहीं हो सकता। मैं अपनी सपोर्ट में आपकी आज्ञा से अप्रैल २३, १९६२ की लोक सभा डिबेट्स में जो वोट-आन-अकाउन्ट हुआ था, उसे पढ़ना चाहता हूं। यह पेज ५७७ पर है। मोरारजी भाई ने खड़े होकर उस समय दोबारा बजट पेश किया था—

"Sir, a little over a month ago I had presented in the last session of the Second Lok Sabha, the statement of the estimated receipts and the expenditure of the Government of India for the year 1962-63 and obtained a Vote-on-Account. I rise to request this House to consider and approve that statement with a few small variations, which I shall explain later for the year as a whole."

मेरा कहना यह है कि फाईनेन्शयल स्टेटमेन्ट पेश हो गया था। उसके बाद यह सम्भव हो सकता है कि वही सरकार या दूसरी सरकार रिवाईज्ड एस्टीमेट्स के नाम पर बजट को पेश करे। मगर एक बार स्टेटमेन्ट पेश या पास होने के बाद यह वैधानिक नहीं होगा कि उसी साल के लिये दूसरा स्टेटमेन्ट पेश किया जाय। इसी तरीके से आर्टिकल २०६ भी देखें। उसमें वोट-आन-अकाउन्ट की बात है। इसमें साफ है कि—

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure."

इसमें वर्ड "पेन्डिग" का है। मेरा कहना यह है कि यह जो बजट पेश किया गया है यह संविधान की धारा २०२ से २०६ के खिलाफ है। और इसे इस शक्ल में पेश करना हो तो जैसा कि मैंने मोरारजी भाई के शब्दों में पेश किया उस को रिवाइज्ड बजट के रूप में आ सकता है। एक बार पेश कर दिया तो दोबारा पेश नहीं हो सकता। इसमें मान्यवर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नवलकिशोर जी ने जो वैधानिक आपत्ति उठाई है वह मैं मानता हूं बड़े महत्व की है और उसका कुछ मूलभूत बातों से सम्बन्ध है, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां सदन में जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने बताया धारा २०२ में यह प्राविधान अवश्य है कि "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष राज्यपाल उस राज्य के उस वर्ष के लिये प्राक्कलन प्राप्तियों और विवरण रखवायेंगे। जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है"। यह जो अंग्रेजी है, इसमें लिखा है —"गवर्नर शैल इन-रेस्पेक्ट आव् एवरी फाईनेन्शियल ईयर काज टू बी लेड बिफोर दि हाउस आर हाउसेज आव् दि लेजिस्लेचर आव् दि स्टेट ए स्टेटमेन्ट" पहिले तो यह जो "ए" का शब्द है यह मुझे हिन्दी प्रति में

[श्री अध्यक्ष]

अनुच्छेद २०२ में नहीं दिखाई पड़ता। हम जब इस संविधान की धारा को देखेंगे तो हमें हिन्दी से ज्यादा प्रकाश लेना चाहिये। माननीय नवलकिशोर जी की कठिनाई यह है कि "ए स्टेटमेंट" के माने कदाचित यह हैं कि एक बार ही वह स्टेटमेंट आ सकता है, दोबारा नहीं आ सकता है। जहां तक वैधानिक स्थिति है मैं यह बताऊंगा कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट में यह प्रत्यक्ष है कि सिंगुलर इनक्लूड्स ल्यूरल, अर्थात् एक बचन में बहुबचन भी निहित होता है। इसलिये अंग्रेजी का संस्करण भी यदि देखें तो "ए" से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि एक अधिकार संविधान ने दिया। उसमें यह नहीं लिखा है कि केवल एक ही बार यह स्टेटमेंट रखा जायगा। तो एक डाक्ट्रिन है माना हुआ कि अगर संविधान कोई प्राविधान है, इन दी एब्सेंस आफ एनी प्रावीजन टू दी कांट्रेरी, कोई रेस्ट्रिक्टिंग बेजन नहीं है, तो एक बार से भी अधिक उस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यह माना हुआ लीगल डाक्ट्रिन है। इन दोनों मूल कारणों के आधार पर दोबारा फायनेन्सियल स्टेटमेंट आने में संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

हमारे यहां की लोक सभा के नियमों में नियम ३१३ में यह है कि—

"Nothing hereinbefore contained shall be deemed to prevent the presentation of the budget to the house in two or more parts and when such presentation takes place different parts shall be dealt with in accordance with rules as if it were the budget."

अर्थात् आय-व्ययक दो या अधिक भागों में उपस्थित किये जाने से कोई नियम रोकनेवाला नहीं समझा जायगा और जब दो या अधिक भाग हों तो प्रत्येक भाग पर उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी जैसे कि वह आय-व्ययक हो। अगर लोक सभा ने एक से अधिक बार बजट को रखना संविधान के प्रतिकूल समझा होता तो वह ऐसा रूल नहीं बनाती। यह ठीक है कि हमारे नियमों में लोक सभा के २१३ रूल के समक्ष कोई नियम नहीं है। तो फिर हमारे यहां यह रूल है कि अगर किसी बात का कोई नियम न हो तो अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि उसे देखें और उस की व्यवस्था करे। लोक सभा के २१३ रूल से यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि एक बार से ज्यादा बजट प्रस्तुत होना संविधान के विपरीत नहीं है।

परम्पराओं को भी देखना होगा। सन् १९६२ में बिलकुल यही स्थिति थी और उस समय भी पहले इसी तरह का एक हिस्सा प्रस्तुत हुआ था। वोट आन एकाउन्ट मांगा गया। माननीय नवलकिशोर जी बड़े विज्ञ हैं, उन्होंने आर्टीकिल २०६ का हवाला दिया। २०६ में यह प्राविधान है कि जब आप वोट आन एकाउन्ट हाउस से मांगेंगे तो आपको सारे वर्ष का अनुमान रखना होगा। सन् १९६२ में भी इसी प्रकार पहले वोट आन एकाउन्ट मांगा गया और उसके बाद फिर एक फाइनेंशल स्टेटमेंट, आय-व्ययक का ब्योरा रखा गया। पूर्ण बजट रखा गया। तो वह परम्परा भी मेरी बात की पुष्टि करती है।

इसके बाद माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के १९६७–६८ के बजट अनुमानों पर भाषण से मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री उस समय स्वयं इस कठिनाई के प्रति अच्छी तरह जागरूक थे और उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है "सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण या किसी वित्तीय वर्ष का बजट विधान मंडल के समक्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष में पेश करना आवश्यक है। आम चुनाव के बाद नयी सरकार कुछ ही दिनों पहले बनाई गई थी और उस को नयी नीतियां निर्धारित करने और उनके अनुसार अपने बजट प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में अवश्य कुछ समय लगेगा। इसके आगे है "नयी धारणायें भी उत्पन्न होती हैं। पहले से अमल में लायी जा रही नीतियों पर फिर से गौर करना जरूरी हो जाता है।" फिर आगे कहा है "अतः अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार

महीनों में जितना व्यय होने की सम्भावना है उसकी पूर्ति के निमित्त इस सम्मानित सदन से लेखानुदान स्वीकृत करने के लिये निवेदन करने का निश्चय किया गया है।" फिर कहा है, "संविधान के अनुच्छेद २०६ के अनुसार यह आवश्यक है कि जब विधान मंडल से लेखानुदान के लिये स्वीकृति मांगी जाय तो वह वार्षिक वित्तीय विवरण भी उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाय जिसके बारे में लेखानुदान मांगा गया हो। इसके अनुसार अगले सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के अनुमानों को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इस सदन के समक्ष रखना आवश्यक है। उन कारणों से जो पहले बताये जा चुके हैं, इन अनुमानों में नई स्कीमों के लिये किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये जो बजट मैं पेश करने जा रहा हूं उसमें कोई नई बात शामिल नहीं है। अतः यह जरूरी नहीं समझा गया कि मैं इन अनुमानों का कोई ब्योरा दूं या उनके बारे में कोई विचार प्रकट करूं। ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों को तैयार करने का काम भी अभी रहने दिया गया है और वार्षिक वित्तीय विवरण एक संक्षिप्त बजट के रूप में तैयार किया गया है।"

तो उस समय यह हुआ कि वोट आन एकाउन्ट मांगने के लिये एक इंटरिम बजट के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ। सरकार बदलने पर नीतियां बदल सकती हैं। लेकिन इस भाषण से यह प्रत्यक्ष है कि वह भी दूसरा फाइनेन्शिल स्टेटमेंट अवश्य प्रस्तुत करते। इसलिये किसी भी कसौटी से इसमें अब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। नवलकिशोर जी ने सन् १९६२ का लोक सभा की कार्यवाही का उद्धरण पढ़ा और मैंने भी उसे देखा है। वह मेरे सामने है। उससे भी इसी प्रथा का अनुसरण होता है। श्री नवलकिशोर के एक बात यह कही कि रिवाइज्ड बजट के रूप में आना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने माननीय वित्त मंत्री ने रिवाइज्ड बजट प्रस्तुत करने की बात नहीं कही। रिवाइज्ड बजट के लिये प्राविधान है संविधान की धारा २०५ में। उसमें यह है कि :—

"As soon as may be after the grants under Article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet—

(*a*) the grants so made by the Assembly, and

(*b*) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the House or Houses."

नहीं आर्टिकल २०५ है जो इस प्रकार है :—

"The Governor shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of Article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service, not contemplated in the annual financial statement for that year....."

हिन्दी में है कि यदि अनुच्छेद २०५ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय दिये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के योजना के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है.....'। जब सप्लीमेंटरी बजट आता है, तभी इस प्रकार से प्रावीजन किया जाता है, लेकिन वह परिस्थिति

[श्री अध्यक्ष]

आज नहीं है । वित्तीय वर्ष के कुछ महीनों क लिये एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण वोट आन एकाउन्ट मांगा गया था । इसलिये मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यह बजट प्रस्तुत किया गया है वह संविधान की धाराओं के प्रतिकूल नहीं है, सदन की पिछली परम्पराओं के प्रतिकूल नहीं है और लोक सभा में जो प्रचलित परम्परायें हैं उनके भी प्रतिकूल नहीं है ।

एक बात और उठायी गयी है । एक प्रश्न यह अवश्य उठता है कि आर्टिकल २०६ में यह प्राविधान जरूर है कि बजट प्रस्तुत होनेके बाद वोट आन एकाउन्ट मांगा जाता है । उसके बारे में हाउस आफ कामन्स में ऐसी परम्परा है कि वे पहले बजट प्रस्तुत कर देते हैं । उस के बाद वहां वेज एन्ड मीन्स कमेटी है, जिस प्रकार से हमारे यहां प्राक्कलन समिति है, उसके समक्ष वह जाता है । वह कमेटी बजट प्रस्तुत होने के बाद उसकी सूक्ष्म परीक्षा करती है, उसका अध्ययन करके सुझाव देती है । इसलिये वोट आन एकाउन्ट मांग लिया जाता है । मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश की प्राक्कलन समिति ने भी इस प्रकार की सिफारिश इस सदन को की थी कि इस प्रकार का परिवर्तन हमारे यहां होना भी वांछनीय है । यह हमारे लिये आगे सोचने वाली बात होगी ।

अतः मेरा मत है कि वर्तमान सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है वह संविधान की धाराओं के तथा हमारी और लोक सभा की परम्पराओं के अनुकूल ही है । इसलिये मैं माननीय नवल किशोर जी की आपत्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए भी उसको अवैधानिक मानता हूं ।

अब बजट का लिटरेचर बांटा जाय ।

(बजट साहित्य बांटा गया ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९६७-६८ का वर्तमान सरकार द्वारा पूर्ण ब्योरे के साथ बनाया हुआ बजट प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा आपको विदित है, पिछली सरकार ने विधान मंडल के समक्ष एक अस्थायी वार्षिक वित्त विवरण ही प्रस्तुत किया था ।

संयुक्त विधायक दल ने गत अप्रैल में एक नाजुक समय में नयी सरकार बनाने की जिम्मेदारी ली । कुछ समय से, खास तौर से १९६५-६६ से देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण गलत नियोजन रहा है । उस कोढ़ में खाज का काम दैवी आपदाओं ने किया । पहले यह समझा गया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थ-व्यवस्था लगभग ऐसी स्थिति में पहुंच जायगी कि फिर उसकी प्रगति स्वतः होने लगेगी । दोषपूर्ण नियोजन के कारण यह आशा अब निराशा में बदल गयी है । इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो १९६०-६१ में २४९.०४ रु० थी वह तृतीय योजना के अन्त में बजाय बढ़ने के केवल २४३ रु० रह गयी । कृषि उत्पादन केवल १९६४-६५ को छोड़कर, योजना के शेष चार वर्षों में द्वितीय योजना के अन्तिम उत्पादन १ करोड़ ४२ लाख टन से कम रहा और योजना के अन्तिम वर्ष में १ करोड़ २९ लाख टन हुआ । पिछले वर्ष १ करोड़ २७ लाख टन हुआ जबकि हमारी आवश्यकता १ करोड़ ४५ लाख टन की है । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की खराबी का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । इस बात से इन्कार नहीं कियाजा सकता कि दूसरी और तीसरी योजनाओं में कृषि उत्पादन को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गयी जितनी दी जानी चाहिये थी । इस के बजाय बड़ी प्रयोजनाओं में बहुत अधिक धनराशि लम्बे अर्से तक लगाई गयी और इसके लिये बहुधा घाटे की वित्तीय व्यवस्था का सहारा लिया गया । फिर पिछले दो सालों से लगातार सूखा पड़ रहा है जिसका कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ा । गन्ना, कपास तथा कच्चे जूट जैसी व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी कमी आ गयी । जिसका नतीजा यह हुआ कि कृषि वस्तुओं पर आधारित उत्पादन को भी क्षति पहुंची । कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कमी होने और कांग्रेस सरकार के दोषपूर्ण नियोजन

से रुपये का जो अवमूल्यन हुआ उसके फलस्वरूप चीजों के दामों में और अधिक तेजी आ गयी, खासकर खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि पदार्थों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हुई है। कृषि पदार्थों का मूल्य सामान्य कीमतों के स्तर से ऊंचा रहा है और फलस्वरूप उत्पादन की श्रम लागत भी काफी बढ़ गयी है। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है। इस कमी का मुख्य कारण यह है कि उद्योगों के लिये कच्चा माल न मिलने से उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न हो सका। मुख्यतया उत्पादन में कमी और घाटे की वित्तीय व्यवस्था अपनाये जाने की नीति देश में मुद्रा प्रसार का कारण रही है। उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इसका और ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे राज्य की अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि उत्पादन है और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि रक्षात्मक सिंचाई को उत्पादक सिंचाई में बदला जाय। पिछली सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' का नारा तो लगा दिया लेकिन अधिक अन्न उपजाने के लिए अधिक पानी की व्यवस्था नहीं की। पिछले दो वर्षों में लगातार सूखा पड़ने के कारण उसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय देश में लगभग सब से कम है। यहां लाखों व्यक्ति मुश्किल से जैसे तैसे अपना गुजर करते हैं और इन मुसीबतों के कारण यहां लोगों को बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ीं हैं। कुछ समय से ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कम आमदनी वाले लोग बहुत ही कठिन स्थितियों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में केवल निहित स्वार्थ पनपे हैं और प्रशासन ने जनता का विश्वास खोया है। ऐसे हतोत्साह से तिमिराच्छन्न और निराशा की धुंध के वातावरण में संयुक्त विधायक दल ने प्रशासन की बागडोर सम्हाली।

गिरी हुई अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने का एक मात्र उपाय उत्पादन में वृद्धि है। इसके लिये ईमानदारी और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। संयुक्त विधायक दल प्रशासन में निष्कलुषता और कुशलता लाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता इस कठिन समय में सरकार का हृदय से साथ देगी और दो साल से सारे प्रदेश में छाये हुये निराशापूर्ण वातावरण को हटाने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। जनता के प्रबल सहयोग से ही हम अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

मान्यवर, यदि किसी एक ही सिद्धान्त विहीन राजनीतिक दल के हाथ में शासन की बागडोर लम्बे अर्से तक लगातार रहे, तो इससे प्रशासन में कलुषता की कीचड़ वैसे ही बढ़ जाती है जिस प्रकार किसी पोखरे में पानी अधिक दिनों तक स्थिर रहने पर पंकिल हो जाता है। ऐसे शासन के इस प्रकार के स्थायित्व से मिथ्या आत्मसन्तोष पैदा होता है, निहित स्वार्थों का सृजन होता है और प्रशासन में अदक्षता और अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसका समाज विरोधी तत्व पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं। देश के स्वतंत्र होने के बाद यह पहला मौका है कि इस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस राज्य के करोड़ों बेसहारा लोगों की, जो युगों से चुपचाप अभाव और दुख सह रहे हैं, सामाजिक तथा आर्थिक दशा के उत्थान की समस्या अत्यन्त कठिन है जिसके तुरन्त समाधान की बात सोचकर मन विचलित हो जाता है। इस महान कार्य के लिये काफी समय चाहिये। अढाई मास की अवधि के भीतर कोई बड़ा और स्थायी सुधार कर सकना किसी भी सरकार के लिये संभव नहीं है। अपेक्षाकृत तात्कालिक समस्यायें यह हैं—खाद्यान्न का उचित वितरण, कृषि संबंधी उत्पादन में वृद्धि, प्रशासन पर बढ़ते हुये व्यय को कम करना, भ्रष्टाचार समाप्त कर निष्कलुष तथा कुशल प्रशासन की स्थापना करना। इस थोड़े से समय में इस ओर जो ठोस कदम उठाये गये हैं उनकी ओर मैं संकेत करना चाहूंगा।

चारों ओर फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ५६ अधिकारियों के मामले जांच के लिए सतर्कता विभाग और ५ सी०आई०डी० को सौंप दिये गये हैं विभिन्न जांचों के परिणामस्वरूप १ अप्रैल, सन् १९६७ से अभी तक २२ व्यक्ति मुअत्तल किये गये और ९ मामले प्रशासकीय न्यायालय को भेजे गये। खाद्य तथा रसद और बिक्री कर विभागों पर नजर रखने के लिये सतर्कता विभाग में दो नई इकाइयां खोली गई हैं।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

मंत्रियों और ऊंची हैसियत के लोगों के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करने के लिये एक ऐसी स्वतन्त्र एजेन्सी स्थापित करने का निर्णय किया गया है जो सरकार के नियन्त्रण में न होकर पूर्ण स्वतन्त्र होगी ।

प्रदेश से चोरी छिपे बाहर अनाज ले जाना रोकने के लिये ८७ पुलिस चेकपोस्ट स्थापित किये गये हैं । अनाज की जमाखोरी और वितरण सम्बन्धी शिकायतों की जांच में शीघ्रता करने के लिये ८ गुप्तचर दस्ते बनाये गये हैं ।

छोटे व्यापारियों की असुविधा कम करने के उद्देश्य से कुछ चीजों पर बहुसूत्रीय बिक्री बिक्री कर के स्थान पर एकसूत्रीय कर लगाने पर विचार किया जा रहा है । साथ ही साथ मौजूदा सेल्स टैक्स की कमियों को दूर करने के लिये एक नया बिल भी तैयार किया जा रहा है ।

अप्रैल सन् १९६७ से राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करके उनके और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के भत्ते में एक सदस्यीय आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार समानता (पैरिटी) कर दी गई है । इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में करीब १० करोड़ २० लाख रुपया प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है ।

राज्य के मुख्यालय में एक भाषायी अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति की गई है । इस अधिकारी का काम भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करना है । अभी हाल में शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में एक सतर्कता समिति गठित की गई है । यह समिति में उर्दू भाषायी अल्पसंख्यकों की उन शिकायतों की जांच करेगी जिनका सम्बन्ध उर्दू के विषय में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के पालन न किये जाने से होगा ।

जनता को राहत पहुंचाने के लिये शहरी मकानों पर लगने वाला भूमि भवन कर १ अप्रैल १९६७ से समाप्त कर दिया गया है ।

जनता के व्यापक असन्तोष को दूर करने के लिये आनरेरी मजिस्ट्रेटों के सभी पद समाप्त कर दिये गये हैं ।

प्रशासन और न्याय के कार्यों को अलग करने की जनता की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है । सरकार ने इस पर पूरी तरह विचार करने के लिये तथा उसके कार्यान्वयन में पड़ने वाली कठिनाइयों को दूर करने के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की है ।

बस परमिटों के सिलसिले में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, उन मार्गों पर जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, उदारतापूर्वक परमिट देने का निर्णय लिया गया है ।

भारत के अधःपतन की एक मात्र उत्तरदायी जातीयता के कुप्रभाव से हमारे विद्यार्थियों की वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिये सरकार ने उन शिक्षा संस्थाओं को, जिनके साथ जातीयता सूचक नाम लगा हो, किसी भी प्रकार की ग्रांट न देने का फैसला किया है और भविष्य में इस प्रकार की संस्थाओं को मान्यता न प्रदान करने का भी निर्णय लिया है ।

अब मैं १९६५-६६ के लेखे, १९६६-६७ के पुनरीक्षित अनुमानों और १९६७-६८ के बजट अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं । पहली दो मदों के बारे में स्थिति श्वेत पत्र (ह्वाइट पेपर) में समझा दी गयी थी, जिसको पिछली सरकार ने मार्च, १९६७ में विधान मंडल के समक्ष रखा था । उसको दोहराने की आवश्यकता शीघ्र प्रतीत नहीं होती ।

बजट अनुमान

१९६७–६८ के लिये राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान, क्रमशः ३२४ करोड़ ८२ लाख रुपये तथा ३२४ करोड़ २७ लाख रुपये है। इस प्रकार ५५ लाख रुपये की एक छोटी सी बचत होती है। राजस्व व्यय के अनुमानों में योजना की स्कीमों पर राजस्व व्यय के लिये ३७ करोड़ ८५ लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है जिसमें १४ करोड़ ३४ लाख रुपये की धनराशि भारत सरकार से सहायता के रूप में मिलने की आशा है और शेष २३ करोड़ ५१ लाख रुपया राज्य का अपना हिस्सा है।

पूंजी व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के संवितरण के लिये १२४ करोड़ ३७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से १०७ करोड़ ७५ लाख रुपये की धनराशि योजना की स्कीमों के लिये अपेक्षित होगी। भारत सरकार ने राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिये ८७ करोड़ ५० लाख रुपये की सहायता देना इस वर्ष स्वीकार कर लिया है जिसमें से ७३ करोड़ १६ लाख रुपये ऋण सहायता के रूप में होगा। राजस्व लेखे में ५५ लाख रुपये की प्रत्याशित बचत की तुलना में पूंजी लेखे में २० करोड़ ७२ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है। राजस्व लेखे में ५५ लाख रुपये की जो बचत होने की आशा है उसको हिसाब में सम्मिलित करने के बाद २० करोड़ १७ लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है। इस घाटे को भविष्य निधि (प्राविडेंट फंड) में ४ करोड़ ६३ लाख रुपये की शुद्ध प्राप्तियों से और रिजर्व फंड इत्यादि में ७ करोड़ ४ लाख रुपए की प्राप्तियों से पूरा किया जायगा। बाकी ८ करोड़ ५० लाख रुपये का घाटा अतिरिक्त साधन जुटा कर तथा राज हुंडियों (ट्रजरी बिल्स) को भुना कर पूरा करने का विचार है।

योजना के पूंजी व्यय को वित्त पोषित करन के लिये चालू वित्तीय वर्ष में १३ करोड़ रुपये का ऋण बाजार से लेने का प्रस्ताव है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

अक्तूबर, १९६६ में योजना आयोग से परामर्श करने के बाद राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना पर होने वाला व्यय अस्थायी रूप से ९२६ करोड़ रुपया निश्चित किया गया था। आयोग ने ४९५ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने का संकेत किया था और राज्य के संसाधनों का अनुमान ४३१ करोड़ रुपया लगाया था। उस समय राज्य के वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाने में राज्य कर्मचारियों की परिलब्धियों तथा ऐसी अन्य मांगों में वृद्धि के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय का हिसाब नहीं लगाया गया था। तबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि कर दी गई है। जिससे योजना की अवधि के बाकी वर्षों में लगभग ४१ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। मालगुजारी पर अधिभार (सरचार्ज) समाप्त कर दिया गया है और साथ ही नगर सम्पत्तियों पर लगा हुआ कर भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे क्रमशः लगभग २१ करोड़ रुपये और ८ करोड़ रुपये तक के संसाधन कम हो जायंगे।

केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की स्थिति में भी काफी परिवर्तन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि चौथी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप और आकार क्या होगा। इस सम्बन्ध में योजना आयोग बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के साथ नये सिरे से विचार-विमर्श करेगा।

१९६७–६८ के लिए वार्षिक योजना

१९६७–६८ की वार्षिक योजना के लिये लगभग १४५ करोड़ ६० लाख रुपये की धनराशि रखी गई है। इस योजना के लिये केन्द्र से मिलने वाली सहायता ८७ करोड़ ५० लाख रुपया होगी और राज्य के संसाधनों का अनुमान लगभग ५८ करोड़ रुपया लगाया गया है।

गत वर्षों के विपरीत इस वर्ष की योजना में उत्पादक स्कीमों को ही प्राथमिकता दी गई है। योजना परिव्यय का केवल लगभग १२ प्रतिशत समाज सेवाओं तथा सुख-सुविधाओं पर खर्च किया जायगा। शेष धनराशि उत्पादक योजनाओं पर लगाई जायगी। केवल बिजली, छोटी सिंचाई तथा बड़े और मध्यम सिंचाई कार्य-क्रमों में ही ९४ करोड़ रुपये का कुल परिव्यय होगा। जिससे स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

योजना की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमें अतिरिक्त संसाधन ढूंढ़ने ही होंगे और इसके लिये अनुत्पादक व्यय में कठोरता से कटौती करनी पड़ेगी, करों के ढांचों में सुव्यवस्था लानी पड़ेगी, करापवंचन को रोकने के लिये कठोर उपाय अपनाने पड़ेंगे तथा अल्प बचत की स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिये जोरदार अभियान चलाना पड़ेगा। सरकारी मतालबे की बकाया धनराशि की वसूली के लिये भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ।

राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने के लिये यह भी आवश्यक है कि हमारे औद्योगिक संस्थानों से पर्याप्त लाभ हो और किसी भी दशा में हानि न होने पाये। सभी वाणिज्यिक विभागों के कार्यों की इसी दृष्टि से जांच पड़ताल की जा रही है और यह आशा की जाती है कि प्रशासकीय विभाग, जिन उपक्रमों से होने वाला लाभ कम होते जा रहे हैं, उनमें सुधार करके उनका लाभ बढ़ाने और घाटे पर चलने वाले उपक्रमों से होने वाली हानियों को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

खाद्य स्थिति

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुख्य रूप से १९६६-६७ में लगातार दूसरी बार सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया, जिसके फलस्वरूप हमें गम्भीर खाद्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। खाद्यान्नों की स्थानीय सप्लाई कम हो जाने, भारत सरकार से आयात किये गये गेहूं की उपलब्धता तथा मिलने वाली मात्रा भी अपर्याप्त और अनिश्चित होने के कारण बाजार पर बुरा असर पड़ा है। १९६६-६७ के पूरे वर्ष में अनाज के भाव महंगे रहे और जनवरी से मार्च, १९६७ के महीनों में भाव बहुत ऊंचे चढ़ गये। अप्रैल में भावों में कुछ गिरावट आई थी पर मई में भाव फिर चढ़ना शुरू हो गये। अब भावों में कुछ स्थिरता दिखाई देती है और कहीं-कहीं पर भावों के गिरने के लक्षण भी दिखलाई दे रहे हैं। लगातार कोशिशों के बाद भारत सरकार से इस राज्य का मासिक खाद्यान्न कोटा धीरे-धीरे बढ़वाना सम्भव हो सका। जुलाई, अक्तूबर, १९६६ में यह कोटा ४०,००० मीट्रिक टन प्रति माह था जो अब बढ़ कर १:१० लाख मीट्रिक टन हो गया है। यह कोटा भी हमारी जरूरतों के लिये काफी नहीं है। हमें अपनी तात्कालिक और भावी जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करनी ही होगी। बाहर की सप्लाई पर हम अनिश्चितकाल तक निर्भर नहीं रह सकते। इस कठिन खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये, उत्पादकों के हितों की रक्षा के साथ साथ लोगों को उचित दरों पर खाद्यान्न दिलाने के लिये, इस साल सरकार द्वारा किसानों से रबी के गल्ला खरीदारी की योजना राज्य के प्रायः सभी जिलों में शुरू की गई है। इस योजना में पर्वतीय जिलों तथा मिर्जापुर को शामिल नहीं किया गया है। गल्ला केवल उन्हीं किसानों से लिया जा रहा है जिनके पास पर्याप्त खेत हैं और जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित गल्ले की मात्रा बेचने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिये ८ एकड़ से कम की जोतों को इस हमारी उगाही से मुक्त कर दिया गया है। कुछ जिलों और क्षेत्रों में १ १/२ एकड़ को १ एकड़ के बराबर माना गया है और १२ एकड़ तक जोत वाले किसानों को उगाही से मुक्त कर दिया गया है। जिन किसानों ने अपनी जोतों में रबी की फसल बिल्कुल नहीं बोई है उनसे कोई वसूली नहीं की जा रही है। खरीदारी की कीमतें भी पर्याप्त रूप से लाभ प्रद रखी गई हैं। जिन जिन राज्यों ने ऐसी सरकारी खरीदारी योजनायें लागू की हैं उनमें अन्य राज्य सरकारों द्वारा जो दर निश्चित की गयीं उनकी तुलना में इस राज्य की दरें सबसे ऊंची थीं। उत्पादकों की सुविधा के लिये खरीद वाले प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। हर संकट की घड़ी में हमारे किसान भाइयों ने हमेशा राष्ट्रीयता की भावना का परिचय दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे गल्ला खरीद योजना को भी सम्पूर्ण देश के हित का खयाल करते हुए पूर्ण सफल बनायेंगे।

चौथी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को दी गई है। गेहूं तथा धान की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की खेती शुरू कर के तथा संकर (हाइब्रिड) मक्का, ज्वार और बाजरा की बुआई करके प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की एक नई विधि अपनाई जा रहीहै। इस विधि से उपज में कम से कम तीन गुनी अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। पर इसके लिये प्रचुर मात्रा में उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों आदि की आवश्यकता होगी। अधिक पैदावार देने वाली इन किस्मों की खेती केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जायेगी जहां सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित है। यह भी प्रयत्न है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में एक से अधिक फसलों की बुआई करने की प्रणाली अपनाई जाय। अधिक पैदावार देने वाली किस्म उगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो खरीफ १९६६–६७ में आरम्भ किया गया था, पिछले वर्ष कुल १०.५९२ लाख एकड़ के क्षेत्र में खरीफ और रबी की फसलें पैदा की गईं। १९६७–६८ में खरीफ और रबी के लिये कार्यक्रम का लक्ष्य ४२.९५० लाख एकड़ रखा गया। इसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल ४ गुना क्षेत्रफल अधिक पैदवार देने वाली किस्मों के अन्दर लाया जायगा। खरीफ की कुल १२.९५ लाख एकड़ क्षेत्र में धान के अन्तर्गत ५.५ लाख एकड़, मक्का के अन्तर्गत ६.२५ लाख एकड़ और ज्वार और बाजरा के अन्तर्गत शेष भूमि होगी। जहां तक रबी का सम्बन्ध है २० लाख एकड़ क्षेत्र में मैक्सिकन गेहूं और १० लाख एकड़ क्षेत्र में 'के––६८' प्रकार का गेहूं पैदा किया जायगा। १९६७-६८ में तथा चौथी आयोजना की अवधि में अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह क्रमशः २५.२१ लाख और ४७.२५ लाख मीट्रिक टन है। कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों पर चौथी आयोजना में अस्थायी रूप से कुल २२८.२१ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है, जब कि तीसरी आयोजना में इस कार्य के लिये केवल ८८.११ करोड़ रुपये व्यय करना मंजूर किया गया था। रासायनिक उर्वरकों की खपत भी १९६६–६७ मे ४.५२ लाख मीट्रिक टन से बढ़कर १९६७–६८ में १३.२० लाख मीट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है। हरी खाद के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र भी १९६६–६७ में १५.४२ लाख एकड़ से बढ़कर १९६७–६८ में २५ लाख एकड़ हो जायगा। १९६६–६७ में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत २.२४ लाख एकड़ क्षेत्र लाया गया जब कि १९६७–६८ में इसके अन्तर्गत २.८८ लाख एकड़ क्षेत्र और लाये जाने की सम्भावना है। इस साल ६५ नई फार्म इकाइयों के स्थापित हो जाने की भी आशा है। वर्ष में दोहरी फसल पैदा किये जाने वाले क्षेत्र में ३०.९१ लाख एकड़ की वृद्धि की जायगी। तरकारी, विशेषतया आलू पैदा करने के कार्यक्रम में भी तेजी से प्रगति हो रही है। पौध संरक्षण सेवाओं का प्रसार किया जा रहा है और मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण बहुत बड़े पैमाने पर इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि किसान अपनी भूमि में मिट्टी की दशा के अनुकूल खाद का प्रयोग कर सकें। किसानों को बीजों तथा उर्वरक इत्यादि खरीदने के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधायें दिये जाने का काफी बड़े पैमाने पर प्रबन्ध किया जा रहा है। पर्वतीय जिलों में बागवानी के प्रसार का कार्यक्रम भी तेजी से चलाया जा रहा है।

पशुपालन तथा मत्स्यपालन विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है। राज्य में पशु प्रजनन सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने के लिये चालू वर्ष में दो अतिरिक्त वीर्य बैंक और ४० अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य के १० कुक्कुट पालन फार्मों तथा ३५ कुक्कुट प्रसार तथा उत्पादन केन्द्रों में अंडा देने और अंडा सेने की क्षमता में वृद्धि की जा रही है और १९६६–६७ में लखनऊ में जो १० फार्म तथा २ यूनिटें अथवा सघन कुक्कुट पालन विकास खण्ड स्थापित किये गये, उनका प्रसार किया जा रहा है। चालू वर्ष में मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ों के क्रमशः दो दो फार्मों का प्रसार किया जा रहा है। भेड़ों का एक फार्म तथा भेड़ एवं ऊन प्रसार के चार केन्द्र भी चालू वर्ष में स्थापित किये जा रहे हैं। वर्णसंकर भेड़ें तैयार करने के लिये यह प्रस्ताव है कि विदेशों से भेड़ें मंगाई जायं। गत वर्ष सुअरपालन विकास के चार ब्लाक खोले गये थे। चालू वर्ष में ऐसे ही चार और ब्लाक खोलने का प्रस्ताव है। सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ की बेकन फैक्ट्री, जिस पर पहले से ही काम चल रहा था, अक्तूबर–नवम्बर, १९६७ तक काम करने लगेगी।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

१९६६-६७ में तीन जलाशय तथा चार मध्यम श्रेणी के जलाशयों (मीडियम वाटर) में मत्स्य उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया था तथा गांव सभाओं और अन्य मत्स्य उत्पादकों की मांगों को पूरा करने के लिए २० मत्स्य बीज फार्म खोल गये थे। चालू वर्ष में तीन और जलाशय तथा चार मध्यम श्रेणी के जलाशयों में मत्स्य उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

छोटे सिंचाई के निर्माण-कार्य

बड़े तथा मध्यम सिंचाई निर्माण-कार्यों के फायदे सभी किसान नहीं उठा सकते। इसलिए राजकीय तथा निजी, दोनों छोटे सिंचाई निर्माण-कार्यों का काफी महत्व है। १९६७-६८ के दौरान ११२ नए नलकूप बनाने, ११३ बिगड़े हुए नलकूपों को सुधारने तथा ३०० पुराने नलकूपों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है। इन नलकूपों द्वारा चालू वर्ष के दौरान कुल १.३९ लाख एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जा सकने की आशा है। निजी छोटी सिंचाई के कार्यक्रम का १९६७-६८ के लिए जो लक्ष्य निश्चित किया गया है, उसमें ६०,००० कुओं का निर्माण करना तथा ८०,००० बोरिंग करना और ३५,००० रहट, १८,००० पम्पिंग सेट, १६,५०० निजी नलकूप लगाना और १५,००० नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों में बिजली लगाना सम्मिलित है। यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में निजी छोटे सिंचाई निर्माण-कार्यों के माध्यम से ९.४७ लाख एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। ऐसे निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने के लिए किसानों को ऋण तथा राज सहायता देकर आवश्यक प्रोत्साहन दिया जायगा। अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत करने के लिए बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। २० जिलों में उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण दिया जा रहा है, जिसके ऋण-पत्रों में सरकार समय-समय पर पर्याप्त अंशदान देती जा रही है। ऐसी आशा है कि विकास खंडों तथा भूमि विकास बैंक के माध्यम से कुल मिला कर लगभग २० करोड़ रुपये की धनराशि इस प्रोग्राम के लिए ऋण के रूप में वितरित की जायगी।

सरकार का यह भी निश्चित मत है कि इन योजनाओं में सिंचित क्षेत्र उतना ही रखा जाए जिस पर्याप्त पानी दिया जा सके, ताकि अधिक उपज देने वाली फसलों को बो कर अधिकतम उपज ली जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी नलकूपों का निर्धारित क्षेत्र ६०० एकड़ से घटा कर तीन सौ एकड़ कर दिया गया है।

सूखे की स्थिति

जैसा मैं अभी कह चुका हूं, दो वर्षों से इस राज्य में बराबर सूखा पड़ रहा है और पिछले वर्ष जैसा सूखा पड़ा था वैसा बहुत दिनों से नहीं पड़ा। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के कष्ट दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं और केन्द्रीय सहायता से उत्पादन बढ़ाने के भी भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क सहायता देकर तथा बड़े पैमाने पर टेस्ट कार्य आदि करके सहायता पहुंचाई जा रही है। मार्च के महीने तक १५२ टेस्ट कार्यों पर ७२,००० आदमियों को काम दिया गया था जब कि अब टेस्ट कार्यों की तादाद बढ़ कर ४०४ हो गई है जिनके द्वारा लगभग १ लाख६९ हजार आदमियों को रोजी मिल रही है। इसी प्रकार मार्च में १४ मुफ्त भोजनालय सूखा पीड़ित क्षेत्रों में खोले गये थे अब इनकी तादाद १८५ है और इनके द्वारा पहिले से ८५,००० अधिक व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई जा रही है। हाल ही में मिर्जापुर जिले में १४ सस्ती कैन्टीनें भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई है जिसमें ४ आने के अन्दर पूरा भोजन दिया जाता है। पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये १०२९ गांवों में अस्थायी पाइप लाइनों, ट्रकों और टैंकरों के जरिये पानी पहुंचाया गया है। इस भीषण परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस काम के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था की जायगी।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनायें

पिछले २० वर्षों में राजकीय साधनों द्वारा सिंचन की क्षमता ७६.६९ लाख एकड़ से बढ़कर १२९.७२ लाख हो गई है। पिछले वर्ष बढ़ोत्तरी इसलिए कम हुई कि दोनों बड़ी योजनाएं-रामगंगा व गंडक में अधिकतम धन का व्यय हुआ। इनका सिंचन क्षेत्र १९७१-७२ तक उपलब्ध हो सकगा। इन योजनाओं के पूरा होने पर रामगंगा से १७ लाख एकड़ और गंडक से ७ लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता प्राप्त हो सकगी। इसका भी प्रयत्न किया जा रहा है कि

गंडक नहर की दो शाखाओं में से देवरिया शाखा को दो वर्ष बाद चालू किया जा सके जिससे ४ लाख एकड़ में समय से पूर्व सिंचाई की जा सके ।

बहुत-सी माध्यमिक योजनाओं पर भी कार्य हो रहा है। जिनमें से तुमरिया, पीली व मेजा जलाशयों पर लगभग कार्य पूरा हो चुका है ।

चालू वर्ष में १५.७५ करोड़ रुपया वृहत तथा माध्यमिक योजनाओं में व १.२५ करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण योजनाओं में व्यय करने की व्यवस्था है।

विद्युत् उत्पादन

कृषि और उद्योग विकास के लिए विद्युत का उत्पादन नितान्त आवश्यक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में विद्युत शक्ति के उत्पादन की क्षमता ९१० मेगावाट पर पहुंच गई थी, जिसमें राज्य विद्युत परिषद की क्षमता ८६० मेगावाट थी। पिछली सरकार ने १९६६–६७ में कुछ नई योजनाओं के पूरा होने की आशा दिलाई थी जो फलीभूत नहीं हुई। इसलिये पिछले साल विद्युत् क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। चालू वर्ष में यह आशा की जाती है कि उत्पादन की क्षमता ३१४ मेंगावाट बढ़ जायगी, जिसमें ओवरा से १५० मेंगावाट, हरदुआगंज से १०० मेंगावाट और पन्की (कानपुर) से ६४ मेंगावाट शामिल है। यह भी आशा की जाती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी क्षमता १२५ मेंगावाट बढ़ेंगी।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए प्राविधिक शिक्षा का पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना आवश्यक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए लगभग ९ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी। चतुर्थ योजना के लिए लगभग १७.२६ करोड़ रुपए तक की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इंजीनिरिंग टेक्नालाजी के पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने वाले कालेजों में प्रवेश होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो द्वितीय योजना के अन्त में ४२८ थी, चतुर्थ योजनाकाल के प्रथम वर्ष १९६६–६७ में बढ़कर १.५६५ हो गई है। इसी प्रकार डिप्लोमा स्तर पर शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी जो द्वितीय योजना के अन्त में २९८० थी, १९६६–६७ में बढ़ कर ५,६७० हो गई। चालू वित्तीय वर्ष में कालेजों तथा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस साल अब तक जो प्रसार हो गया है उसे ही सुदृढ़ तथा सुचारु रूप से चलाने का विचार है। सरकार यह समझती है कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने में अधिक आवश्यक यह है कि मौजूदा संस्थाओं में भवन, सज्जा तथा शिक्षकों की उचित व्यवस्था की जाय।

उद्योग

इस प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की कई केन्द्रीय प्रायोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। ऐन्टी बायोटिव फैक्टरी, ऋषिकेश, हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार, और डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप, वाराणसी में उत्पादन पहली अवस्था में पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। गोरखपुर के रासायनिक खाद के कारखाने में १९६८ में उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। इलाहाबाद में हेवी डयूटी पम्प ऐंड कम्प्रेसर फैक्टरी और त्रिवेणी हेवी स्ट्रक्चरल्स के अलावा आगरा में एक्सीलरेटेड ड्राई फ्रीज मीट प्लान्ट, हरिद्वार में एक फाउन्ड्री फोर्ज फैक्ट्री, वाराणसी में एक ट्रैक्टर बनाने का संयंत्र और कानपुर में जूते बनाने का एक बड़ा यान्त्रिक कारखाना तथा एक यान्त्रिक बेकरी संयंत्र (प्लान्ट) स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है। नैनी में रेलवे का एक स्टील कास्टिंग और वैगन बनाने का कारखाना भी स्थापित होने की सम्भावना है। मिर्जापुर में डल्ला के नए सीमेंट कारखाने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और आशा है कि इस कारखाने में १९६८–६९ के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जावेगा। गन्ने की चार बड़ी सहकारी फैक्टरियां पहले ही चालू हो चुकी हैं और ऐसी ही एक और फैक्टरी औराई (वाराणसी) में स्थापित करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर ने प्रत्येक मामले में १ लाख रुपए तक के मूल्य की ऐसी देशी तथा विदेशी मशीनें उद्यमकर्ताओं को हायर-पर्चेज प्रणाली पर देनी प्रारम्भ कर दी हैं, जो भारत के भण्डारों में उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र में नाइलोन का धागा बनाने की एक नयी बड़ी प्रायोजना मोदी नगर में स्थापित की जा रही है। अमेरिका के सहयोग से लगभग ३६ करोड़ रुपए की पूंजी लागत पर, निजी क्षेत्र में, रासायनिक खाद का एक बड़ा संयंत्र (प्लान्ट) स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि सहायक उद्योगों की

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिर भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के क्षेत्र में यथेष्ट प्रगति नहीं हुई। यह इससे ही विदित होगा कि इस अवधि के अन्दर नए उद्योगों के लिए २६८ लाइसेंस दिए गए जिसमें केवल ५६ कार्यान्वित हुए और १५१ पर कार्यवाही जारी रही। इसी प्रकार उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न स्थानों पर १,७३५ एकड़ भूमि का विकास किया गया लेकिन उसमें से केवल ५१२ एकड़ भमि ही नए उद्योगों के लिए दी जा सकी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थाति की हुई बहुत-सी इन्डस्ट्रियल स्टेट्स भी कामयाब नहीं हुईं। इससे प्रतीत होता है कि इन प्रोग्रामों को चलाने के लिए पूरी सावधानी नहीं बरती गई। अब इस प्रकार की असफलताओं को बचाने के लिए सतर्कता के साथ प्रयत्न किया जायगा।

सड़कों का निर्माण

स्वतन्त्रता प्राप्त करने से पूर्व सन् १९४७ में इस प्रदेश में कुल ९,४०० मील पक्की सड़कें थीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह १६,५०० मील हो गईं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६६–६७) में २९९ मील नयी पक्की सड़कों का निर्माण तथा ४५१ मील वर्तमान सड़कों का सुधार एवं आधुनीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत ५६ मील नई सड़कों का निर्माण हुआ। भारत सरकार जो बरेली से असम राज्य में अमीन गांव तक लेटरल रोड बनवा रही है उसमें उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले मार्ग पर कार्य प्रगति में है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति बढ़ा दी गई है जिससे लोगों को रोजी मिल सके, साथ ही मिर्जापुर और गाजीपुर जिलों में विभाग द्वारा भी टेस्ट कार्य किए जा रहे हैं। १९६७–६८ में अधिकतर व्यय स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में किया जायगा। साथ ही साथ १६२ मील नयी सड़कों का निर्माण, २०४ मील वर्तमान सड़कों का सुधार एवं पुनर्निर्माण तथा ८ नए पुलों का निर्माण इस वर्ष के लक्ष्य में शामिल है।

शिक्षा

१९६६–६७ के अन्त तक, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा पाने वाले ६ से ११ वर्ष की अवस्था के बच्चों का प्रतिशत ८४.५४ तक और ११ से १४ वर्ष की अवस्था के बच्चों का प्रतिशत २६.०६ तक पहुंच गया था। १९६७–६८ में लड़कियों की शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से १४८ जूनियर बेसिक स्कूल और ८० अनुवर्ती कक्षाएं (कान्टीन्यूवेशन क्लासेज) खोलने का प्रस्ताव है। लड़कों के लिए १८० और लड़कियों के लिए ५० सीनियर बेसिक स्कूल खोलने, १०० स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में रखने और १४० स्कूलों को विज्ञान के उप-विभागों के निर्माण तथा साज-सज्जा खरीदने के लिए अनुदान देने का भी प्रस्ताव है। शिक्षा के क्षेत्र में इन और अन्य स्कीमों के लिए इस साल ५ करोड़ ४९ लाख रुपए की व्यवस्था है। इस क्षेत्र में नान-प्लान (आयोजनेतर) व्यय अब लगभग ४४ १/२ करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य

इस वर्ष चिकित्सा-शिक्षा और प्रशिक्षण, संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा परिवार नियोजन और चिकित्सा सेवाओं के सुधार और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जायगा। १९६६–६७ में ७९,३१५ स्टैरिलाइजेशन आपरेशन किए गए और १,०६,२७१ लूप लगाए गए। वर्तमान वर्ष में ढाई लाख लूप लगाने और इतने ही स्टैरिलाइजेशन आपरेशन करने का लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मेरठ के मेडिकल कालेज का विकास किया जा रहा है, झांसी में नए मेडिकल कालेज का भवन-निर्माण कार्य चालू है और गोरखपुर के मेडिकल कालेज के भवन निर्माण का कार्य भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है। राजकीय अस्पतालों में नई ३०० शय्यायें बढ़ाने का प्रस्ताव है, दो नए ब्लड बैंक भी खोले जाने हैं। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत १० क्षय रोग क्लीनिकों का उन्नयन तथा कुछ नए क्लीनिकों के लिए भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा। श्रमिकों के लिए २ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने का भी प्रस्ताव है। नेशनल होमियोपैथिक कालेज, लखनऊ का प्रान्तीयकरण और राजकीय आयुर्वेदिक सेवाओं का सृजन करने के भी प्रस्ताव हैं। लखनऊ मेडिकल कालेज को भी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लेने का निर्णय कर लिया है।

हर साल इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर और झाँसी जिलों के कुछ भागों में पेय जल की बहुत कमी रहती है। यह कष्ट पिछले दो सालों में सूखे के कारण और भी बढ़ गया था। इसलिए १६ पेय जल योजनायें ३ करोड़ ७१ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पिछले साल चालू की गयी। इनके अलावा वर्तमान वर्ष में एक और योजना ७२ लाख रुपए के अनुमानित व्यय पर बांदा के पाठा क्षेत्र के कुछ गांवों में पेय जल उपलब्ध करने के लिए चालू की जा रही हैं। पिछले साल भारत सरकार ने २ करोड़ १५ लाख रुपया ऐसी योजनाओं के लिए दिया था और वर्तमान वर्ष में भी १ करोड़ रुपया मिलने की आशा है। इन योजनाओं पर कार्य पूरा हो जाने पर शुद्ध पेय जल ६४४ गांवों के लगभग ३ लाख ७० हजार ग्रामवासियों को स्थायी रूप से उपलब्ध हो जायगा।

सहकारिता

सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत इस समय मुख्यत इस बात पर बल दिया जा रहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को ऋण अधिक मात्रा में और उचित समय से मिल सके साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी पैदा की हुई वस्तुओं को बेंचने के लिए प्रबन्ध अधिक मात्रा में सहकारी समितियों द्वारा किया जाय। पर कठिनाई तो यह है कि बहुत-सी सहकारी समितियों, बैंकों तथा अन्य सहकारी संस्थाओं में हिसाब-किताब ठीक से नहीं रखे जा रहे हैं। जहां-जहां गोलमाल की शिकायतें हैं उनकी जांच की जा रही है। यह भी पाया गया है कि लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में जो दोष समय-समय पर बताए गए थे उनको हटाने की यथेष्ट चेष्टा नहीं की गई। जिन लोगों ने गड़बड़ की उनके विरुद्ध भी उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई। इन खराबियों को दूर करने के लिए जहां भी गम्भीर अनियमिततायें और हिसाब किताब में गोलमाल होने की शिकायतें हैं उन संस्थाओं का सरकार स्पेशल आडिट करवा रही है। जो दोषी पाए जायंगे उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी। यह नितान्त आवश्यक है कि सहकारी क्षेत्र ऐसी गड़बड़ियों से मुक्त हो ताकि सहकारिता आन्दोलन में जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा सके।

वन

प्रदेश में लकड़ी पर आधारित अनेक उद्योगों, जैसे दियासलाई, प्लाईवुड, खेलकूद के सामान आदि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक महत्व के वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। १९६७-६८ में यह कार्य ४,५०० हैक्टेयर पर किया जायगा। अखबारी और लिखने वाले कागज की मांग भी दिनों दिन बढ़ रही है। कागज की लुगदी के लिए शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों का रोपण विस्तृत ढंग से किया जा रहा है। १९६७-६८ में १२,२०० हैक्टेयर में शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों का रोपण किया जायगा।

उत्तराखण्ड तथा अन्य पर्वतीय जिले

उत्तराखण्ड डिवीजन में चालू की गई विभिन्न विकास योजनाएं सन्तोषजनक रूप से प्रगति कर रही हैं, इनमें प्राथमिकता खेती के विकास को दी गई है। इस डिवीजन के विकास के लिए इस वर्ष ३ करोड़ ५० लाख रुपए की धनराशि नियत की गई है। खेती के अतिरिक्त बागवानी, छोटी सिंचाई, बिजली, पानी की सप्लाई, सहकारिता और वनों का विकास करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पर्वतीय जिलों के विकास के लिए एक विशेष सलाहकार बोर्ड कायम करने का भी निश्चय किया गया है। इस साल की योजना में अन्य पर्वतीय जिलों के विकास के लिए ३ करोड़ ४३ लाख रुपए की व्यवस्था है।

मैं अपने भाषण में उन महत्वपूर्ण समस्याओं का जिक्र कर चुका हूं जिनका समाधान वर्तमान सरकार को करना पड़ रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या खाद्यान्न के संग्रह, वितरण तथा उत्पादन की है। इस अहम मसले को दलगत राजनीति के स्तर से ऊपर समझा जाना चाहिए। नई सरकार भ्रष्टाचार और पक्षपात को मिटाने के साथ-साथ, जिन से हमारे समाज की जड़ें कमजोर हो गयी हैं, स्वच्छ तथा दक्ष प्रशासन कायम करने की भी कोशिश कर रही

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

है। अतीत में जो उत्तर प्रदेश हमारी सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र था वह अब अपना यह सुयश खो चुका है और विकास की दौड़ में भी पिछड़ गया है। हमें ईमानदारी से और कड़ी मेहनत करके राज्य के सामान्य लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस राज्य को उसकी गरीबी और अवनति के वर्तमान स्तर से ऊपर उठाने के कठिन कार्य में इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों और अपने राज्य के सभी दलों तथा लोगों की सद्भावना और सहयोग की कामना करता हूं।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री भोला नाथ माहेश्वरी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके अथक परिश्रम, अनुभव एवं कार्य-कुशलता के फलस्वरूप मुझे बजट बनाने व तैयार करने में विशेष सुविधा मिली। साथ साथ वित्त विभाग के विशेष सचिव, श्री सुन्दर प्रकाश वातल व उप सचिव श्री नरेन्द्र चन्द्र राय, श्री विनोद कुमार दीक्षित, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री गणेश शंकर चौधरी, श्री योगेश चन्द्रा तथा श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय को मैं धन्यवाद देता हूं। इनके अतिरिक्त वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बजट बनाने में सहायता दी। मैं भाषा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़े परिश्रम से बजट साहित्य बनाने में सहायता दी। अन्त में राजकीय मुद्रणालय के अधीक्षक श्री जे० डब्ल्यू० हाल्ज तथा संयुक्त अधीक्षक श्री सदन लाल गुप्त एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का मैं आभारी हूं जिन्होंने सारे बजट साहित्य को विशेष कुशलता एवं सतर्कता से मुद्रित कर उसे प्रस्तुत करने में योगदान दिया।

महोदय, मैं १९६७–६८ का बजट प्रस्तुत करता हूं।

३ विभिन्न विश्वविद्यालय कोर्ट तथा अन्य संस्थाओं के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये २, आगरा विश्वविद्यालय सिनेट के लिये ५, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५, लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति के लिये ४, गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड कानपुर की समिति के लिये १, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद के लिये ३ तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये ३ सदस्यों (जिनमें एक महिला होगी) के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित करता हूं—

(१) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय २६–६–६७ के सांयकाल ५ बजे तक।

(२) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय २७–६–६७ के १० बजे (सचिव के कमरे में)

(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय २९ जून, ६७ को सांयकाल ५ बजे तक।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में दिनांक १ जुलाई, १९६७ को १२ बजे से ४ बजे सांयकाल तक होगा।

कालागढ़ में पुलिस तथा मजदूरों में संघर्ष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, एक बड़ी दुखद, अप्रियकर और ऐसी घटना, जिसका संबंध इस प्रदेश की एक बड़ी योजना से है उस पर काम करने वाले श्रमिकों से है और जिसका मेरे सौभाग्य से माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में अभी अभी जिक्र भी किया है, उस रामगंगा परियोजना पर बांध बनाने वाले मजदूरों पर १६ मई को जो .....

श्री अध्यक्ष—

पहले इसके कि आप अपना भाषण आरम्भ करें, मैं चाहूंगा कि आप अपना मोशन विधिवत् मूव कर दें ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से इस अविलम्बनीयलोक महत्व के कार्य की ओर आज की कार्यवाही स्थगित कर, सदन में चर्चा उठाना चाहता हूं । आशा है ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय देने की कृपा करेंगे ।

"रामगंगा परियोजना के बांध बनाने वाले मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी है । १५०० मजदूर अभी तक कार्य पर वापिस नहीं आये हैं जिससे ९२ करोड़ की इस परियोजना के भविष्य के संबंध में काफी चिन्ता उत्पन्न हो गयी है । इस हड़ताल के बीच में १६-५-६७ को कालागढ़ टाऊन में पुलिस तथा मजदूरों में जम कर संघर्ष हुआ तथा बाद में पुलिस ने अश्रुगैस तथा लाठियों की वर्षा निरीह मजदूरों पर की जिससे काफी मजदूर घायल हैं तथा श्री ओमपाल सिंह जी की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी । मैं इस सदन के दो माननीय सदस्यों सर्वश्री गिरधारी लाल जी, कुंवर सत्यवीर तथा संसद सदस्य काशीनाथ पांडेय जी के साथ स्वयं कालागढ़ गया और इस सारे कांड की स्थिति और कारणों की जांच कर, उसकी रिपोर्ट सरकार को दे चुका हूं ।

जांच करते समय मजदूरों ने मुझे बताया कि पुलिस ने गोलियां भी चलाई तथा मरे हुए लोगों को पी० ए० सी० की ट्रक नं० १०२२ यू० पी० वाई० (सात) तथा प्रोजेक्ट की जीप नं० यू० एस० एफ० ३०३९ के जरिये झरना चौल की ओर ले गयी तथा गायब कर दिया । पुलिस ने मजदूर बस्तियों के घरों में घुस कर मजदूरों के सामानों को भी लूटा तथा बहुत सा सामान रेडियो आदि उठा ले गयी । बहुत से मजदूर और श्रमिक यूनियन के नेता जेल में बंद हैं । एक हजार से ऊपर मजदूर अभी भी कालागढ़ में भय के कारण नहीं आ रहे हैं तथा इस नगरी के चारों ओर पुलिस के आतंक का वातावरण फैला हुआ है । सरकार का अभी तक इस संबंध में समस्याओं को सुलझाने हेतु कदम का न उठाया जाना तथा श्रमिकों की मान्यता प्राप्त यूनियन से समझौता वार्ता कर शान्ति स्थापित करने की ओर अग्रसर न होने से इस राष्ट्रीय महत्व की योजना के भविष्य के संबंध में चिन्ता उत्पन्न हो गयी है और एक संकटमय तथा विकट स्थिति विद्यमान है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप १५ मिनट इसके बाद और ले लें ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा, मेरा सौभाग्य है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन दो योजनाओं की चर्चा अपने बजट भाषण में यहां की, उनमें यह एक रामगंगा परियोजना भी है ।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इस योजना में बांध पर काम करने वाले श्रमिक दो प्रकार के। एक रेगुलर श्रमिक हैं और एक वर्क चार्ज्ड मजदूर कहलाते हैं। ये वर्क चार्ज्ड मजदूर ४,३०० की तादाद में बताये जाते हैं और वहां बहुत बनाने के काम पर लोग लगे हुये हैं। इनकी अपनी एक यूनियन है जिसका नेतृत्व वहां के श्रमिक स्वयं करते हैं और उन की यूनियन का एक प्रधान मंत्री है जो एक बाहरी व्यक्ति है और वही एक मात्र वहां बाहरी व्यक्ति है जिसका स्वयं का संबंध संयुक्त विधायक दल की सरकार के एक कांस्टीट्युएन्ट यूनिट से है या उससे वह सहायता प्राप्त है या उसके साथ संपर्क जिस मजदूर आन्दोलन का है उसके साथ उस व्यक्ति का संबंध है। यह बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर दो यूनियन नहीं है एक ही है। मैं १६ मई की उस अक्षोभनीय घटना को एक महत्वपूर्ण घटना मानता हूं कई दृष्टियों से। एक तो यह कि सरकार की बात को ही यदि सुना जाय और दूसरे पक्ष की बातको सुनने या समझने से इनकार भी करें या सारी की सारी बात को असत्य भी घोषित करें तो भी एक खौफनाक और खतरनाक बात उस कालागढ़ कांड के संबंध में सरकार की तरफ से कही जाती है। १६ तारीख को जो कुछ हुआ उसके संबंध में कहा जाता है कि श्रमिकों ने ८ बम पी० ए० सी० के जवानों पर फेंकें। कई बम फट गये और एक बम उन्होंने अभी भी अपने पास रख छोड़ा है शायद यह सिद्ध करने के लिये कि मजदूर कितने उग्र थे कालागढ़ बांध पर काम करने वाले। इस संघर्ष में बम चले, सरकार का यह कहना है। मेरा कहना यह है कि भारत के मजदूर आन्दोलन के इतिहास में इस तरह का लांछन सब से पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकार की तरफ से कालागढ़ मजदूरों के संगठन के संबंध में लगाया गया है। जितने भी भारत में मजदूरों के संघर्ष हुए बम चलाने की बात नहीं आयी, कांग्रेस के २० साल के शासन में नहीं आयी। यह तरक्की हुई संयुक्त विधायक दल के दो ढाई महीने के शासन में कि मजदूर संगठनों को अपनी मांगों के संबंध में बम चलाने की आवश्यकता पड़ी, ऐसा उधर से कहा जाता है।

इसी तरह से एक बात और भयंकर उस कांड की बाबत सरकार की तरफ से कही गयी कि वहां मजदूरों ने एक सुरक्षा मंत्री अपना बना लिया था, यानी हलके से कहना यह है कि वहां एक मुकाबले की सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट बनायी गयी थी। मजदूरों के प्रति यह दूसरा लांछन है जो कभी उत्तर प्रदेश में या भारत में नहीं लगाया गया। मजदूरों ने ऐसी चेष्टा कहीं और की हो, यह मुझे मालूम नहीं है। यह चार्ज कितना असत्य है, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अगर सत्य भी है और मंत्री और अधिकारी कहते हैं ऐसा तो काफी जरूरत थी कि सरकार के मंत्रि परिषद के सदस्य जो जब से मंत्रि परिषद में बैठे हैं एक स्थान पर बैठना पसन्द नहीं करते, सुबह से शाम तक घूमना पसन्द करते हैं वह भी जरा कालागढ़ जाते। लखनऊ में तो केवल माननीय चरण सिंह ही रहते हैं—

"सबहिं नचावें राम गुसाईं—अपने रहें दास की नायीं।

किसी मंत्री के पास काम नहीं है। उधर बम चले, आगे मुकाबले की सरकार बन गयी फिर भी यह नहीं हुआ कि कोई मंत्रि परिषद का सदस्य वहां १७ मई को जाय, १८ मई को जाये (शेम शेम की आवाजें) और आटे की दूकान में घूमने चले जाते हैं—वह भी लखनऊ में नहीं लखीमपुर खीरी में। जबकि सरकार की दृष्टि से ही बात इतनी खतरनाक थी, हमारी नजर में नहीं, तब यह हालत है।

वहां हुआ क्या? पहली तारीख को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और चौधरी चरण सिंह की सरकार का श्रीगणेश हुआ संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। वहां बहुत दिनों से मजदूरों की मांगे चली आ रही थीं जो सरकार के सामने विचाराधीन थीं उन पर तत्काल फैसला कराने के लिये ४ अप्रैल को मजदूरों ने मांग की कि इन मांगों पर जल्द फैसला हो। अपनी सरकार आयी है, क्योंकि बड़ा ऐलान हुआ था कि किसानों मजदूरों,

तुम्हारी सरकार आयी है, लोग बस चलकर आये थे, झारखंडे राय जी रिक्शे वालों को लेकर गवर्नमेंट हाउस में गये थे और एक तरह का नाटकीय दृश्य दिखाया गया था कि किस तरह से सरकार आयी है, वहां कोटो देख कर लोग प्रभावित थे। मजदूरों ने प्रभुनारायण सिंह का नाम सुना था और चरणसिंह जी के बारे में सुन चुके थे। इसलिये उन्होंने सोचा कि जल्दी से अपनी बातों को ठीक करा लें। उन्होंने तार भेजा, माननीय प्रभुनारायण सिंह जी को लिखा, माननीय मुख्य मंत्री का भी दरवाजा खटखटाया और यह निवेदन किया कि हमारी मांगों को तय करो। उनकी मांग थी कि जो तीन तरह की कालोनी बनी है—एक तो रेगुलर मजदूरों के लिये, एक वर्क चार्ज के लिये और एक आफिसरों के लिये—उनमें जो तकलीफें थीं उनके बारे में उन्होंने अपनी मांग रखी थी। वर्क चार्ज कालोनी के जो मजदूर थे उनको कुछ को तो पानी क्वार्टर्स के अन्दर ही मिल जाता था और कुछ को बाहर से लाना पड़ता था। उनके लिये बाहर वाटर पोस्ट बन हुये थे। जिनको अन्दर पानी मिल जाता है उनसे पानी का किराया मांगने की बात थी। भूतपूर्व सरकार की ओर से कहा गया था कि उनको पानी तथा बिजली का किराया फिलहाल नहीं देना पड़ेगा। तत्कालीन मंत्री चौधरी गिरधारी लाल जी ने, उनके इस प्रश्न पर विचार करने के लिये आश्वासन दिया था और यह कहा था कि उसकी उनसे कोई वसूली नहीं होगी जब तक कि इस पर सरकार कोई फैसला न ले लेगी। इस समय मजदूरों ने सोचा कि अब समय अच्छा है नयी सरकार आयी है, अब पहल कर लो और जल्दी से अपनी मांगे पूरी करा लो पता नहीं आगे यह सरकार रहे या न रहे। उन्होंने यहां सरकार को चिट्ठियां लिखी, तार भी दिये, मगर उसका जवाब यहां से उनको यह नहीं जाता कि आओ यहां आकर मिल कर इसे तय करो, या हम आते हैं वहां आकर तुम्हारी बातों को सुनेंगे और इसको तय करेंगे। जो आज सरकार में हैं पहले वही सुझाव दिया करते थे कि ऐसे मामलों पर राऊन्ड टेबिल कांफ्रेंस करो, आपस में समझौता करो, उसके द्वारा ऐसे मामलों को तय करो। मगर आज यह वह सब भूल गये। इस सरकार ने किया क्या? आते ही पानी तथा बिजली का पिछला जो बकाया था उसे पिछले बकाया के साथ वसूल करने के आदेश जारी कर दिये। किसी से १००, किसी से १५० किसी से २०० रुपये वसूल किये जाने के आदेश हो गये। तो एक तो उनकी मांग यह थी कि उनसे पानी तथा बिजली का पैसा वसूल न किया जाय। उनकी दूसरी मांग यह थी कि वर्क चार्ज मजदूरों को कम से कम वही वेतन दिया जाय जो कि रेगुलर मजदूरों को मिलता है क्योंकि उन सब का काम समान ही है। रेगुलर मजदूर के बेलदार को ९२ रुपया मासिक मिलता है और वर्क चार्ज के मजदूर को ७२ रुपया। उन्होंने सोचा कि विकल जी की सरकार का तो नारा ही यह था कि समान काम के लिये समान वेतन हो, इसलिये उन्होंने सरकार के सामने यह मांग रखी। श्रीमन, हाथी के दांत दिखाने और होते हैं खाने के और। उस समय यह लोग कुछ और कहते थे अब कुछ और करते हैं।

तो श्रीमन्, मजदूरों ने अपनी मांगों के सिलसिले में अपने नेताओं को यहां भेजा। उनके नेता यहां आये और श्रम मंत्री जी से मिले। उन्होंने सोचा कि श्रम मंत्री जी हमारी मदद करेंगे, मगर उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं इस मामले में दखल नहीं दे सकता, यहां बड़ी मुश्किल यह है कि चौधरी चरण सिंह जी जो मुख्य मंत्री हैं वे हैं तो वहीं कांग्रेसी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम उनसे मिलो इसको वही देखेंगे। उन्होंने पूछा कोई और तरकीब बताओ। इन्होंने कहा हड़ताल का नोटिस दे दो। वह लौट कर आये और १७ तारीख को हड़ताल का नोटिस दे दिया।

श्रीमन्, वह कहते हैं बिजली बनेगी, पानी बनेगा। मंत्री जी महोदय मुंह बाये खड़े हैं कि रामगंगा में पानी आये तो आगे बढ़ें। हड़ताल की नोटिस आई। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर लखीमपुर टाऊन एरिया का चुनाव होता तो आते, लेकिन कालागढ़ क्या करने आते? कोई भी नहीं गये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि गम्भीर विषय है, ध्यान से सुनें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

"दिल पर हाथ रख कर सुनो प्यारो, अब हमारी बारी आई है"। साठ करोड़ की उस योजना के ऊपर विदेशी औजार आये हुये हैं। प्रोजेक्ट लोन से वे औजार मिले थे। चार करोड़ की मशीनें हैं। एक-एक दिन में दो लाख आदमी जितनी मिट्टी उठा सकते हैं उतनी वे काम करती हैं। उन पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। दो लाख आदमी प्रतिदिन काम का नुकसान होता है। अमेरिका का हम पर कर्जा है। किस को परवाह है, कौन जाये, कोई गया नहीं। हड़ताल की नोटिस के बाद फिर वे लोग श्रम मंत्री से आ कर लखनऊ में मिले फिर वे अलग-अलग व्यक्तियों से मिले, कुछ विधायकों से भी मिले। उन्होंने सोचा कि इन मन्त्रियों में जाने के लिये कोई पंडा पकड़ो। तो बहुत सोच-विचार कर माननीय प्रभु नारायण सिंह जी जो श्रम मंत्री हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारा मामला तो कांग्रेस के समय से ही कान्सेलियेशन बोर्ड में है। इन्होंने वहां फोन किया। वे भी जल्दी क्यों करें। पैरा ३७ इर्रीगेशन मैनुअल का बोलता है कि वर्कचार्ज्ड और रेगुलर लेबर को कम से कम वेतन बराबर मिलना चाहिये। प्राविन्शियल कन्सिलियेशन बोर्ड ने कहा कि और हम क्या कर सकते हैं। फैसला न करना हो तो तारीख बढ़ा देनी चाहिये। उन्होंने उस यूनियन के नेताओं से राय ली। लेबर मिनिस्टर.....

श्री अध्यक्ष—

आप पांच मिनट में खत्म करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

लेबर मिनिस्टर साहब की सलाह पर श्रमिक नेता लखनऊ में पहुंचे। अब मान्यवर, १५ को वे लखनऊ पहुंचते हैं, १६ मई को कालागढ़ में घटना होती है। क्या घटना होती है और कैसे होती है उसको मैं सूक्ष्म में बता देना चाहता हूं। १५ तारीख को वर्कचार्ज्ड कालोनी का पानी काट दिया जाता है। १६ तारीख को तीन तरफ से पी० ए० सी० आगे बढ़ती है जैसे कि फौज की टुकड़ी आगे बढ़ती है किसी दुश्मन की चौकी पर कब्जा करने के लिये। श्रमिकों ने तीन तरफ से बढ़ती हुई फौज की टुकड़ी को आगे बढ़ते हुए देखा। मजदूर भयभीत हैं। बाजार में मजदूर आता है सामान लेने के लिये। दो मजदूर जेल में भेज दिये जाते हैं। मैं उस लम्बे किस्से में नहीं जाता। मैंने पूरी रिपोर्ट दे रक्खी है माननीय मुख्य मंत्री को। मैं जितनी बातें कह रहा हूं वे दोनों बातें स्वीकार हैं तीन तरफ से कालोनी का घेरा जाना स्वीकार है। पानी काटना मजदूर कहते हैं। सरकारी कर्मचारी नहीं कहते हैं। १६ तारीख को झगड़ा हुआ। उसका दृश्य भयानक है। टूटे हुए हाथ, टूटे हुये सिर, लूटे हुए घर, यह है शेष कहानी। टाउन एरिया के बगल से एक सड़क जाती है जो धौरा झरना की ओर जाती है। मजदूरों पर कैसे गोली चली, मजदूरों पर कैसे गोली के निशान हैं यह सब पीताम्बरदास जी भी निकाल कर ले आये हैं। जब मैंने कहा कोई मरा और कौन-कौन मरा तो मुझे बताया गया कि साहब यह तो कलकत्ता बाम्बे है। आन्ध्र से राजस्थान से, केरल से, बंगाल से और पंजाब से आते हैं और काश्मीर तक से लोग आये हैं। यह तो एक कास्मोपालिटन टाउन है। उस योजना में लगा हुआ श्रमिक सारे भारत का नेतृत्व करता है। आग कर कौन कहां चला गया, जल कर कौन कहां चला गया इसकी जानकारी करना मुश्किल है। मान्यवर, कमिश्नर रुहेलखंड डिवीजन मेरे पास थे। मुझ से वहां के योजना अधिकारी ने कहा कि हम जो ऐड्रेस लिख देते हैं वही रहता है। हम ऐड्रेस की पुलिस जांच करवाने लगें तो यह सम्भव नहीं है। हम तो उनको भर्ती कर लेते हैं और इस भरोसे पर भर्ती कर लेते हैं कि उसने जो पता लिखाया है वह सही होगा। उनमें से कुछ का पता प्रोजेक्ट रजिस्टर में लिखा है और कुछ का नहीं लिखा है और कुछ का वहीं के मजदूरों के मार्फत लिखा है। अब सवाल रह जाता है कि कोई

मारा गया या नहीं मारा गया गोली वहां पर चली या नहीं चली ? झरने की तरफ चलिये तो सबूत मिलते हैं। वहां पर एक चेक पोस्ट है। वहां पर एक सरकारी चौकी पर किताब रखी है। उधर से जो भी मोटर गुजरती है उसका नम्बर वहां पर नोट किया जाता है। उसमें दो नम्बर लिखे गये हैं। १६ तारीख को वहां से पी० ए० सी० की एक ट्रक और प्रोजेक्ट की एक जीप पास हुई है। उनका नम्बर भी वहां पर लिखा हुआ है। जब मैंने अधिकारियों से उसके बारे में पूछा तो अधिकारियों ने सोचा कि यहां तो गोली का कोई सबूत मिल गया। मैंने कहा कि हां, मिल गया है। पहले तो वे झिझके लेकिन फिर कहा कि संभव है उस दिन मजदूर जंगल के अन्दर गये हों और यह खबर उनको मिली हो कि कुछ मजदूर लोग उधर से हमला करने के लिये बढ़ रहे हों। इसलिये हो सकता है उन मजदूरों का मुकाबला करने के लिये पुलिस उधर गयी हो। जब उन गाड़ियों पर आदमियों की तादाद के बारे में मालूम किया गया तो मालूम हुआ कि ट्रक पर ७ और जीप पर ४ आदमी थे, जबकि ग्यारह आदमियों की कोई पुलिस की टुकड़ी नहीं होती इससे वहां पर जो घटना हुई उसके बारे में शुबहा पैदा होता है। यह घटना सरकार के नकाब को उतार देती है। उससे यह मालूम हो गया कि इस सरकार द्वारा नये किस्म के शोषण की परम्परा कायम की जा रही है और लोग समझ गये हैं कि यह सरकार मजदूर और उनके संगठनों का विरोध करने वाली है। डा० ए० अहमद साहब ने भी उसके बारे में कुछ कहा है, उग्रसेन जी के लीडर का भी बयान उसके बारे में निकला है। धूलिया साहब यहां बैठे हुये हैं वे भी अच्छी तरह वहां के हालात को जानते हैं, भीखालाल जी से अगर पूछा जाय तो वह भी सत्य बात को अवश्य कहेंगे। मुझे विश्वास है कि ये माननीय सदस्य ऐसे हैं जो सत्य पर पर्दा नहीं डालेंगे। वे अवश्य बतायेंगे कि ऐसा अत्याचार आज के पहले कभी नहीं हुआ। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मामले में एक न्यायिक जांच कराये। अगर सरकार को जनतंत्र में भरोसा है, वह जनतंत्र की रक्षा करना चाहती है तो उसको इस सारे कांड की न्यायिक जांच करानी चाहिये।

*उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायणसिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने दोस्त बहुगुणा जी की भाषा को आज सुन कर तबियत बहुत प्रसन्न हुई। कम से कम विरोध में बैठने के बाद इस तरह की भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया उससे कम से कम ऐसा लगता है कि अब उन्हें जनता के मन का कुछ-कुछ अहसास होने लगा है। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि आज उन से मैं जिस बात की आशा रखता था कि वे सत्ता में बैठने पर जो बात कहा करते थे, कम से कम उसका थोड़ा बहुत निर्वाह तो करेंगे लेकिन उन्होंने मेरी आशा के विपरीत कार्य किया। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता से हटने के बाद उनकी तबियत में इतनी नाराजगी हुई कि उन्होंने इतनी गलत बयानी की कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस गोली काण्ड के सवाल को केवल राजनैतिक प्रचार का हथकंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। (शेम शेम की आवाजें) उसका सब से बड़ा सबूत यह है कि अगर माननीय बहुगुणा जी गोलीकाण्ड के लिये स्वीकार करें तो मैं मान जाऊंगा कि वे अपनी जगह पर ठीक हैं। जहां तक गोलीकान्ड की बात है उन्होंने अपने एडजर्नमेन्ट मोशन में, जो आखिर में बात कही उसमें और एडजर्नमेन्ट मोशन के मूल भाग में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है कि गोलीकान्ड हुआ और कहीं इस तरह की घटना घटी। उन्होंने लाठीचार्ज की बात जरूर की लेकिन गोलीकान्ड की बात वह भूल गये जैसे कि उनके दोस्तों ने समय-समय पर अपने बयान दिये हैं। मैं नहीं समझता था कि सत्ता में बैठने वाले लोग आज विरोधी दल में पहुंचने के बाद इस तरह से गैरजिम्मेवारी का व्यवहार करेंगे। मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी। मैं समझता था कि वह देश की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया था और वह कम से कम जनतन्त्र के सिद्धान्तों और मान्यताओं को मानकर चलने की कोशिश करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभुनारायणसिंह]

मैं माननीय बनारसी दास जी और माननीय बहुगुणा जी के राज्य काल में जो घटनायें घटीं उनका मैं यहां खास तौर से थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। कालागढ़ के मामले में यह जानना जरूरी है कि विरोधी दल के लोग जब शासन में थे और ३-३-६६ को जब वहां के कर्मचारियों ने वहां हड़ताल की और जिस समय उन्होंने अपनी मांगें रखीं तो इन्हीं विरोध में बैठे लोगों ने उस वक्त गोली वहां चलवाई और वहां अनेक लोग घायल हुए और आपने आप देखें कि इस सब के बावजूद उस वक्त माननीय गुप्ता जी, बनारसी दास जी और बहुगुणा जी की सरकार ने कुल २ रुपये की बढ़ोत्तरी की। १७ तारीख को हड़ताल का नोटिस आया और उसके बाद ही यह जो नई सरकार है इसने इस बात का फैसला किया कि हम अपने इन कर्मचारियों के साथ पूरा न्याय करेंगे और हमने फैसला लिया कि हम मजदूरों की वेजेज में १० प्रतिशत बढ़ोत्तरी करेंगे। और यह बढ़ोत्तरी कम से कम १० रुपए की रखी गई। जो लोग दस रुपया पाते थे उनको उस हिसाब से साढ़े सात रुपया न देकर हमने उनको भी दस रुपये दिये। दस रुपया कम से कम और २५ रुपया अधिक से अधिक देने का फैसला किया गया। इसके अलावा उनको पहले जर्सी नहीं मिलती थी वह देने का बन्दोबस्त किया गया, उनको गागिल्स देने का भी फैसला किया गया। वाटर होजेज से उनको फ्री पानी देने का फैसला लिया गया और इस बात का भी फैसला हुआ कि उनके जो और मसले कनसीलियेशन बोर्ड में हैं उनको अतिशीघ्र तय कराने की कोशिश की जाय। आपने सारी ज्यादती करने के बाद कुल २ रुपए दिये और हमने केवल हड़ताल के नोटिस पर ही १० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की और २० को इसकी सूचना कर्मचारियों की यूनियन को दे दी गई और एलान करा दिया गया लेकिन उस पर भी मजदूरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। मैं आपके जमाने की बात जानना चाहता हूं कि जब भी हड़ताल की नोटिस आप को मिलती थी तो आप फौरन ही पहले से दफा १४४ लागू किया करते थे। पचासों जगह की यह बात बताई जा सकती है कि हड़ताल के नोटिस से पहले ही दफा १४४ लगाई गई लेकिन २ तारीख को जब हड़ताल शुरू हुई तो हमने बराबर कोई सख्ती नहीं की और इस बात की कोशिश की कि किसी तरह से शांतिमय तरीके से मसला हल हो जाय, हमने वेज इन्क्रीज की कोशिश की कि किसी तरह से मसला निबट जाय। आखिर नतीजा यह हुआ कि ७ तारीख से शासन की ओर से आज तक कोई कार्यवाही ऐसी नहीं हुई जिसके संबंध में शिकायत हो सकती है। ऐसी स्थिति में जबकि एसेंशियल सर्विसेज ऐक्ट को पास कराने वाले लोग जो आज उधर बैठे हैं और मैं खास तौर से माननीय बहुगुणा जी से कहना चाहता हूं कि वह याददाश्त को जरा ताजा कर लें जो शायद धीरे-धीरे कुछ कम होती जा रही है। तो असेंशियल सर्विसेज ऐक्ट को पास कराने के बावजूद भी हमने कर्मचारियों के साथ न्याय करने का फैसला किया। आपने उस समय उनको २ रु० देने का फैसला किया, हमने १० परसेन्ट देने का फैसला किया। हमने कोई प्रोहीबिटरी आर्डर नहीं लगाया, गिरफ्तारी नहीं की, लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन ऐक्टिविटी में उनके कोई बाधा नहीं डाली। उसके बाद भी यदि देश के सामने यह स्थिति आ जाय कि आन्दोलन यदि वायलेंस की शक्ल लेता जाय तो ऐसी स्थिति में फिर शासन को कोई न कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस कालागढ़ योजना की बात आपने कही, उस कालागढ़ डैम को बचाने के लिये, जो पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, उसके बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। बावजूद इसके हमारी जो मान्यतायें हैं कि हम लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन ऐक्टिविटी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाते, नोटिस देकर हड़ताल पर जाने पर कोई प्राहिबिटरी आर्डर नहीं लगाना चाहते, पुलिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि १२ से १५ तारीख तक जो हमने पेशेन्स रखी....

श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)—

कितने आदमी मारे गये थे उस फायरिंग के अन्दर ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

फायरिंग तो हुई थी। यहां तो फायरिंग नहीं हुई। हम तो किसी भी इनक्वायरी को फेस कर सकते हैं। यदि फायरिंग का सवाल हो तो यह सरकार इस्तीफा देने के लिये तैयार है। लेकिन ऐसी स्थिति में....

श्री अध्यक्ष—

आप ५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री प्रभुनारायणसिंह—

स्थिति यह थी कि १ से ७ तारीख तक हमने कोई ऐसी कार्यवाही वहां पर नहीं की। पूरी तरह से वर्कर्स लाठी लेकर घूमते थे। उस अवसर पर भी हमने प्रौहिबिटरी आर्डर नहीं लगाया, धारा १४४ का इस्तेमाल नहीं किया। ८ तारीख को दफा १४४ वहां पर लगायी केवल इस बात पर कि लाठी लेकर नहीं चलेंगे, ईंट के टुकड़े इकट्ठे नहीं करेंगे और उसी के साथ-साथ जो मजदूर काम पर जाना चाहता हो उसको नहीं रोकेंगे। केवल इस बात पर लगायी। इस बात पर नहीं लगायी कि सभा नहीं कर सकते, जलसे नहीं निकाल सकते। ८ तारीख को भी हमने यह काम नहीं किया। उसके बाद १२ तारीख को और जो घटनायें आगे बढ़ती चली गईं और स्थिति खराब होती चली गई तथा १२ तारीख को इंजीनियर और दूसरे कर्मचारी जो डैम पर काम करने जाते थे, एक असिस्टेन्ट इंजीनियर को पीटा गया, तब भी कोई कार्यवाही इस तरह की नहीं हुई जिस में कोई प्राहीबिटरी आर्डर लगाया हो, उनकी लेजिटिमट एक्टिविटीज को बैन किया गया हो। १५ तारीख तक इसी तरह की स्थिति चलती रही और १५ तारीख को दोनों साइड्स का कनफ्रन्टेशन पूरी तरह से सामने आया, जबकि कोशिश हमारी थी कि शान्तिमय तरीके से इस मसले को हल करें। शान्तिमय तरीके से हल करने के साथ साथ हम चाहते थे कि श्रमिकों पर, उनके नेताओं पर गुड सेंस प्रीवेल करें। सरकार ने उनकी मांगों पर अच्छी तरह विचार किया है और उनके साथ न्याय कर रही है। ऐसी स्थिति में समझदारी से मसला हल हो इसलिये कमिश्नर और जिलाधीश लगातार उनसे बातचीत करते रहे। कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया कि बातचीत न हो पाये। १५ तारीख को ऐसा हुआ कि कुछ वर्कर्स लाठी लेकर बाजारों में घूमने लगे, दो हजार के करीब वर्कर्स लाठी से लैस थे, जबकि १५ तारीख को एक पोजीशन लेनी पड़ी कि उनको बढ़ने न दिया जाय। लेकिन १५ तारीख को भी कोई घटना नहीं हुई कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई, कोई भी ऐसा ऐक्शन नहीं हुआ जिससे किसी भी तरीके से शिकायत की गुंजायश हो। १६ तारीख को ९ बजे के करीब स्थिति इस हालत में थी कि डेम को खतरा पहुंच सकता था और झंझट ज्यादा बढ़ सकता था। मैं वहां खुद गया था। पुर्जियां जो वहां इश्यू हुई थीं उनमें लिखा हुआ था कि कालोनी में पुलिस को नहीं आने देना चाहिये, कालोनी पर किसी तरह से कब्जा नहीं करने देंगे। ऐसी स्थिति में १६ तारीख को शासन को यह फैसला करना पड़ा। कर्मचारी लाठियों से दो-तीन हजार की तादाद में लैस थे और वे धारा १४४ को तोड़ रहे थे तो पुलिस ने उनको ढकेलते हुए लाठियों से डिसआर्म करने की कोशिश की। उधर से बिक्वेटिंग हुई और छतों से वायलेंस का काम हो रहा था। जिस समय पी० ए० सी० के सिपाहियों ने जिन मजदूरों को गिरफ्तार करना जरूरी था उनको गिरफ्तार किया। ऐसी स्थिति में इधर से भी मिनिमम से मिनिमम फोर्स इस्तेमाल किया गया इससे हम इंकार नहीं कर सकते। वहां पर ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल हुआ जो विस्फोटक पदार्थ थे। शासन को इसकी पूरी सूचना है। अन्त में एक बहुत बड़ी स्टोरी कुक की गयी बहुगुणा जी की तरफ से कि पी० ए० सी० की एक ट्रक व जीप गयी, लोगों का यह कहना है, उनका नहीं, जिसमें लाशें गयीं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जो नम्बर उन्होंने दिये वे पी० ए० सी० के ट्रक अथवा जीप के नहीं हैं, इसकी पूरी जांच कराई गयी है और वे नम्बर प्राइवेट ट्रक व जीप के हैं। जिस तरह की घटना हुई उसमें मजदूरों के चोटें आईं और यह भी सही है कि पुलिस के कर्मचारियों के चोटें आईं। दोनों तरफ चोटें आईं।

[श्री प्रभुनारायणसिंह]

मजदूरों के चोटें ज्यादा आईं। जहां तक डैम की बात है उस पर सुचारु रूप से काम चल रहा है, कोई खतरा नहीं रह गया है। बरसात का जो खतरा था वह कतई नहीं रह गया है और कालागढ़ डैम पर कोई खतरा आने का सवाल नहीं है। माननीय बहुगुणा जी की यह पुरानी आदत है कि वह कानकाबशन में ज्यादा विश्वास करते हैं। मैंने यह कहा कि चरण सिंह जी का रिजीम है ....

(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

अगर माननीय मंत्री जी बैठ जायं तो आप बोल सकते हैं।

श्री प्रभुनारायणसिंह---

मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं चौधरी चरण सिंह जी को, जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, इस प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा ईमानदार समझता हूं। इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता कि उनका राज्य है जब कि मैं भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हूं। जो मजदूर आये उनको मैंने बराबर समझाने की कोशिश की। जहां तक सिंचाई विभाग से बात करने का सवाल था, तो सिंचाई विभाग ने उनके मसलों पर गौर किया और उसी का यह नतीजा था कि उनके वेजेज में १० परसेन्ट इन्क्रीज करने की बात हुई। जब बहुगुणा जी यह कहते हैं कि शासन ने क्या किया तो मेरा यह जवाब है कि शासन ने १० परसेन्ट का इन्क्रीज उनके हड़ताल करने के बगैर कर दिया था।

इस सवाल को लेकर बहुत हीट पैदा करने की कोशिश की गयी, राजनीतिक प्रचार करने की कोशिश की गयी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से विरोधी पक्ष की तरफ से राजनीतिक प्रचार करने की कोशिश की गयी है उस राजनीतिक प्रचार में कोई तथ्य नहीं है। इस तरह का राजनीतिक प्रचार करना मैं समझता हूं जनतंत्र में कभी उचित नहीं है। सही बातें आप कहें, उन्हें हम मानने के लिये तैयार हैं। अन्त में मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दफा १२८ के मुकदमें में जो मजदूर जेल गये थे उनको केवल वार्निंग दे कर छोड़ दिया गया है और उनको काम पर भी वापस लेने का फैसला कर लिया गया है।

*श्री बनारसीदास---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं श्री प्रभुनारायण सिंह जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे महसूस होता था कि उनके दिल और दिमाग के अन्दर संघर्ष हो रहा है क्योंकि वे एक श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि एक सफाई पेश कर रहे थे। प्रश्न यह नहीं है कि गोली चली या नहीं। यहां पर इसको राजनीतिक प्रश्न किसने बनाया? माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने कितनी बार इस बात को कहा। वाराणसी विश्वविद्यालय के अन्दर जब पुलिस से टक्कर हुई थी तो वहां पर कोई गोली नहीं चलायी गयी थी। माननीय प्रभु नारायण सिंह ने और जो लोग आज प्रति पक्ष में बैठे हैं उन्होंने मांग की थी कि न्यायिक जांच की जाय। आज जो आपका १९ सूत्री प्रोग्राम है, जो आपका मैगनाकार्टा है आपने उसके अन्दर यह लिखा है कि जांच होगी और एक परमानेन्ट जांच आयोग होगा जो इस प्रकार के कांडों की जांच करेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कृपया शान्ति रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसीदास—

माननीय बहुगुणा जी ने एक संयत भाषा में इसलिये कहा कि वे कोई नाजायज फायदा सरकार को डार्क में रख कर नहीं उठाना चाहते थे बल्कि स्वयं सरकार के हित में जब कि एक मजदूर की मृत्यु हुई, जब कि राष्ट्रीय संपत्ति को खतरा था तो स्वयं सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वहां पर जांच के लिये एक हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करे। इसको राजनीतिक प्रश्न बनाने की किसने कोशिश की ? माननीय जेड० ए० अहमद जो कि इस दल के समर्थक हैं, बुलिया साहब, शकील साहब, इन लोगों की तरफ से कहा गया है कि वहां १५० व्यक्ति मर गये। हमारी तरफ से यह नहीं कहा गया। माननीय प्रभुनारायण का कहना कि वहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी को कोई संगीन चोट नहीं लगी और एक बात माननीय प्रभुनारायण जी को याद होगी कि वह परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड के बराबर विरोधी थे। उनका कहना यह था कि जो सरकारी इम्पलाईज हैं उनको प्राइवेट इम्पलाइज की तरह से न्याय प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिये और सरकारी इम्पलाइज और इम्पलोयर के बीच कंसीलियेशन और आरबीट्रेशन का रास्ता खुला रहना चाहिये। जो रास्ता प्राइवेट इम्पलाईज को खुला हुआ है वही रास्ता सरकारी इम्पलाइज के लिये खुला रहना चाहिये। लेकिन ढाई महीने में प्रभु नारायण सिंह जी उसको भूल गये। जिस स्टेट कांसीलियेटरी बोर्ड का वह विरोध किया करते थे। कितनी ही मर्तबा मजदूरों की हैसियत से इस मशीनरी को वह आई वाश मशीनरी है और स्लीपिंग मशीनरी कहते थे उसी के सुपुर्द आपने इसको कर दिया।

एक बड़ा बिचारणीय प्रश्न है कि इस ढाई महीने में प्रत्येक मंत्री जिलों में गये हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां मंत्री न गये हों। जिलों में वे ३० दिन में से २८ दिन मौजूद रहे हैं, दूकानों का इंसपेक्शन करने के लिये, नालियों का इंसपेक्शन करने के लिये वे वहां मौजूद रहे हैं, लेकिन यहां पर अप्रैल के महीने में स्ट्राइक की नोटिस आई लेकिन वे हिले नहीं। उन्होंने यह गवारा नहीं किया कि वहां जायं। वह आई० एन० टी० यू० सी० की यूनियन नहीं थी बल्कि वह आपकी यूनियन थी और आपसे ही प्रेरणा लेती थी। जब नोटिस आया था तो आपको कालागढ़ जाना चाहिये था और उसके बाद १५ तारीख को तो जरूर जाना चाहिये था। श्रीमन्, यह कहना कि अगर गोली चली तो वह जांच करायेंगे लेकिन मजदूर मर जाय, लोगों की हड्डी टूट जायं, लोगों के फ्रैक्चर्स हो जायं और इसके साथ ही साथ वह यह कहें कि उन्होंने अहिन्सा का प्रयोग किया। हम लोग चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, हम कभी भी किसी हिन्सात्मक कार्यवाही को प्रोत्साहन देने वाले नहीं हैं। यह नहीं है कि हम किसी स्ट्राइक का नाजायज फायदा उठायें बल्कि जो स्टेट के हित में होगा उसका प्रतिपादन करेंगे। मजदूर कानून को अपने हाथ में ले लें यह हम नहीं चाहते हैं।

एक प्रश्न पैदा होता है कि कालागढ़ में जब यह घटना हुई, उसकी जिम्मेदारी चाहे मजदूर की हो चाहे पुलिस की हो लेकिन यह सत्य है कि मजदूर कालोनी की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और एक कांसटेबिल को डिमोट किया गया। एक औरत को

(व्यवधान)

बनाया गया। इस घटना के कारण वहां के मजदूरों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इजाजत से १०० लाठियां पहरा देने के लिये हासिल कीं। जब हड़ताल चल रही थी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाठियां उनको पहरा देने के लिये दीं। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञान नहीं था कि ये लाठियां हिन्सा के लिये इस्तेमाल की जा रही हैं ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मजदूरों को लाठियां पहरा देने के लिये दीं और इसी काम के लिये उनको इस्तेमाल किया गया। इसको अधिकारी भी मानते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि वहां जंगली जानवरों का खतरा रहता है और जंगली जानवरों से बचने के लिये मजदूरों को लाठियां पहरा देने के लिये दी गईं तो उसमें इनको हिन्सा की गंध आती है।

[श्री बनारसीदास]

कालागढ़ में यह सवाल नहीं है कि आप ने क्या किया ? सवाल यह है कि आप हमारी नकल क्यों करना चाहते हैं ? आप यह कहा करते थे कि हम आरोप लगाते हैं और ये जांच नहीं कराते हैं। जब बनारस में गोली भी नहीं चली थी तब भी हमने जांच बिठाई। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति मर गया और कितने ही आदमी अपंग हो गये, कितने ही बेकार हो गये, कितनों के ही हाथ पैर बेकार हो गये, हम आपको दोषी नहीं ठहराते बल्कि यह कहते हैं कि इस घटना की जांच होनी चाहिये। आपने बजट भाषण में यह कहा कि इतने अधिकारियों को सस्पेन्ड किया गया तो जो अधिकारी गलती करेंगे उनको सजा दी जानी चाहिये। आखिर आप यह क्यों सोचते हैं कि हमको डाक में खड़ा कर रहे हैं। अगर इस घटना की न्यायिक जांच होगी तो आपके पक्ष को और बल मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी का पार्लियामेंटरी डेलिगेशन गया, जनसंघ के नेता गये। राजनीतिक प्रश्न बनाने का न हमारा कोई इरादा रहा है, न हमने बनाया है यह तो आप लोगों की आदत है। जिन एम्प्लाईज के आपने चरण छुए और कहा कि आपकी कृपा से हम यहां पर आये हैं, और आज आपकी जबान बन्द है। आप लोग कितनी जल्दी भूल गये ? आप समझते नहीं थे कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी आयेगी। तो आप तुलना कीजिये। हम जायज मांगों का समर्थन करेंगे। जो राष्ट्रीय हित में है हम आपको सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस पर जिद क्यों है ? आप कहते थे कि वही आदमी प्रशासक और वही जज। वही कमिश्नर आज है। उससे जांच करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको पांच मिनट के करीब और बोलना है।

श्री बनारसीदास—

एक तरफ आप बजट भाषण में कहते हैं कि जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव का पृथक्करण कर रहे हैं। लेकिन कालागढ़ में वही कमिश्नर जो मौके पर है वही जांच करता है। यह आपका जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव के पृथक्करण का रूप है। दोष किसका है यह विषय न्यायालय के सामने होगा। बहरहाल, इसमें कंट्रोवर्सी है, इसलिये यह एक ऐसी मांग है जो दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि इधर से भी समर्थन प्राप्त होगा और उस पक्ष के लोग भी अपने कांशंस के मुताबिक, दीपंकर जी हैं, धुलिया जी हैं, वह इसका समर्थन करेंगे। कालागढ़ में न्यायिक जांच हो जाने से मंत्रिमंडल टूट जाने वाला है नहीं। अगर आप न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार करेंगे तो इससे आपकी स्वयं प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कालागढ़ के सवाल को लेकर हमारे पूरे प्रदेश और शायद पूरे हिन्दुस्तान में, १६ तारीख की घटना को लेकर काफी चर्चा हुई। अलग-अलग लोगों के सामने बातें आयीं। मेरे सामने भी आयीं। दूसरे साहबान के सामने भी आयीं। इसलिये १० जून को संयुक्त विधायक दल के कुछ सदस्य और नेता उस मौके पर स्थिति देखने के लिये गये। जो चीज हम लोगों ने देखी और अपनी राय कायम की वह मैं जरूर अर्ज करूंगा। उससे पहले दो शब्द कहना चाहता हूं। यह कालागढ़ की योजना अपने किस्म की निराली है। इसकी दो बड़ी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि मिट्टी का इतना बड़ा बांध, खास तौर पर बहुत विशालकाय मशीनों के जरिये, जो अमेरिका से आयी हैं लेकिन अब ये प्रोजेक्ट की प्रापर्टी बन गयी हैं और उनके ऊपर साढ़े तीन करोड़, चार करोड़ रुपया खर्च हुआ है, इसका पेमेन्ट प्रोजेक्ट की तरफ से हुआ है। इतनी भीमकाय मशीनें और मिट्टी का बांध बनाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाली अद्भुत मशीनें शायद पूरे एशिया में अपने किस्म की बिलकुल नई हैं। पी० डब्ल्यू० डी० और शायद सिंचाई विभागों में निर्माण कार्य की जो परम्परा रही है उनके मुताबिक ठेकेदारों पर सब निर्माण कार्य हुआ करता था, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने एक नया प्रयोग किया है और वर्कचार्ज्ड वर्करों के जरिये अपनी तरफ से सरकार द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस वजह से वहां पर एक नई स्थिति है और एक खास टेक्निकल किस्म का काम है। उन मशीनों को जिन्होंने देखा है वह उन्हें देख कर अवश्य चकित हुये होंगे वहां अजीब तरह से काम होता है।

जब मैं १० तारीख को वहां पहुंचा तो मैंने वहां बहुत कुछ देखा हमने वहां काफी घूम-घूमकर गौर से देखा, और जो कुछ देखा उसके सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर सौ-सवा सौ मजदूर क्वार्टरों के दरवाजे बुरी तरह से टूटे हुये थे और करीब २५ मजदूरों के हाथ-पांव टूटे हुये थे और उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इतना ही नहीं कई व्यक्तियों के शरीर १० तारीख तक भी सूजे हुये थे और जिस वक्त मैंने मजदूरों से बात की और उससे मैंने जो अनुभव किया वह यह है कि वहां पर पी० ए० सी० और पुलिस के आदमी पहुंचे तो उन्होंने पूरी बस्ती पर बुरी तरह से हमला किया और उन्हे जो भी सामने मिला उसको पीटा और जो भी सामान उनका रेडियो, ट्रांजिस्टर, फाउन्टेनपेन, घड़ी आदि उन्हें मिली उसे वे अपनी जेब में डाल कर ले गये। और असल में इस नियोजित हमले में पी० ए० सी० की ११ कम्पनियों ने हिस्सा लिया और एक कम्पनी सिविल पुलिस ने भाग लिया। इतना ही नहीं १६ तारीख को वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था और नलों का पानी भी बन्द कर दिया गया था।

श्रीमन्, जब मैं यह चर्चा कर रहा हूं इस पूरे आन्दोलन की पृष्ठभूमि में एक बात निवेदन किये बिना यह बात अधूरी रह जायगी। वह बात यह है कि उनका आन्दोलन सितम्बर, ६८ से ३ बार चला और उन मजदूरों पर कांग्रेसी शासन ने भयानक आतंक बरपा किया था, गोली चलाई थी और गोली चलाने के बारे में जब जनता ने और मजदूरों ने न्यायिक जांच की मांग की थी तो उस समय की सरकार ने तरह-तरह के बहाने कर उस मांग को झुठला दिया था। और अब वह न्यायिक जांच की मांग करते हैं। खैर नेक बात जब भी सूझ जाये तब ही अच्छा होता है---उस वक्त यह बात उनको सूझी नहीं थी। उनकी मांग थी कि साइड कम्पेंसेटरी एलाउन्स उन्हें दिया जाये, उन्हें मुफ्त बिजली और पानी दिया जाये, वेतन में वृद्धि की जाये और वर्क चार्ज को रेगुलर करके उसे सरकारी कर्मचारी माना जाये यह सब चीजें चलती रहीं, लेकिन सरकार ने उन पर कोई ठोस कदम उठाने के बजाय उनकी मांगों को परमानेन्ट कन्सीलियेटरी बोर्ड के अधीन भेज दिया जाय और जैसा कि सर्व विदित है यह बोर्ड बैलगाड़ी की चाल और चींटी की चाल धीरे-धीरे चलता है---फलस्वरूप उनका मामला लटका रहा और उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उनके पास अपनी तकलीफों को वेन्टीलेट करने का कोई रास्ता नहीं रहता है। जब उन्होंने देखा कि उनका मामला खटाई में पड़ गया है इसलिये उनके आन्दोलन ने इस तरह से उग्र रूप धारण करना शुरू किया। जहां यूनियन ने २ तारीख से हड़ताल करने की मांग की थी, इसी बीच में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि १० प्रतिशत की वृद्धि उनके वेतन में कर दी गयी और इसका परिणाम यह हुआ कि १० रुपये से लेकर २५ रुपये की प्रत्येक मजदूर के वेतन में वृद्धि हो गयी। फिर उसके बाद इस एजिटेशन का कारण क्या था, अगर उन सारी बातों को मैं आपके सामने अर्ज न करूं तो बात बिलकुल अधूरी रह जायगी। प्रह्लाद दास गुप्त, चीफ इंजीनियर का ऐटिट्यूड मजदूरों के प्रति बड़ा खराब था। वे मजदूरों तथा उनकी यूनियन के खिलाफ थे और इस १० प्रतिशत को भी वे लूज कर देना चाहते थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने यूनियन को तहस-नहस करने के लिये अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया। यदि उस समय के चीफ इंजीनियर का ऐटिट्यूड मजदूर विरोधी नहीं होता और अगर उन्होंने मजदूरों के डेलिगेशन से मजदूर नेताओं के साथ बैठ कर बातचीत की होती, इस बढ़ोत्तरीके बाद तो बीच का रास्ता निकल सकता था और यह दुखद घटना जो हुई है इसको रुकवाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत तरीका अख्तियार किया जिसका

[आचार्य तीर्थंकर]

नतीजा यह रहा कि वहां के मजदूर उनके कहने पर काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जो नये चीफ इंजीनियर गये हैं उनका व्यवहार मजदूरों के प्रति बहुत ही अच्छा है और एक बात मैं गर्व के साथ कह देना चाहता हूं कि आज मजदूरों के मन में यह बात है कि अगर बरसात के पहले पहले हमने इस बांध को पूरा नहीं कर लिया तो हमारी साल भर की मेहनत पानी में बह जायगी और देश का करोड़ों रुपया पानी में बह जायगा। प्रादेशिक निदेशक शर्मा तथा मंडल आयुक्त ने भी मजदूरों के अन्दर कोई असन्तोष नहीं पाया। इन सब चीजों के बावजूद वहां आतंक और ज्यादती सम्बन्धी कुछ बातें मैं आपके सामने बयान कर देना चाहता हूं। वहां के २८८ मजदूरों को जेल में डाल दिया गया जिनको अब वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। ३५ मजदूर जेल में हैं और उनके नेताओं के खिलाफ वारंट हैं।

इस प्रसंग में कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कही गयी हैं। मजदूरों के साथ ज्यादती हुई, यह बात सही है लेकिन यह बात कहना कि कालागढ़ में मजदूरों के ऊपर गोली चलायी गयी, सत्य नहीं है और न उससे कोई आदमी मरा है। क्योंकि इसके सबूत में एक आदमी भी हमारे सामने नहीं आया जो यह कहे कि गोली से पब्लिक का कोई आदमी मरा है। लेकिन यह बात अपनी जगह पर सही है कि स्त्रियों के साथ ज्यादती हुई, उनको धक्का दिया गया। यह बात भी सही है कि उनके जेवरात को पी० ए० सी० व पुलिस के सिपाही उठा ले गये लेकिन मुझे यह वाकया कहीं सुनने को नहीं मिला कि पी० ए० सी० या पुलिस के सिपाहियों ने किसी स्त्री की अस्मत लूटी हो। श्रीमन्, हमसे इस बात को कहने में तो हमारी मां-बहनें शर्म कर सकती थीं लेकिन उनके साथ मिसेज रोजा शर्मा करीब डेढ़ घंटे तक रहीं लेकिन किसी मां-बहन ने उनसे यह बात नहीं कही कि उनकी अस्मत लूटी गई है।

इसी तरह से पी० ए० सी० के ट्रक नम्बर १०२२ के सम्बन्ध में बहुत चर्चा है। वहां जो आउट पोस्ट है वहां भी मैं गया लेकिन इस सम्बन्ध में हमें कोई सबूत देखने को नहीं मिला कि करफ्यू के समय कुछ लाशें उस ट्रक से ले जाकर कहीं जला दी गयी हों। इसी तरह से यह कहना कि मजदूरों के साथ पुलिस की जम कर खूब घमासान लड़ाई हुई, यह बात भी अतिरंजित सी लगती है। इतना बड़ा बांध जो बन रहा है वहां जो इंजीनियर होते हैं उनके फायदे का भी सवाल है कि जो ठेकेदारी सिस्टम के जरिये काम करवाये जाते हैं उनमें जो दिलचस्पी इंजीनियरों और बड़े-बड़े अधिकारियों की रहती है वह अब इसमें जो एक अरब रुपये का काम था वह सब सरकारी होने के कारण उनको कोई दिलचस्पी रही नहीं। वहां मिस्टर प्रह्लाददास जो काम कर रहे थे और उनके साथ जो दूसरे अधिकारी थे उनके कारण वहां बड़ा असंतोष था और उसी नाराजी को लेकर मजदूरों के अन्दर बहुत बड़ा असंतोष फैला।

इसके साथ-साथ में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग वहां पर नियुक्त किये गये थे उनके कारण वहां एक से एक बड़ी समस्यायें आती चली गयीं उसमें साफ बात यह है कि चीफ इंजीनियर का मुख्य अपराध है। यह ठीक है कि प्रशासन ने बहुत क्विक डिसीजन लिया और बहुत जल्द ऐसे आदमी को वहां से हटा दिया गया लेकिन आज भी वह व्यक्ति जिसने १ करोड़ रुपये की राष्ट्रीय सम्पत्ति को पानी की तरह से बहने दिया और जिसने चार हजार मजदूरों को जिन्दगी के मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया वह आज भी कहीं ऊंचे ओहदे पर भेज दिया गया है। यह ठीक नहीं है। यह बात सही है कि वहां बलात्कार नहीं हुआ, यह भी सही है कि वहां पर गोली नहीं चली है, यह भी सही है कि वहां पर बम और पिस्तौलें नहीं चले हैं लेकिन इन तीन चीजों के अलावा दुनियां की आतंककारी पुलिस और पी० ए० सी० जो वहां कर सकती थी वह सब कुछ कालागढ़ के अन्दर किया गया। तो केवल यह बात हो कि गोली चलना ही सबसे बड़ा गुनाह है, या बलात्कार करना ही सबसे बड़ा गुनाह है और हमारे वे दोस्त जो गोली चलाने की बात को लेकर बहुत वकालत कर रहे हैं वह मसले को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वहां कोई भी मंत्री नहीं गया, लेकिन मुरादाबाद में मुझे पता लगा कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी वहां गुप्त रूप से

गये थे और वहां उनके जाने का बहुत अच्छा असर हुआ। उन्होंने जांच-पड़ताल तो नहीं की लेकिन उनके जाने का बहुत अच्छा असर हुआ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि इस सवाल को बहुत तूल दे दिया गया है लेकिन हम समझते हैं कि अत्याचार केवल गोली चलाना, या बलात्कार करना ही नहीं है इन्हीं परिभाषाओं के ये हमारे आज के मजदूरों के पैरवी करने वाले जानते हैं लेकिन इन्होंने मजदूरों के केस को और भी डैमेज कर दिया है। दूसरे गुनाह भी हैं और वह सब ज्यादतियां वहां पर हुई हैं। इसलिये अब चूंकि वहां नार्मल काम हो रहा है इसलिये न्यायिक जांच की मांग न भी रखी जाय तो भी अब चूंकि ३ या ४ हजार मजदूरों में ३ हजार काम पर आ गये हैं काम नार्मल चल रहा है और मैं श्रम मंत्री जी के विचारों से सहमत हूं कि हमारा जो डर था कि कहीं ४५ करोड़ की सम्पत्ति बह तो नहीं जायगी उसका डर भी नहीं रहा है इसलिये अगर न्यायिक जांच न हो तो भी एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच अवश्य होनी चाहिये, उससे मजदूरों में विश्वास पैदा होगा, उससे सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी अगर उचित समझें तो जनता की भावनाओं को देखते हुये जिससे मजदूरों में और जनता में सरकार के प्रति और अधिक आस्था उत्पन्न हो एक जांच का बैठाया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन, मेरी दृष्टि में आज इस मसले पर बहुत तथ्य की अब आवश्यकता नहीं रही। आचार्य दीपंकर जी के भाषण के बाद कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हो गयी और यह भी स्मरणीय है कि आचार्य दीपंकर एम० बी० डी० सदस्य की हैसियत से वहां गये थे। इनके अतिरिक्त और भी कुछ व्यक्ति वहां गये थे। हम लोगों की बात छोड़िये। हम तो विरोध में हैं और विरोधी अगर कोई बात करें तो वह अतिरंजित, गलत, झूठी कही जायगी, यदि हम इसको स्वीकार भी कर लें तो अनुचित नहीं होगा, लेकिन आचार्य दीपंकर जी ने जो कुछ कहा और इसके पूर्व हमारे श्रम मंत्री जी के ही दल के श्री शकील साहब ने जो बयान दिया और इसके अतिरिक्त कुछ और सज्जन जिनके बयान समय-समय पर अखबारों में छपे हैं, उनसे किसी चीज की गुंजायश रहती नहीं है। कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं। हमने अपराध किया या नहीं किया इसको भविष्य के इतिहासकार बतलायेंगे और वही यह कहेंगे कि श्रम आन्दोलन के प्रति हमारा क्या रुख रहा है किन्तु हमारे श्रम मंत्री जिनके सम्बन्ध में ढिंढोरा पीटा था कि वह श्रम संसार से सम्बन्धित हैं और सौभाग्य से हमारे वर्तमान श्रम मन्त्री तो स्वयं श्रम नेता रहे हैं उनके श्रम दर्शन को हमने बहुत रूप में देखा है।

इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे मन्त्री झारखंडे राय जी बैठे हैं जिनके सम्बन्ध में भी यह कहा जाय कि वह भी श्रम आन्दोलन से सम्बन्धित हैं तो कुछ अतिरंजित नहीं होगा। किन्तु इस सम्बन्ध में क्या हुआ इस पर विचार किया जाय। हमने २ रुपया दिया और गोली चलवाई यह मंजूर है। जब-जब अवसर आया हमने देश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिये गोली चलवाई। मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश में शान्ति रखने के लिये कदाचित कभी भी किसी सरकार के लिये गोली चलवाना अनिवार्य हो सकता है किन्तु हमारे मन्त्रिगण जिन्होंने घरों की छतों पर खड़े होकर न जाने कितने ऐलान किये हैं क्या उनको पूरा किया? १९ सूत्री ऐलान किया गया उसका क्या हो रहा है? हमारे मंत्री जी बैठे हैं श्रम मन्त्री की बगल में जिन्होंने कहा था कि हम ५०० रुपया लेंगे? जिन्होंने इस प्रदेश में यह ऐलान किया था कि यदि प्रोवयोरमेंट होगा और लैंग्रो लगेगी तो वह खून खराबा इस प्रदेश में कर देंगे किन्तु यह पूरा जमघट आज इस प्रदेश की छाती पर खड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे २ रुपये बढ़ाने के बाद उन्होंने १० फीसदी बढ़ाया। हमारे २ रुपये बढ़ाने के बाद श्रमिक आन्दोलन यदि हुआ तो हमने गोली चलाई लेकिन आपके १० फीसदी बढ़ाने के बाद श्रमिक बम चलायें तो यह इस प्रदेश के श्रमिक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। क्या इस प्रदेश में कभी इतने

[श्री बलवीरसिंह आचार्य]

बड़े पैमाने पर जैसा कि श्रम मंत्री जी ने कहा लाठी का प्रयोग किया गया है ? क्या इतने बड़े पैमाने पर हमारी सरकार की ओर से घर लूटे गये हैं ? क्या इतने बड़े पैमाने पर हमारी सरकार की ओर से मजदूरों के सिर फोड़े गये हैं और मजदूरों को अंग विहीन किया गया है ? क्या कभी पहले श्रम आन्दोलन के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर यह नीभत्स स्वरूप इस प्रदेश में पैदा हुआ है ? मैं किसी भावनावश नहीं कहना चाहता हूं किन्तु आज यह सरकार केवल हमारे सामने नहीं और एस० वी० डी० के सदस्यों के सामने ही नहीं बल्कि मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाय कि इस प्रदेश की जनता के सामने दोषी के रूप में खड़ी है। श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ तथ्य हैं जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि वहां पर श्रमिक सन्तुष्ट न हों और अपना असन्तोष व्यक्त करने के लिये वह बमों का सहारा लें और सरकार लाठियों का सहारा ले तो इसके कारण पर जाना होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस प्रदेश में बन रहा है जिस पर एक अरब से अधिक रुपया व्यय होने वाला है और इससे २३ लाख एकड़ जमीन को जल मिलने वाला है और जो कुछ वर्षों के अन्दर ही पूर्ण होने वाला है। उसके श्रमिकों को यदि अपनी बात कहने के लिये बमों का सहारा लेना पड़े तो यह उनके असन्तोष पर विचार करने की बात है। वहां पर बड़ी-बड़ी कालोनी हैं जो उन मजदूरों की सुविधा के लिये बनाई गई हैं। हम तो यह समझते हैं कि जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो इस प्रदेश के भाग्य और चमकेंगे और यह प्रदेश उन मजदूरों का अहसानमन्द होगा किन्तु मेरे मित्र कभी-कभी पकड़े जाते हैं जब मैं उनकी बातों को सुनता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। अभी यहां पर श्रम मन्त्री जी ने बताया कि बाहर वाला पाइप पोस्ट था जिससे पानी उनको निःशुल्क दिया जाता था। जरा अन्दाजा लगाइये कि यदि सड़क के बम्बों पर कोई पानी लेगा तो उससे भी पैसा लिया जा सकता है। इस बात की आशा नहीं की जा सकती है कि वह दोषी सरकार कभी भी वहां पानी और बिजली मुफ्त देगी और उस पर पैसा नहीं लगायेगी और मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोगों ने श्रमिकों की भावनाओं को सदा आदर किया, उनके लिये सोचा और चाहा कि वे उस कार्य को सम्पन्न करें कि जिससे प्रदेश का गौरव बढ़े। मेरे मित्र २० साल की बात कहना चाहते हैं। बीस साल तक प्रदेश ने ही नहीं, संपूर्ण देश ने, उसकी जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और उसने आपकी मर्जी से शासन नहीं किया। यह प्रोजेक्ट भी उसी की देन है। यदि उसने देश को आजादी ली तो आप मुझे क्षमा करें कि यह जो तस्वीर यहां टंगी हुई है उसकी छत्रछाया में बैठ कर इस दल के लोगों ने ही इस कार्य को सम्पन्न किया था। तो मेरे मित्रों के इन काले कारनामों से इस देश का इतिहास गौरवान्वित न होगा।

मुझे फिर अपने तर्कों पर आने दीजिये। आखिर श्रमिकों में यह असंतोष क्यों फैला और फैला तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? माननीय दीपंकर जी ने जिक्र किया कि परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड एक मुर्दा संस्था है। मुझे क्षमा करें, मैं उस सरकार का अंग रहा हूं, उस दल का सदस्य भी हूं और श्रमिक आन्दोलन से भी संबंध रखता हूं और इसलिये यह कह सकता हूं कि परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड उतना उपयोगी कार्य नहीं कर पाता जितनी कि उससे अपेक्षा है। लेकिन वह तो एक मुर्दा संस्था थी। फिर आप के माननीय श्रम मंत्री जी ने उसे यह मामला क्यों दे दिया ? मेरा माथा लज्जा से झुक जाता है जब मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं जानते थे और जब कभी वह लखनऊ आये उन्होंने इस परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड का विरोध किया। जब कभी उनको अवसर मिला उन्होंने कहा कि यह मुर्दा संस्था है, उन्होंने कहा कि मजदूरों के हितों को अधिक से अधिक धक्का पहुंचाने वाली यह संस्था है। आखिर उन्होंने इस मामले को फिर उसी परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड को क्यों दे दिया ? यदि आज मैं यह आरोप उन पर करूं, लगाऊं कि आप इस आरोप को स्वीकार कीजिये कि आपने जान-बूझ कर यह मामला उस बोर्ड को इसलिये दे दिया कि यह मामला खटाई में पड़ जाय तो यह आरोप कुछ गलत न होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

मैं यह निवेदन कर दूं कि नवम्बर, १९६६ में आप की सरकार और वह इसको दे गयी थी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्षमा करें, मैं मुख्य मंत्री जी को याद दिला दूं कि वह उन्हीं की सरकार थी। वह श्रीमती सुचेता कृपालानी की सरकार थी जिस के वह स्वयं एक बड़े मंत्री थे। श्रीमन्, चरण सिंह जी को याद दिला दूं कि वह स्वयं सुचेता जी की सरकार के बड़े से बड़े दाहिने हाथ बन कर इस प्रदेश की छाती पर मूंग दलना चाहते थे और श्रीमन्, मैं उनको यह भी स्मरण दिला दूं कि जब समय आया और कुछ लोगों ने चाहा कि यहां सुचेता जी की सरकार समाप्त हो तो उस समय उनकी सहायता के लिये चरण सिंह जी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने वह सरकार समाप्त न होने दी। मेरी भावनाओं के साथ चरण सिंह जी खेलने की कोशिश न करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि सदस्यगण इस प्रकार व्यवधान करेंगे तो ठीक न होगा। (व्यवधान) व्यवधान की भी एक सीमा होती है। आचार्य लक्ष्मीरमण जी, आप जरा बैठें। माननीय सदस्यगण कृपया इस बात का ध्यान रखें कि शान्ति में इस प्रकार बाधा डालना शोभाजनक नहीं है..माननीय उग्रसेन जी, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। तो मैं यह कह रहा था कि आपको तय करना है कि आखिर किस तरह से कार्य चलायेंगे। उचित यह है कि व्यवधान एक सीमा तक हो। आचार्य जी, आप याद रखें कि आप ३-४ मिनट और बोल सकते हैं। दोनों तरफ से शान्ति रहे, मैं यह आशा करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यदि मेरी किसी बात से किसी माननीय सदस्य को दुःख हुआ तो यह मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ तथ्य सदन के सामने आ गये। माननीय श्रम मंत्री जी की कुछ बातों से मुझे निराशा हुई। कुछ तथ्य बहुगुणा जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये कि कुछ गोलियां एक स्थान से इकट्ठी की गयीं। शकील साहब का कहना है कि गोलियां चलीं, कुछ और सज्जन भी कहते हैं। दीपंकर जी कहते हैं कि नहीं चलीं। क्या उन्होंने एक बात का भी उत्तर स्पष्ट दिया कि वाकई में गोलियां या छर्रे इकट्ठे किये गये या नहीं? स्पष्ट आरोप है कि कुछ ट्रक गये, एक जीप गयी और वह भी कहते हैं कि एक ट्रक वापस नहीं आयी, उसकी वापसी दर्ज नहीं है। मजदूरों का यह कहना है कि उस ट्रक में लाशें ले जायी गयीं और झरना के जंगल में फेंक दी गयीं, बाद में समस्त जंगल में आग लगा दी गयी। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं उत्तर दिया इस बात का?

मैं उन्हें एक चैलेंज दे देता हूं। उन्होंने यह कहा कि यदि गोली चली है तो उनकी सरकार इस्तीफा दे देगी। चुनौती मंजूर है श्रीमन्! ये हमारे बड़े नेता मौजूद हैं, उनसे बिना पूछे छोटा सा व्यक्ति उसको मंजूर करता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि कृपया यह तो बताओ कि फैसला कौन करेगा? राम सहाय जी तो उनके कमिश्नर हैं। क्या चरण सिंह जी या श्रम मंत्री जी फैसला करेंगे कि वाकई में गोली चली या नहीं? क्या प्रक्रिया अपनाना चाहती है सरकार इसके फैसले के सम्बन्ध में?

दूसरी बात यह कि ८७ मजदूर मिले हमें जिनके सर और हाथ टूटे हुए थे। दीपंकर जी के कहने के अनुसार सौ घर ऐसे मिले जिनके दरवाजे उतरे हुए थे। दीपंकर जी का कहना है कि वहां पर चीजें लूटी गयीं। रेडियो, घड़ियां, नोट और जेवर लूटे गये। चलिये मान लिया कि स्त्रियों की अस्मत नहीं लूटी गयी और यह भी कि गोली चली या नहीं, इस प्रश्न को भी छोड़िये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसी पुलिस अधिकारी को, किसी पी० ए० सी० अधिकारी को आज तक निलंबित किया गया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी या नहीं? और यदि

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

नहीं की गयी तो क्यों ? श्रम मंत्री तो बड़े नेता हैं, झारखंडेराय जी हैं, एस० एस० पी० हैं, कम्युनिस्ट हैं, जनसंघ के मुताल्लिक तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी नजर में गोलियां चलें तो अच्छा और बम बरसें तो अच्छा। लेकिन श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के नाम पर, इस सदन की प्रतिष्ठा के नाम पर जांच कराइये, कराइये, कराइये।

*श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आज इस सदन में इस तरह के भाषण हो रहे हैं कि इस सदन को भी दिलचस्पी आ रही है, जनता को भी दिलचस्पी आ रही है और अध्यक्ष महोदय, आपको भी दिलचस्पी आ रही है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मामले पर बहस का अवसर दिया। हमारे विरोधी पक्ष को सोचना चाहिये कि उन्होंने अपने समय में ऐसा अवसर कभी दिया नहीं। जहां तक कालागढ़ की घटना का सम्बन्ध है, माननीय श्रम मंत्री जी ने साफ तरीके से वहां की घटना को सदन के समक्ष रखा है। मैं भी इस राय का हूं कि जांच होना चाहिये, लेकिन श्रीमन्, अगर जांच होगी तो आप (विरोधी पक्ष) ही फंसेंगे। यह सब आपके ही हथकंडे हैं। (व्यवधान) आज वे लोग कर्मचारियों और मजदूरों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बीस वर्ष तक उन पर शोषण किया है। (व्यवधान) कानपुर में मजदूरों पर इन्होंने गोली चलाई। उसमें ३ मजदूर और १ वर्ष का दुधमुंहा बच्चा मारा गया। (व्यवधान)। सन् ४८ में यह कांड हुआ, फिर सन् ५५ में ८० दिन की हड़ताल चली। फिर ये अपने को मजदूरों का हितैषी बना रहे हैं। आपने इसी कानपुर में विद्यार्थियों पर गोली चलवाई। राजबन्दियों को मारा, पिटवाया। हमने तो कर्मचारियों को १० करोड़ रुपया दिया, आपने तो केवल कोरे झूंठे वायदे ही दिये। (व्यवधान) आप प्रदेश में दंगे कराना चाहते हैं और स्थिति को खराब बनाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब जो यह सरकार आपके मंत्रियों के खिलाफ जांच करवा रही है उसके आधार पर आप देखेंगे कि न जाने कितने मंत्रियों को जेल काटना पड़े। आप जांच के मामले को यहां इस तरह उठा रहे थे जैसे मालूम हो रहा था कि मोहर्रम में मर्सिया पढ़ रहे हों। मैं तो, जब माननीय बनारसीदास बोल रहे थे तो हाथ में रूमाल लिये बैठा था और सोच रहा था कि वे अवश्य कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि आंखों में आंसू आ जायं और उन्हें पोंछना पड़े। इस सरकार ने मजदूरों के हित में ही सब काम किया है। हमने लक्ष्मीरतन मिल को अपने हाथ में लिया। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि असलियत पर पर्दा मत डालिये। वहां का मामला श्रम मंत्री जी ने बड़ी सफाई के साथ आपके सामने रखा है और अगर आप यह समझते हैं कि वहां पर जो बात सरकार ने कही है वह बात आपके कहने के मुताबिक नहीं है तो मैं अब भी कहता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिये और यदि जांच होगी तो....

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। यह चर्चा कालागढ़ कांड पर हो रही है या और कुछ हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। किसी विषय पर बोलते हुए दूसरे विषय पर चर्चा होना स्वाभाविक है। अगर सीमा बढ़ जाय तो मैं रोकता हूं।

श्री बाबू बदरे—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनके चिल्लाने और शोर करने का कोई असर इस सरकार पर नहीं पड़ सकता। अगर इनमें हिम्मत हो तो जनता के सामने बात पहले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाई जाय, और आज हम मजदूरों के सामने पहले बात रख रहे हैं । सन् ४८ के बाद इन्होंने किसी भी सूती उद्योग की यूनियन को मान्यता नहीं दी थी इस सरकार ने उनका हौसला रक्खा है यूनियन की मान्यता रखने का ।

श्री अध्यक्ष--

अब थोड़ा कालागढ़ पर आ जाइये ।

श्री बाबू बदरे--

मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जो स्थिति है उसमें जो उनकी मांग थी उस पर सरकार ने विचार करने के लिये बात की लेकिन जब एक पक्ष इस बात पर उतारू होता है तो सरकार पर जहालत का इल्जाम लगाया जाता है । मंत्रियों को कहते हैं कि ये बड़ा घूमते हैं । आपके लिये न जाने क्या-क्या कहा जाता है । मेरे खयाल में आपको अपने दिन याद आते हैं और इसीलिए आप ऐसी बातें करते हैं । मंत्री जी कालागढ़ गये और उन्होंने असलियत का स्टेटमेंट दिया । बहुगुणा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है मैं तो कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं झूठ बोलने वालों की नुमाइश हो तो उत्तर प्रदेश से इनका नाम तय कर के भेज दिया जाय । इन जैसे जिम्मेदार, जो पहिले मंत्री रह चुके हैं, इस तरह स्टेटमेंट देंगे तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जिम्मेदार फिर कौन होगा ? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं । यह वह सरकार है जो न्याय के आगे झुकेगी परन्तु तानाशाही के आगे नहीं झुकेगी । अगर यह सरकार जनतंत्र की सरकार साबित नहीं होगी तो आपकी तरह से बेहयाई से डटकर नहीं रहेगी, हट जायेगी । लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है आपकी बातों को सुनकर । आनन्द आया कि आपके दिल में मजदूरों का दर्द तो आया । आज आपको गरीबों की बात पर रोना तो आया। लेकिन अब भी मैं कहना चाहता हूं कि कालागढ़ के मामले में जितनी सरकार को हमदर्दी है, जितनी सरकार भलाई कर सकती है आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते । अध्यक्ष महोदय, "बड़े शौक से सुन रहा था जमाना । हमीं सो गये दास्तां कहते-कहते ।'

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से भिन्न-भिन्न भाइयों के विचार सुन रहा था और मान्यवर, अभी बाबू बदरे साहब बोल रहे थे तो मुझे भी एक शेर याद आ गया--

"कुछ मजबूरन, कुछ मसलहतन कातिल को मसीहा कहते हैं ।"

प्रभुनारायण सिंह जी का भाषण सुना । मुझे बड़ा इश्तियाक था एक मिनिस्टर के भाषण को सुनने का ।

मान्यवर, माननीय प्रभुनारायण सिंह जी का भाषण मंत्री की हैसियत से सुनने का मुझे पहला अवसर मिला । काउन्सिल में विरोध पक्ष से उनका भाषण सुनने का मुझे इत्तफाक होता था । उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि कालागढ़ के प्रश्न को एक पोलीटीकल इश्यू बनाया गया । मैं जानना चाहता हूं कि कालागढ़ के वाकयात पर बयान सबसे पहले किस पार्टी का आया? मिस्टर शकील जो कि प्रभुनरायण सिंह जी की एस० एस० पी० के ही एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनका बयान आया कि गोलीकांड हुआ और १५० मौतें हुईं । उसके बाद अखबारों में एक और पार्टी का बयान आया जिसका नाम नहीं था, कि २०० मौतें हुईं । माननीय धूलिया जी का बयान आया जिनका अखबार निकलता है "कर्म-भूमि"

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

माननीय नवलकिशोर जी वही बातें कह रहे हैं जो उनकी पार्टी के लोग पहले कह चुके हैं, इसलिये इनको बैठा दिया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नवलकिशोर--

धूलिया जी के बयान में भी है कि १३५ मौतें हुईं। कांग्रेस का बयान तो बहुत बाद को आयाऔर कालागढ़ की रिपोर्ट बहुत बाद को आई। अगर इसे राजनैतिक प्रश्न बनाया तो वह आपकी पार्टियों ने बनाया चाहे वह एस० एस० पी० हो या कम्युनिस्ट हो या जनसंघ हो या कोई हो। इन्होंने मांग की है कि न्यायिक या निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। डाक्टर अहमद साहेब का बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि कालागढ़ में पी० ए० सी० पागल हो गई थी। उसन बहुत निरंकुश अत्याचार किया है। दीपंकर जी ने उसकी ताईद कर दी। हमारे भाई प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा कि अगर यह साबित हो जाय कि गोलीकांड हुआ तो यह सरकार इस्तीफा दे देगी। हो सकता है कि कालागढ़ में गोलीकांड न हुआ हो लेकिन बनारस में तो आपके जमाने में गोलीकांड हुआ। अगर इस्तीफा देने की बात है तो यही क्यों कि कालागढ़ के गोली कांड पर दिया जाय, बनारस के बारे में आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं ?

श्री प्रभुनारायणसिंह--

यह झूठ और सत्य की बात है।

श्री नवलकिशोर--

झूठ और सच का फैसला केवल प्रभुनारायण सिंह जी करने के लिये रह गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इसको गास्पैल ट्रुथ माना जाय कि कालागढ़ में फायरिंग नहीं हुआ। मैं उनकी बात को सही माने लेता हूं। लेकिन स्वयं प्रभुनारायण सिंह जी ने इस बात को कहा कि हमने आत्म-संयम से काम किया और हमें मजबूरन पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि मजदूरों ने वायलेंस किया। आज सवाल इस बात का नहीं है कि वायलेंस हुआ या नहीं। आज तो बात यह है कि मजदूर कहता है कि गोलीकांड हुआ और सरकार कहती है कि नहीं हुआ। आप कहते हैं कि बाम्ब का इस्तेमाल किया गया है, मजदूर कहते हैं कि नहीं किया गया। आप इस बात को तो मानते हैं कि लोगों के चोटें आईं। बहुगुणा जी की रिपोर्ट यह है कि ८० आदमियों के हाथ टूटे, ४७ के डबल फैक्चर हुआ। आप इसकी जांच के लिये तैयार क्यों नहीं होते हैं ? आपने कहा कि जनतंत्र में यह होता है, वह होता है। जिस तरह से आपकी सरकार बनी जनतंत्र का जनाजा.... (किसी के कुछ कहने पर) ठीक है, उसकी चर्चा किसी और मौके पर की जायगी। आज उसका मौका नहीं है।

हम आपकी सब बातों को सही मानें। स्त्रियों पर लाठी-चार्ज हो, स्त्रियों के चोटें लगें, उनका गर्भपात हो जाय, तमाम ये बातें अखबारों में छपें, और आपकी पुलिस कह दे कि हमने कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका आप ही फैसला करें। मुझे ताज्जुब है कि झारखंडेराय जी कैसे इन सब बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। जब वह इधर थे तो कहा करते थे कि खूनी-क्रान्ति हो जायगी, वगैरह, अगर इस प्रदेश की सरकार ने अपने तरीकों को नहीं बदला। मान्यवर, अगर यह कांड कांग्रेस सरकार के जमाने में हुआ होता तो माननीय झारखंडे राय जी ने और उग्रसेन जी ने जमीन और आसमान एक कर दिया होता। लेकिन आज वे दोनों चुप बैठे हैं। हर अखबार में बयान निकला कि जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये, हर पार्टी बयान दे रही है कि जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये यह बात मशहूर है कि वे बहुत जिद्दी आदमी हैं, उनको अब मुख्य मंत्री के स्थान पर आकर अपनी जिद्द को, अपने एटीटचूड को बदल देना चाहिये। जब उधर से जनतंत्र की बात कही जाती है, जब जनतंत्र के नाम पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, जनकांग्रेस बनायी, न जाने उन्होंने विश्वासघात किया अथवा जनतंत्र निभाया, जब जनतंत्र के नाम पर किसान और मजदूरों को राहत देने के लिये जनकांग्रेस नाम की नयी पार्टी का निर्माण किया तो आज जब कि मजदूरों की मांग है और तमाम पार्टियों की मांग है और उनकी सरकार में भी जितने यूनिट्स हैं उन सब की मांग है तो फिर उनको जुडीशियल इंक्वायरी के लिये अवश्य ही तैयार हो जाना चाहिये। हमारे माननीय मित्र ने कहा कि हम फंस जायंगे जिसका

माननीय बहुगुणा जी ने उत्तर दिया कि हमको फंस जाने दीजिये लेकिन आप जुडीशियल इंक्वायरी करा दीजिये। आज सारे समाज की यह मांग है कि आप जुडीशियल इंक्वायरी का एलान करें। जो भी हुआ है वह सब उसके सामने आ जायगा और जो भी जनता को धोखा देना चाहता होगा, वह सब आपके और हमारे सामने आ जायगा। आपने धोखा देने के लिये कमिश्नर को इंक्वायरी करने के लिये बैठा दिया है। वह तो दो दिन पहले से वहां मौजूद था और अपनी रिपोर्ट पहले ही दे चुका है। उसकी रिपोर्ट के क्या मानी हैं। वह तो उसी की डुप्लीकेट कापी भेज देगा।

जैसा कि कहा जाता है "चोर से कहे चोरी कर और शाह से कहे जाग"। जैसा कि बहुगुणा जी ने कहा कि इस कांड से पहले एक मजदूर माननीय लेबर मिनिस्टर साहब के पास आया था और उससे उन्होंने यह कहा कि तुम जाकर हड़ताल कराओ तभी तो हम तुम्हारी सहायता कर पायेंगे।

श्री प्रभुनारायणसिंह--

इससे बड़ी झूठ और गलत बात कोई हो नहीं सकती।

श्री नवलकिशोर--

तो एक ओर तो आप मजदूरों को यह एडवाइस करते हैं कि तुम हड़ताल करो और दूसरी ओर मिनिस्टर की हैसियत से उनके ऊपर जुल्म करते हैं, लाठी और गोली चलवाते हैं। माननीय दीपंकर जी तो उन्हीं की पार्टी के आदमी हैं उन्होंने भी अखबारों में बयान दिया है। पीताम्बरदास जी भी वहां गये और उन्होंने कहा कि वहां पर रिवाल्वर और पिस्तौल का प्रयोग हुआ है। उसका जवाब दिया कि किसी मजदूर ने देशी तमंचा चला दिया होगा। आपके कहने से ही साबित हो गया कि वहां गोली चली जरूर है चाहे वह मजदूरों की ओर से चली हो या पुलिस की ओर से। मैं और ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। जब कांग्रेस सरकार की तरफ से गोली चलवायी जाती थीं तो कहा जाता था कि उसकी जुडीशियल इंक्वायरी करायी जाय। लेकिन जब आपके जमाने में इतना बड़ा अत्याचार हुआ है तो फिर आप क्यों नहीं जुडीशियल इंक्वायरी की हमारी मांग को मान लेते हैं। चौधरी साहब अब तो मुख्य मंत्री हो गये हैं, उनको अपनी पुरानी आदत, जो जिद्दीपने की है, उसको छोड़ देना चाहिये, और विरोधी पक्ष की ओर से ही नहीं उनकी पार्टी के लोगों की ओर से भी जो जुडीशियल इंक्वायरी की मांग की गयी है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। उससे जितने भी वाकयात हैं वे सब जनता के सामने आ जायेंगे। यह साफ मालूम हो जायगा कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। उसका जो भी फैसला होगा हम भी मान जायेंगे और आप भी मान जायं। यही इस एडजर्नमेंट मोशन की मेन मांग है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

(श्री चरणसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रबली--

अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार खड़ा होता रहा और चूंकि आपने जानबूझ कर मुझे मौका नहीं दिया इसलिये आपके इस व्यवहार पर मैं सदन का त्याग करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जो शब्द आपने प्रयोग किये हैं वे अनुचित हैं, आप को जाने का अधिकार है।

(श्री चन्द्रबली सदन त्याग कर चले गये।)

अब यह वाद-विवाद सवा सात तक चलेगा।

*श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अभी आज सबेरे जब यह एडजर्नमेंट मोशन हमारे मित्र की तरफ से पेश हुआ और जब उसके लिये आप से इजाजत चाही तो जैसा आपने फरमाया था उसकी अनुज्ञा देने की कोई कानूनन आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बजट पेश होने वाला था और गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं और उसकी जितनी एक्टिविटीज हैं उन सब पर ही बजट में बहस होने वाली है, लेकिन आप की राय थी कि कालागढ़ की इतनी चर्चा अखबारों के जरिये हुई है तो मुनासिब यह होगा कि उस पर यहां बहस हो जाय और मैं बड़ी खुशी से इसके लिये राजी हो गया। आज भी मेरा इरादा इस बहस में हिस्सा लेने का नहीं था क्योंकि मेरी तबियत कुछ अच्छी नहीं है। जो बातें जिस तरह से और जिस हद तक और जिन अल्फाज में यहां कही गई हैं उनको सुनने के बाद मेरे लिये आवश्यक हो गया है कि मैं उस में हिस्सा लूं।

मांग यह है कि इस कांड की जांच कराई जाय, कहा गया है कि जांच हो। तीन चार तरह के एलीगेशन्स लगाये गये हैं, एक यह कि वहां गोली चली, दूसरे यह कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तीसरे यह कि पुलिस ने कोई लूट की। केवल यही तीन आरोप या इल्जाम हैं जो लगाये गये और हां, एक यह भी कि मजदूरों के चोटें आई और उनके साथ अन्याय हुआ। कहा गया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिये और यह मांग थीं और आरोप थे। अध्यक्ष महोदय, जो घटनाक्रम है, मैं समझता हूं कि उसमें २ रायें नहीं हैं और मैं आप की इजाजत से वह बताना चाहता हूं। सितम्बर और अक्तूबर, सन् ६६ में वहां पहले हड़ताल हुई थी, उनकी कुछ मांगें थीं, कुछ उनमें से मंजूर हुई और कुछ मांगें परमानेंट कनसीलियेशन बोर्ड को तभी सुपुर्द हो गई जिनके मुताल्लिक माननीय आचार्य जी बार-बार कह रहे थे कि आपने सुपुर्द किया। मैं आपकी इजाजत से फिर उनके गोशगुजार करूंगा कि यह मांगें कनसीलियेशन बोर्ड को उसी वक्त सुपुर्द हुई थीं, पहली सरकार के जमाने में ही वह परमानेंट कनसीलियेशन बोर्ड के सुपुर्द हो गई थीं। यह ठीक है कि परमानेंट कनसीलियेशन बोर्ड बहुत चुस्ती से काम नहीं कर रहा है और इसके लिये हम उसके कांस्टीट्यूशन और प्रोसीजर को संशोधित करना चाहते हैं। अभी हमें केवल दो सवा दो महीने का ही मौका मिला है, पहली कोई खराबी है, सुस्ती से काम हो रहा है और मजदूरों को उससे नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर आज नहीं मढ़ी जा सकती। अगर वह मढ़ी जा सकती है तो उस सरकार पर मढ़ी जा सकती है जिस सरकार के जमाने में मजदूरों की यह मांगें बोर्ड को सुपुर्द की गई थीं। बोर्ड का फैसला १५ अप्रैल अगर्चे तारीख थी, लेकिन नहीं हुआ, मजदूरों की तकलीफ का हमें अहसास है और मैं मानता हूं कि फौरन ही मजदूरों की मजदूरी में कुछ वृद्धि हो जाय। इस सिलसिले में वह लखनऊ आये और इर्रीगेशन सेक्रेटरी से उनके दो लीडर्स की बातचीत हुई। एक मिस्टर खान और दूसरे श्री बी० ज्ञान प्रकाशम। इर्रीगेशन सेक्रेटरी ने उनकी मांग को बहुत हद तक उचित समझा और उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड का जब फैसला होगा वह तो होगा ही, लेकिन आप की मांगों पर तात्कालिक कुछ करने की सोच रहे हैं उन दोनों लीडरों ने कोई संकेत इर्रीगेशन सेक्रेटरीज को इस बात का नहीं दिया कि कल या परसों तक अगर मांग स्वीकार नहीं होती है तो वह हड़ताल करेंगे। लोग वापस गये और १७ तारीख को १५ दिन का नोटिस दे दिया दूसरी या तीसरी मई से हड़ताल करने का। २९ अप्रैल को सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ कि १० फीसदी उनके वेतन में वृद्धि कर दी जायगी, सिर्फ दो शर्तें हैं कि किसी को भी १० रु० से कम नहीं दिया जायगा, अधिकतर मजदूरों को ७२ रु० मिल रहे थे तो १० फीसदी के हिसाब से ७ रु० २० पैसे बैठते थे, लेकिन यह फैसला हुआ कि १० रु० से कम किसी को नहीं दिये जायेंगे। सीलिंग २५ रु० की थी। यह ऐलान कर दिया गया और जैसा श्रम मंत्री जी ने बताया २,३ फैसले उनके हक में और कर दिये और उन फैसलों का ऐलान नोटिस तकसीम कर के मजदूरों में कर दिया गया और मजदूरों की यूनियन को दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद दूसरी मई को मजदूरों ने यह तय किया कि हड़ताल होगी और क्यों होगी इसके मुताल्लिक जो आप अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय आचार्य दीपंकर की बहुत दुहाई दे रहे हैं तो उनकी जो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है ३, ४ दोस्तों के दस्तखत से, वह मैं आपके सामने सुना देना चाहता हूं --

हड़ताल प्रारम्भ

जब कि यह विवाद स्थायी संराधन बोर्ड के सामने था फिर भी मजदूरों के हित की संयुक्त विधायक दल की सरकार ने सभी वर्क चार्ज मजदूरों को १ अप्रैल १९६७ से १० प्रतिशत अतिरिक्त, १० रु० से २५ रु० तक, अंतरिम वृद्धि का ऐलान कर दिया जिसे परियोजना अभियन्ता ने पत्र संख्या ५०८५ तारीख ३० अप्रैल को प्रकाशित कर दिया और मजदूरों में बटवा दिया। इसके साथ जिनके घरों में नल नहीं है और बाहर नल से पानी लेते हैं उनका पानी का पैसा माफ कर दिया गया।

आचार्य दीपंकर--

मेरे दस्तखत नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इस रिपोर्ट पर आचार्य दीपंकर के दस्तखत हैं, जिसको उन्होंने इनकार किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध प्रिवलेज का नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

श्री चरणसिंह--

इस पर दस्तखत हैं माननीय एस० एस० युसूफ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरे हैं श्री अब्बास अली खाँ, तीसरे दस्तखत हैं श्री राम चन्द्र शुक्ल के और उन्होंने मुझे कल खुद यह रिपोर्ट दी है तथा चौथे हैं आचार्य दीपंकर।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस सदन में कोई माननीय सदस्य, चाहे नेता सदन हो क्यों न हो, किसी सदस्य के किसी डाकूमेन्ट की बाबत कह सकते हैं कि उसके हस्ताक्षर हैं, जब कि माननीय सदस्य खुद कहता हो कि इस डाकूमेन्ट पर मेरे दस्तखत नहीं हैं? जब कि वह माननीय सदस्य खुद कहते हैं कि इस डाक्युमेन्ट पर उनके दस्तखत नहीं हैं तो या तो वह फोटोस्टेट कापी सब को बांट दें या फिर उस डाकुमेन्ट का जिक्र न करें।

श्री चरणसिंह--

यदि दीपंकर जी कहते हैं कि उनके दस्तखत नहीं हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरे पास जो कागज है उस पर उनके दस्तखत थे और मैं फर्ज करके चल रहा था कि उनके दस्तखत हैं। अगर वह इंकार करते हैं तो मैं उनकी बात को माने लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया और आचार्य दीपंकर जी ने जो बात कही उससे भ्रम होता है कि दो रिपोर्टें हैं। एक पर उनके दस्तखत हैं और दूसरी पर नहीं हैं।

श्री चरणसिंह--

मेरे पास दो कापी हैं। एक पर हैं और एक पर नहीं हैं। एक दूसरे सज्जन भी हैं जिनके दस्तखत एक पर हैं और दूसरी पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

डाकुमेन्ट एक ही है?

श्री चरणसिंह--

डाकुमेन्ट एक ही है और एक-एक वर्ड एक है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय दीपंकर जी कहते हैं कि दस्तखत नहीं है और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हैं, तो बाद में जो प्रक्रिया नियमावली है उसको देख कर विश्लेषण कर लिया जायगा ।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है । अगर माननीय मंत्री जी जो रिपोर्ट सुना रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं तो उसकी कापी सदन में रखें ताकि हम लोग भी देख सकें ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

माननीय दीपंकर जी कापी दे रहे हैं, लेकिन एक्साइज मिनिस्टर जी ने उसे अपने पास रख ली है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

माननीय राम चन्द्र शुक्ल ने अपनी रिपोर्ट अलग से भी दी है । उस पर आचार्य दीपंकर जी के दस्तखत नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने न आपको बुलाया है, न आपको अनुमति दी है ।

श्री चरणसिंह--

मैं माने लेता हूं कि आचार्य दीपंकर के दस्तखत नहीं हैं । मैं उसमें से कुछ हवाले और देता, लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूं । जिस समय १० रुपये की वृद्धि दे दी गयी, जो वाटर पोस्ट से पानी लेते थे उस पानी का टैक्स हर म्यूनिसिपल बोर्ड को देना होता है और उनको भी देना पड़ता था, उसे माफ कर दिया गया, सन् गागिल्स और जरसी भी दे दी गयी, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों की यूनियन ने यह जरूरी समझा कि हड़ताल की जाय। कारण यह बतलाया गया जिसे कि मजदूर यूनियन के संयुक्त सेक्रेटरी, जो लखनऊ तशरीफ लाये थे, ने तसलीम किया कि मजदूर का यह खयाल था कि जब नोटिस मात्र से १० रुपया दे दिया गया तो हड़ताल करने के बाद बाकी मांगें भी मंजूर हो जायंगी ।

श्री अध्यक्ष--

एक मिनट में आपको समाप्त करना है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

केवल यह बतला दीजिये कि जुडीशियल इंक्वायरी आपको मंजूर है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--

मैं आपको घटना क्रम बतला रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि उन्होंने फिर भी हड़ताल की । ७ तारीख तक बराबर उन्होंने लाठियां लेकर प्रदर्शन किया । कमिश्नर और डी० एम० ने उनको बहुत समझाया लेकिन वह इस पर राजी नहीं हुए । फिर ८ तारीख को जैसा कि श्रम मंत्री जी ने बताया बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन दफा १४४ का हुआ ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जांच करायेंगे या नहीं सिर्फ यह बता दीजिये ?

श्री चरणसिंह—

जांच इस चीज की चाहते हैं मेरे मित्र कि फायरिंग हुई। लेकिन आज तक किसी आदमी ने यह नहीं कहा है कि मेरा अजीज गोली से मर गया।

श्री अध्यक्ष—

अब समय समाप्त।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बज फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर १६ मिनट पर सोमवार, १९ जून, १९६७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१६ जून, १९६७।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिय तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

(क) वेतन क्रम (स्थानीय निकायों के लिये)---

जे० टी० सी० अध्यापक---रु० ७०-३-१००-द०रो०-४-१२० ।

एच० टी० सी० अध्यापक-रु० ५०-१-५५ द० रो०-१-६० ।

(ख) महंगाई भत्ते की दरें--

वेतन-स्तर	महंगाई भत्ते की निर्धारित दरें
५० रु०	५० रु० ।
५३-७० रु०	४७ रु० ।
७१-८५ रु०	४९-५० रु० ।
८६-९३ रु०	१३५ रु० से जितना कम हो ।
९५-१०० रु०	४७ रु०
१०१-१०४ रु०	१४७ रु० से जितना कम हो ।
१०५ रु० तथा उसके ऊपर	४२ रु० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर ।)

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कुल कर्मचारियों की संख्या	सचिवालय के जिन कर्मचारियों को विभाग ने क्वार्टर दिया है उनकी संख्या	सचिवालय के जिन कर्मचारियों को विभाग ने कोई क्वार्टर नहीं दिया है उनकी संख्या
४९९	२५९	२४०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३७ एल० ए०—१९६७—८४६ ।